खण्ड-190, अंक-1
शुक्रवार, 29 अग्रहायण, शक संवत् 1879
(20 दिसम्बर, 1957 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 190 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २० दिसम्बर, १९५७ ई०

130969

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३६९)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशफाक अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजाहुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
उपनाम छन्नन गुरु
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किशन सिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री

गोकुल प्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
ीकाराम, श्री

टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवदत्तसिंह, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवान सिंह, चौधरी
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभान प्रकाश सिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री

बलदेवसिंह, श्री
बलदवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धी सिंह, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखान सिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपूर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री

रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
राम समझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूर्मासिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री

विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर

सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिशचन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

शुक्रवार, २० दिसम्बर, १९५७

श्री रामस्वरूप वर्मा द्वारा व्यवस्था का प्रश्न

श्री रामस्वरूप वर्मा--मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--अभी तो प्रश्नों का समय है, उसके बाद आप उठाइयेगा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--श्रीमन्, यह तो व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ, अभी कैसा व्यवस्था का प्रश्न ?

श्री रामस्वरूप वर्मा--व्यवस्था का प्रश्न यह है श्रीमान् कि कल सदन में.....

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, उसमें व्यवस्था नहीं आती । बात यह है कि अभी तो काम शुरू नहीं हुआ है । जब प्रश्न समाप्त हो जायंगे तब आप व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं ।

प्रश्नोत्तर

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

जिला हापुड़ उस एलाटमेंट कमेटी, मैनपुरी के सदस्य

**१--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मकानों को किराये पर देने के लिये जो कमेटी जिलों में बनाई गई हैं नियम के मुताबिक उनके कौन-कौन मेम्बर होते हैं ?

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)--मकानों को किराए पर देने के लिए जो कमेटी जिलों में बनाई गई हैं उनमें नियम के मुताबिक, निम्नलिखित मेम्बर होते हैं :--

(१) जिलाधीश--सभापति } एक्स अफिशियो मेम्बर्स
(२) अध्यक्ष, म्युनिसिपल बोर्ड } एक्स अफिशियो मेम्बर्स
(३) सरकार द्वारा नामजद स्कूल अथवा कालेज का एक हेड मास्टर अथवा प्रिंसिपल ।
(४) सरकार द्वारा नामजद दो प्रमुख नागरिक अथवा जन सेवक ।

**२—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में जो उक्त कमेटी बनी है उसके मेम्बरों के क्या-क्या नाम हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैनपुरी जिले की उक्त कमेटी में इस समय निम्नलिखित मेम्बर कार्य कर रहे हैं :—

(१) जिलाधीश, मैनपुरी।
(२) अध्यक्ष, म्युनिसिपल बोर्ड ।
(३) प्रिंसिपल, गवर्नमेंट हायर सेकेन्डरी स्कूल ।
(४) श्री स्वरूप किशोर, एडवोकेट ।
(५) श्री महराज सिंह, भूतपूर्व एम० एल० ए० ।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो कमेटियां जिलों में मकानों को किराये पर देने के लिये बनायी जाती हैं उनमें जिले के कुछ एम० एल० ए० या कुल एम० एल० ए० भी रहा करें ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—कोई आवश्यक नहीं है कि उसमें कुल एम० एल० ए० रहें । कोई भी दो प्रमुख नागरिक रखे जाते है । उसमें एम० एल० ए० भी हो सकते हैं ।

श्री नागेश्वर प्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कमेटी का कार्यकाल कितने दिन का होता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—दो वर्ष ।

जमुना हाइडिल स्कीम के अन्तर्गत कार्य तथा व्यय

**३—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या इस समय जमुना हाइडिल स्कीम पर काम नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उद्योग उप-मन्त्री (श्री रऊफ जाफरी)—इस योजना पर काम जारी है ।

**४—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जमुना हाइडिल स्कीम पर अब तक कितना रुपया व्यय हो चुका है ?

श्री रऊफ जाफरी—लगभग ७१.०० लाख रुपया इस योजना पर व्यय किया गया है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना पर जिस गति से काम हो रहा था और जिस अवधि के अन्दर पूरा होने वाला था अब केन्द्रीय सरकार ने उस अवधि के अन्दर उस काम को पूरा करने में कोई असमर्थता प्रकट की है ?

श्री रऊफ जाफरी—जो हुआ है वह सिर्फ यह कि यह स्कीम दो स्टेजेज में है । तो नम्बर १ स्टेज जो थी उसमें पंजाब में जो डैम बनने वाला है उसकी कुछ टेक्निकल पासिबिलिटीज का जबतक पता नहीं चल जाय उस वक्त तक के लिये केन्द्रीय सरकार ने यह कहा है कि पहले स्टेज का काम रोक दिया जाय । स्टेज नम्बर २ का काम पूरी तरह से जारी है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री को यह पता है कि स्टेज नम्बर २ का जो काम रोक दिया गया है उससे वहां पर बहुत से ठेकेदार जिनको पहले काम दिया गया था और बहुत से मजदूर जो इस काम पर लगाये गये थे उनके अन्दर घोर असन्तोष है ?

श्री रऊफ जाफरी—स्टेज नम्बर २ का काम तो रोका नहीं गया है, वह चालू है । माननीय सदस्य का मतलब शायद स्टेज नम्बर १ से है, तो उसमें जब काम रुका हुआ है तो जाहिर है कि जो काम करते रहे होंगे उनको कुछ तकलीफ हुई होगी ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जमुना हाइडिल स्कीम के कार्य का श्रीगणेश कब किया गया ?

श्री रऊफ जाफरी—सन् १९४९ में ।

[कृषि मंत्री से संबंधित १३ दिसम्बर, १९५७ के स्थगित प्रश्न ।]

तारांकित प्रश्न

बद्रीनाथ मंदिर की आडिट रिपोर्ट की मांग

*१—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार बद्रीनाथ मन्दिर की पिछले तीन साल की आडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

समाज कल्याण उपमन्त्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*२—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार को यह मालूम है कि मन्दिर की हसवां, फतेहपुर, डोभालादाला, देहरादून वगैरः जायदादों का हिसाब कई वर्षों से आडिट नहीं हुआ ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि इस प्रश्न का नोटिस मिले हुये कितना समय हो गया और अब सूचना एकत्र करने में कितना समय और लगेगा ?

श्री अध्यक्ष—यह कार्यसूची में दिया हुआ है । २१ अगस्त को भेजा गया था ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सूचना को एकत्र करने में और रिपोर्ट मंगाने में कितना समय और लगने वाला है ?

समाज कल्याण मन्त्री (आचार्य जुगल किशोर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें चार महीने लग गये हैं और चूंकि यह सूचना बद्रीनाथ टेम्पिल से प्राप्त होने वाली है इसलिये नहीं आ सकी । यह जवाब इसलिये दिया गया है कि यह प्रश्न अब मुल्तवी नहीं हो सकता था । मेरा खयाल है कि अगली बार में यह सूचना आ जायगी ।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)—क्या बद्रीनाथ जी के पट खुलने के बाद यह सूचना मिल जायगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—मैं समझता हूं कि इससे पहले ही मिल जायगी ।

महामारियों के फैलने के कारण

*३—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने इसका पता लगाने की कोई कोशिश की है कि जिन जिलों में महामारी रोगों द्वारा अधिक मौतें हुई हैं उसका क्या कारण है ?

कृषि मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---जी हां, इस वर्ष राज्य में हैजा तथा अतिसार की बीमारी से अधिक मौतें हुई हैं जिनके कारण निम्नलिखित है :---

(१) वाराणसी नगर में जहां कि बीमारी पहले से फैली हुई थी, १२ मई, १९५७ को चन्द्रग्रहण पर्व के उपलक्ष्य में एकत्र यात्रियों द्वारा बीमारी की संक्रामकता का प्रकोप और भी भीषण हो गया । इन्हीं यात्रियों के द्वारा बीमारी राज्य के अन्य भागों में भी फैल गयी ।

(२) वर्षा का देर से एवं रुक-रुक कर होना जिसके कारण कुओं व तालाबों में पानी का कम हो जाना जिससे संक्रामन अत्यधिक बढ़ जाता है और उसी संक्रामन युक्त पानी को इस्तेमाल करने में बीमारी का प्रकोप बढ़ा ।

(३) विवाह-शादियों में उक्त दूषित मनुष्यों का शामिल होना तथा बराती में मिल कर साथ भोजन करना जिससे कि संक्रामण और बढ़ता गया ।

(४) मुहर्रम में एक साथ बैठ कर भोजन करना, इससे भी बीमारी का प्रकोप बढ़ा ।

*४---श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)---उक्त रोग फैलने वाले जिलों में सबसे पहले इस वर्ष कहां से बीमारियां शुरू हुईं और उसके कारणों की कोई रिपोर्ट सरकार को जिला अधिकारियों द्वारा मिली है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कृपया अधिकारियों को पुनः आदेश देगी कि ऐसी रिपोर्ट देते समय कारणों का जिक्र अवश्य करें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---२६ जनवरी, १९५७ को समाप्त होने वाले सप्ताह में सबसे पहले हैजे की बीमारी की सूचना मिर्जापुर जिले से मिली है, जिसकी विस्तारपूर्ण रिपोर्ट जिला स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा प्राप्त हुई । बीमारी फैलने का कारण बिहार के पड़ोसी जिलों से ग्रसित मरीजों का आना-जाना रिपोर्ट किया गया था ।

प्लेग की बीमारी इस वर्ष केवल सुल्तानपुर जिले में हुई ।

इस वर्ष चेचक की बीमारी सर्व प्रथम इलाहाबाद, फैजाबाद, कानपुर, खीरी, और मुजफ्फरनगर जिलों तथा इलाहाबाद, बांदा, कानपुर नगरों में फैली ।

इन्फ्लूएन्जा की बीमारी की रिपोर्ट सर्व प्रथम जून के प्रथम सप्ताह में बरेली जिले और रामपुर नगर से प्राप्त हुई । उक्त बीमारी की विस्तृत रिपोर्ट करीब-करीब समस्त स्वास्थ्य अधिकारियों से प्राप्त हुई । बीमारी के फैलने का कारण दूसरे प्रदेशों तथा दिल्ली आदि से लोगों का आना है ।

हमीरपुर जिले में चन्द्रावलि तथा केन नदियों के बीच के इलाके में अस्पताल खोलने की मांग

*७---श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह मौदहा तहसील, जिला हमीरपुर में चन्द्रावलि और केन नदियों के बीच के भू-भाग की जनता की सुविधा के लिये अस्पताल खोलने का क्या प्रबन्ध कर रही है ?

स्वास्थ्य उप-मन्त्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)---इस वर्ष से चिकित्सालय जो अब प्राइमरी हेल्थ यूनिट कहलाती है केवल एन० ई० एस० ब्लाक में जिला नियोजन समिति की सिफारिश पर खोली जायगी । इस इलाके के लिये अभी तक जिला नियोजन समिति की कोई सिफारिश नहीं आयी है ।

*८---श्री रामगोपाल गुप्त---क्या यह सही है कि डिस्पेन्सरी ऐडवाइजरी कमेटी, जिला हमीरपुर ने उपर्युक्त इलाके में अस्पताल खोलने की सिफारिश की है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कर रही है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---जिला चिकित्सालय परामर्शदात्री समिति ने १९५५ में हमीरपुर के देहाती क्षेत्रों में अस्पताल खोलने की सिफारिश की थी, जिसमें सिसोलर ग्राम को जो इस इलाके में पड़ता है, पांचवां स्थान दिया था। इस कारण वहां अब तक चिकित्सालय नहीं खुला। अब जिला नियोजन समिति की सिफारिश आने पर इस विषय पर विचार किया जायगा।

श्री रामगोपाल गुप्त---क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि सरकार ने चिकित्सा परामर्श-दात्री समिति की सिफारिश को जिला नियोजन समिति के पास उसकी सिफारिश के लिये भेजा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---भेजा तो नहीं है। प्लानिंग कमेटी जहां मुनासिब समझेगी खुद ही अपनी सिफारिश भेज देगी।

श्री रामगोपाल गुप्त---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा परामर्श-दात्री समिति की समस्त सिफारिशें सरकार के पास सीधे न आकर प्लानिंग कमेटी के द्वारा आती हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---पहले तो सीधे आती थीं, अब उधर से आना चाहिये।

श्री रामगोपाल गुप्त---तो यह सिफारिश सन् १९५५ की है। यह तरीका कब से बदला गया और अगर इसके बाद तरीका बदला है तो क्या माननीय मंत्री जी इस सिफारिश को नियोजन समिति की सिफारिश जानने के लिये भेजेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हाल ही में यह तरीका बदला है।

श्री रामगोपाल गुप्त---तो क्या माननीय मंत्री जी इस सिफारिश को नियोजन समिति की राय जानने के लिये भेजने की कपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---भिजवा दी जायगी।

* * * * *

देहरादून व फतेहपर जिलों में बद्रीनाथ मन्दिर की जायदाद

*१०---श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला देहरादून व जिला फतेहपुर में बद्रीनाथ मन्दिर की कितनी जायदाद है और पिछले तीन वर्षों में कुल कितनी आय हुई ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री सुरथबहादुर शाह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह सूचना कब तक इकट्ठा हो पायेगी ?

आचार्य जुगल किशोर---मैंने अभी एक प्रश्न के सम्बन्ध में जवाब दिया था कि बद्रीनाथ टेम्पिल के सम्बन्ध में कुछ जांच हो रही है। मैं समझता हूं कि उसके कारण वहां से जो सूचना हम चाहते हैं, वह कागजात नहीं आ पा रहे हैं। कोशिश यह की गयी है कि जल्द से जल्द वह कागजात हमारे पास आ जायं ताकि वह सूचना यहां पर रख सकें।

श्री सुरथबहादुर शाह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस सूचना की प्राप्ति में देर क्यों हो रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर---क्योंकि वहां से नहीं आ रही है।

श्री सुरथबहादुर शाह---क्या सरकार यह बतलाने की कपा करेगी यह जो सूचना वहां से नहीं आ रही है इसका जिम्मेदार कौन है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी ?

आचार्य जुगलकिशोर---मैंने अभी उत्तर में यह कहा था कि वहां पर जांच कुछ की जा रही है किसी कस के सिलसिले में और उन कागजात की भी उस जांच के सिलसिले में कुछ जरूरत होगी जिसकी वजह से वह यहां पर नहीं भेजे गये । अब इस बात की कोशिश की गई है कि क्यों अभी तक सूचना नहीं आई है ।

इन्स्टीट्यूशन्स आफ इन्डिजिनस मेंडिसिन सिस्टम को सहाथता देने के लिए प्रस्ताव

*११---श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने Institutions of Indigenous Medicine System को मदद करने के लिये राज्य सरकार से कोई प्रपोजल मांगे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां ।

*१२---श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)---यदि हां, तो वे प्रपोजल्स क्या हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---प्रपोजल अभी तैयार नहीं है ।

*१३---श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कितने धन की मांग की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---प्रश्न नहीं उठता ।

* * * *

बाराबंकी जिले के राजकीय कृषि फार्मों का आय-व्यय

*१८---श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत कितने राजकीय कृषि फार्म हैं तथा कितने-कितने एकड़ के ?

कृषि मन्त्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)---बाराबंकी जिले के अन्तर्गत ३ राजकीय कृषि फार्म हैं उनका क्षेत्रफल इस प्रकार है :---

१---बाराबंकी फार्म	..	२७.३८ एकड़
२---हैदरगढ़	..	४६.३३ एकड़
३---लच्छवर	..	४.२५ एकड़

*१९---श्री जंगबहादुर वर्मा---उन फार्मों में १९५६-५७ में कितना व्यय हुआ, कितनी आमदनी हुई और कौन-कौन से फार्म घाटे पर चल रहे हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---वांछित ब्योरा इस प्रकार है---

नाम फार्म		आमदनी रु०	व्यय रु०	बचत रु०
१---बाराबंकी	..	१३,९९२	९,७१२	४,२८०
२---हैदरगढ़	..	१५,३६६	११,९६२	३,४०४
३---लच्छवर	..	४,१८१	२,३३२	१,८४९

कोई भी फार्म घाटे पर नहीं चल रहा ह ।

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि इन फार्मों में कौन-कौन जिन्स बोई जाती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---आमतौर पर जो फसल बोई जाती है वही इनमें भी बोई जाती है।

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ग्राम के किसानों की खेती इन फार्मों से कम पैदा करती है या ज्यादा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---किसानों की खेती की पैदावार के आंकड़े हमारे पास नहीं हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन पूरे फार्मों पर कितना इस्टेब्लिशमेंट है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन फार्मों के पड़ोस के किसानों के लिये कोई ऐसी व्यवस्था की जायगी कि वह फार्मों की तरह से खेती करें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उनके लिये डिमांस्ट्रेशन भी करते हैं कि वह देखें और वैसे ही करें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके लिये कोई विशेष अनुदान दिया जायगा ताकि वे इन फार्मों की बराबर अपने खेतों की तरक्की कर सकें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---खाद वगैरह की मदद की जाती है और सिंचाई के साधन मुहइया किये जाते हैं जहां तक कि हमारे सीमित रिसोर्सेज एलाउ करते हैं।

मथुरा जिले में धान की उपज बढ़ाने के लिए सुविधायें देने की प्रार्थना

*२०---श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)---क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे मथुरा जिले में जहां-जहां गर्की का क्षेत्र है वहां किस प्रकार का धान हो सकता है इसकी जांच सरकार ने कराई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इस क्षेत्र में जड़हन धान जो देर में पकने वाला है जैसे टाइप १०० और ८८ नं० का हो सकता है।

*२१---श्री रामहेत सिंह---उक्त क्षेत्र के किसानों को धान बोने को प्रोत्साहित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---धान का क्षेत्र मथुरा जिले में बहुत कम है। जो किसान धान का क्षेत्रफल बढ़ाना चाहते हैं उनको कृषि विभाग की तरफ से धान का बीज और खाद उपलब्ध किया जाता है।-

श्री रामहेत सिंह---देर में पकने वाले धान के लिये बीज और खाद के अलावा क्या सरकार कृपया पानी का भी प्रबन्ध करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सवाल है नीची जमीन के सम्बन्ध में जहां पानी काफी जमा हो जाता है। वहां कोई विशेष योजना पानी के लिये नहीं है।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी जड़हन कटने के बाद रबी की फसल के लिये पानी की कोई व्यवस्था करेंगे ?-

श्री हुकुर्मासिह विसेन--अधिकांश जड़हन वाली जमीन एकफसला होती है ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वहां पर जापानी तरीके से धान उपजाने का प्रयोग किया गया है ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन--मथुरा में नहीं किया गया है ।

* * * *

राजकीय फार्मों पर उत्पन्न किये गये बीज का वितरण

*२४--**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस समय राज्य में कितने राजकीय कृषि फार्म चल रहे हैं और उनमें कुल कितने क्षेत्रफल पर खेती होती है ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन--इस समय उत्तर प्रदेश में कुल ५८ राजकीय कृषि फार्म हैं । इन फार्मों पर कुल १४३०७.६२९ एकड़ पर खेती होती है ।

*२५--**श्री नारायणदत्त तिवारी** (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उपर्युक्त फार्मों से सन् १९५५-५६ में कुल कितना बीज (भिन्न-भिन्न श्रेणियों एवं जिन्सों का अलग-अलग) तैयार किया गया और कितना बांटा गया ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन--राजकीय कृषि फार्मों पर केवल प्रथम श्रेणी का ही बीज उत्पन्न किया जाता है । उक्त राजकीय कृषि फार्मों पर सन् १९५५-५६ में प्रत्येक जिंस के बीज की पैदावार के आकड़े संलग्न तालिका में दिये हैं । कृषि फार्मों से बीज नहीं बाटां जाता है बल्कि फार्म की कुल उत्पत्ति अगले वर्ष बोये जाने के लिये बीज रख कर राजकीय बीज गोदामों पर बाटने के लिये भेज दी जाती है । सारे प्रदेश में यह बीज गोदाम फैले हुए हैं और बीज के वितरण के आकड़े मिलने में देर लगेगी । उनको एकत्रित करने में जो धन तथा श्रम लगेगा वह लाभ से अधिक होगा ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७२ पर)

वाराणसी जिले के चोलापुर बाजार में सरकारी अस्पताल की भवन-निर्माण योजना

*२६--**श्री लोकनाथ सिंह** (जिला वाराणसी)--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के चोलापुर बाजार में सरकारी अस्पताल जो चल रहा है उसके भवन निर्माण की कोई योजना विचाराधीन है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--जी हां ।

श्री लोकनाथ सिंह--क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त योजना कब तक कार्यान्वित हो जायगी ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन--उसके सम्बन्ध में ठेकेदार और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में रेट के बारे में दिक्कतें तय होने पर हो जायंगी ।

श्री लोकनाथ सिंह--क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत उस भवन के पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन--यदि उनके मामलात का निपटारा हो गया तो हो जायगा ।

पशु पालन विभाग में हरिजन कर्मचारियों की संख्या कम होने पर आपत्ति

*२७---श्री राम वचन यादव (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि उत्तर प्रदेश सरकार के पशु-पालन विभाग में इस समय कुल कितने नान गजटेड कर्मचारी एवं चपरासी काम करते हैं और उनमें कितने पिछड़ी जाति के हैं और कितने हरिजन ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---प्रदेश के पशु पालन विभाग में इस समय काम करने वाले नान गजेटड कर्मचारी, चपरासियों की संख्या तथा उनमें पिछड़ी जाति व हरिजनों की संख्या निम्न प्रकार है।

नान गजटेड कर्मचारी	कुल	३१८४ हैं उनमें	३०० कर्मचारी पिछड़ी जाति के हैं तथा १३९ हरिजन हैं।
चपरासी inferior servants	कुल	२४१० हैं उनमें	५१४ कर्मचारी पिछड़ी जाति के हैं तथा ३१६ हरिजन हैं।

श्री रामवचन यादव---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब हरिजनों के लिये १८ प्रतिशत सुरक्षित स्थान कर दिये गये हैं तो यह ५ प्रतिशत से भी कम होने का क्या कारण है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---बाज औकात काफ़ी तादाद में उपयुक्त आदमी नहीं मिलते हैं। यह भी एक कारण हो सकता है। अब यह हिदायत करदी गई है कि उनका कोटा के मुताबिक तकरुर हो।

श्री रामबचन यादव---क्या चपरासी के लिये भी योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---बाज औकात नहीं आते हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---जब चपरासियों का सेलेक्शन हुआ था उस समय हरिजनों और पिछड़ी जाति वालों की कितनी अर्जियां आई थीं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---नोटिस की आवश्यकता है।

श्री उग्रसेन---जब उनके विभागों में चपरासियों की भरती होती है तो उसके लिये पहले से कोई बाकायदा अखबार में इश्तिहार होता है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---यह वहीं मुकामी अफसर करते हैं। यहां मुझे इसकी इत्तिला नहीं है। सम्भवत : एम्पलायमेंट एक्सचेंज के जरिये नाम आते हैं।

श्री गेंदासिंह---क्या इस कम संख्या को पूरी करने की चेष्टा की जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अवश्य।

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या सरकार को मालूम है कि सेंट्रल बैकवर्ड क्लासेज कमीशन ने यह कहा था कि ८० फीसदी लोग पिछड़ी जाति के रखे जावें ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---मुझे याद नहीं है।

मुजफ्फरनगर जिले में ट्रैक्टरों के लिए तकावी का वितरण

*२८--श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुजफ्फरनगर में १९५२ से १९५७ तक कितने व्यक्तियों को कुल कितनी-कितनी तकावी ट्रैक्टरों के लिये दी गई और उनमें से कितने व्यक्तियों ने तकावी का धन वापस नहीं किया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जिला मुजफ्फरनगर में १९५२-५३ से १९५६-५७ तक २२ व्यक्तियों को कुल २,०३,००० रुपया ट्रैक्टर खरीदने के लिये तकावी दी गई। इन लोगों से ६ माही किस्तों में रुपया वसूल किया जा रहा है । जो लोग समय पर किस्त नहीं देते उनसे वसूली के लिये उचित कार्यवाही की जाती है । किसी के धन न वापस करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामदास आर्य--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसकी कोई जांच कराई गई है या नहीं कि इन २२ व्यक्तियों ने तकावी का सदुपयोग किया है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--सब के बारे में डिटेल बतलाना असम्भव है लेकिन अधिकांश लोगों ने किया है, जिनकी रिपोर्टें मौजूद हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--इन २२ व्यक्तियों के लिये क्या सरकार के पास ऐसे आंकड़े उपलब्ध हैं कि वे बता सकें कि अधिक से अधिक और कम से कम एक व्यक्ति को कितनी तकावी दी गई। ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--एक आदमी को तो १ लाख और ५ हजार तक दी गई थी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--जिसे १ लाख रुपया दिया गया उसका क्या नाम है और उसने कितने ट्रैक्टर उसमें से खरीदे ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--उनका नाम पन्नालाल है। उनसे कुछ किस्तें ड्यु हो गई हैं और उनके वसूल करने के लिये कोअरसिव मैजर्स अखत्यार किये जा रहे हैं क्यों कि वे दे नहीं रहे हैं।

श्री रामदास आर्य--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कपा करेंगे कि इन २२ व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति का कोई ऐसा प्रार्थना पत्र आया है कि यह तकावी माफ कर दी जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मुमकिन है आये हों लेकिन माफ किसी को नहीं किया जायगा ।

श्री सुरथबहादुर शाह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इनमें से कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसने ट्रैक्टर की तकावी ली हो लेकिन ट्रैक्टर न खरीदें हों ?

श्री हुकुम सिंह विसेन-- ऐसा हो सकता है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन २२ व्यक्तियों को ट्रैक्टर के लिये तकावी दी गयी है, उनमें से कितने ऐसे हैं जिन्होंने किस्त वाजिब होने पर भी अभी तक अदा नहीं की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--दो ऐसे हैं । उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार यह बतायेगी कि ट्रैक्टर के संबंध में जो तकावी दी जाती है उसकी ज्यादा से ज्यादा और कम से कम तादाद क्या है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---तादाद कोई मुकर्रर नहीं है। जरूरत को देखते हुये दी है।

श्री गेंदासिंह---मुजफ्फरनगर जिले में कुल कितनी तकावी दी गयी है और उसमें से कितनी अभी तक वसूल नहीं हो पायी है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---जवाब में दिया गया है कि दो लाख तीन हजार रुपया तकावी में दिया गया। वसूल हुई रकम की हमारे पास डिटेल है, योग नहीं है।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जिन लोगों ने ट्रैक्टर के लिये तकावी ली और ट्रैक्टर्स नहीं खरीदे और न रुपया ही वापस किया, सरकार उनके खिलाफ कौन सी कार्यवाही कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---ऐसा कोई केस हमारे नोटिस में नहीं आया, नहीं तो फौरन वसूल कर लेते।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिनको १,०५,००० रुपया तकावी दी गयी है, उनके पास कितने ट्रैक्टर इस वक्त मौजूद हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री सुरथ बहादुर शाह---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनका कितने ऐंसों से ताल्लुक है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री बलदेव सिंह---जिसको १,०५,००० रुपये की तकावी दी गई थी, क्या सरकार को मालूम है कि उसने कोई ट्रैक्टर नहीं खरीदा ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---यह बात सही नहीं मालूम होती, मैंने इसके लिये नोटिस मांगा है।

श्री जंगबहादुर वर्मा---जिसमें १,०५,००० रुपया दिया गया है उसने अपने प्रार्थना पत्र में कितने ट्रैक्टर खरीदने के लिये लिखा था और कितने खरीदे ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---वह दरख्वास्त हमारे सामने नहीं है।

बिजनौर के सरकारी महिला चिकित्सालय के कर्मचारियों को निवास स्थान का कष्ट

*२९---श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)---क्या सरकार जिला बिजनौर में स्थित सरकारी महिला चिकित्सालय में नर्सों तथा कर्मचारियों के रहने के स्थान को बढ़ाने के लिये शीघ्र ही कोई व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---जी हां।

*३०---श्रीमती चन्द्रावती---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त अस्पताल म कितनी धनराशि वार्षिक व्यय के लिये पृथक से कितनी-कितनी किस-किस मद से दी जाती है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---महिला चिकित्सालय, बिजनौर को निम्नलिखित धनराशि विभिन्न मदों के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये स्वीकृत की गयी है---

		रु०
१---बिस्तर तथा वस्त्र	..	३७५
२---आकस्मिक व्यय	..	९४७
३---टेलीफोन	..	३५२
४---दवाइयां	..	२,५३०
५---शल्य कार्य के लिये पट्टी इत्यादि	..	२००
६---फर्नीचर की मरम्मत इत्यादि	..	७५
७---अस्पताल के भवन के रख रखाव इत्यादि के लिये	..	६८८
८---बीमारों के लिये भोजन सामग्री	..	२,०१२

श्रीमती चन्द्रावती---माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो प्रश्न संख्या २९ के सम्बन्ध में जवाब दिया है, उसमें व्यवस्था करने का तो अब तक क्या विचार हुआ है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---दो कम्पाउंडर, दो नर्स और १५ स्टाफ के लिये मकान बनाये जायेंगे ।

श्रीमती चन्द्रावती---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय इसके लिये कितनी धनराशि रखी गयी है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---धनराशि की तादाद इस वक्त नहीं बतला सकता हूं लेकिन इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बन जायेंगे ।

श्रीमती चन्द्रावती---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो धनराशि वर्तमान वर्ष के लिये दी गयी है, गत वर्ष जो धनराशि दी गयी थी, उससे बढ़ी है या उतनी ही दी गयी है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्रीमती चन्द्रावती---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि प्रदेश के जितने मर्दाना अस्पताल हैं उनको देखते हुये महिला चिकित्सालयों के लिये जो वार्षिक बजट दिया जाता है, उसके न्यूनतम होने के क्या कारण हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---जरूरियात कम होती हैं बमुकाबिले उनके ।

श्रीमती चन्द्रावती---क्या माननीय मंत्री जी जो धनराशि बिजनौर के लिये दी जाती है, उसमें बिस्तर तथा वस्त्र, दवाइयां और भोजन सामग्री की धनराशि को रोगियों की संख्या प्रति दिन बढ़ने के कारण बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---यदि कमी होगी तो पूरा किया जायगा ।

फाजिलनगर जिला देवरिया में जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने के लिए आदेश

*३१---श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---क्या सरकार फाजिलनगर (देवरिया) में जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने का विचार कर रही है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---फाजिलनगर में इस साल एक जच्चा-बच्चा केन्द्र और डिस्पेन्सरी खोलने का आदेश दे दिया गया है ।

श्री रामायणराय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि फाजिलनगर में जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने का आदेश कब दिया गया था और वह आदेश कब तक कार्यान्वित हो जायगा ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--हाल ही में आदेश दिया गया था और जल्द ही कार्यान्वित हो जायगा ।

फाजिलनगर, जिला देवरिया के अस्पताल में शय्यायों की कमी

*३२—श्री रामायंग राय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फाजिलनगर देवरिया के सरकारी अस्पताल में कितने रोगियों की शय्या की व्यवस्था है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—फाजिलनगर, जिला देवरिया के सरकारी अपस्ताल में ४ रोगियों की शय्याओं की व्यवस्था है ।

श्री रामायणराय—क्या माननीय मंत्री जी इस अस्पताल में जो लगभग २ लाख जन संख्या के बीच में चिकित्सा के लिये निर्मित है, शय्यायें तथा अन्य चिकित्सा व्यवस्था में वृद्धि के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--धनाभाव के कारण अभी ऐसा होना सम्भव नहीं प्रतीत होता है ।

प्रथम पंचवर्षीय योजनान्तर्गत स्थानान्तरित आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधालय

*३३--श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन सी आयुर्वेदिक या यूनानी डिस्पेंसरी विकास खंड या ब्लाक या कम्युनिटी प्रोजेक्ट खुलने के कारण हटा दी गई हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास ब्लाक या कम्युनिटी प्रोजेक्ट खुलने के कारण निम्नलिखित डिस्पेंसरी हटाई गई है:

कहां से		कहां को	
स्थान	जिला	स्थान	जिला
१--रतनपुर	बलिया	चकरा	बलिया
२--एरिच	झांसी	रौड़ा	बुलन्दशहर
३--बहादुरपुर बस्ती	बस्ती	जमदाशाही	बस्ती
४--वेसवां	अलीगढ़	वाजना	मथुरा
५--उसांवा	बदायूं	खेड़ा जलालपुर	बदायूं

श्री मदन गोपाल वैद्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डिस्पेंसरीज को शिफ्ट करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—नियोजन विभाग को लिख दिया गया है कि एन० ई० एस० ब्लाक्स व कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में जहां आयुर्वेदिक या यूनानी डिस्पेंसरीज हैं वह न हटाई जायं और अगर एलोपैथिक डिस्पेंसरीज खोलना हो तो वह ४–५ मील दूर दूसरी जगहों में खोली जायं ।

श्री मदन गोपाल वैद्य—क्या सरकार डिस्पेंसरीज को शिफ्ट करने के सम्बन्ध में जिला एडवाइजरी कमेटी से सलाह लिये बगैर ही कार्यवाही कर देती है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---ऐसा तो नहीं होता ।

श्री मदन गोपाल वैद्य---क्या सरकार बतायेगी कि जिला प्लानिंग कमेटी की सिफारिश के मुताबिक डिस्पेंसरीज की तकसीम नहीं की जाती है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---इसी वजह से तो प्लानिंग विभाग को लिख दिया गया है ।

देशी चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिए योजनायें

*३४---श्री मदन गोपाल वैद्य---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देशी चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिये इस वित्तीय वर्ष में क्या योजना है और गत वर्ष इस योजना के अंतर्गत क्या काम हुआ है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७३-७४ पर)

श्री मदन गोपाल वैद्य---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आयुर्वदिक और यूनानी के विकास के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की जो योजनायें है और जिन से कि प्रदेशीय सरकार को सहायता निश्चित ही मिल सकती है, उनका उपयोग किया गया है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---जहां तक उपलब्ध हुई उपयोग किया गया है और जहां तक आइन्दा मिलने वाली है वह जब मिलेंगी उनका उपयोग किया जायगा ।

श्री मदन गोपाल वैद्य---क्या सरकार बतायेगी कि दवे कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं उनको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कहां तक कार्यान्वित किया जा रहा है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---अन्शतः किया गया है और बाकी पर विचार हो रहा है ।

लखनऊ में गूंगे और बहरों के इलाज के प्रबंध के लिए प्रार्थना

*३५---श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गूंगे और बहरों के इलाज का प्रबन्ध आगरे के अतिरिक्त लखनऊ में भी करने की योजना है और कब तक ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---ऐसी कोई योजना नहीं है ।

श्री टीकाराम पुजारी---क्या सरकार कृपा कर बातयेगी कि गूंगे और बहरों का इलाज आगरे के अतिरिक्त लखनऊ में भी करने जा रही है ? यदि हां तो कब तक ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---अलग गूंगे बहरों के इलाज का इंतजाम करने की जरूरत नहीं है, जो हमारे अस्पताल हैं उन्हीं में उनका इलाज हो रहा है और अभी ऐसी ही योजना है ।

श्री टीकाराम पुजारी---इन भयंकर रोगों पर सरकार कब तक काबू पा सकती है जिससे जनता का भला हो ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---बड़ा मुश्किल है ।

* * * *

सदर अस्पताल बस्ती में मरे वार्ड ब्वाय की विधवा पत्नी व माता को सहायता देने की प्रार्थना

*३७—श्री उदयशंकर (जिला बस्ती)—क्या सरकार को कोई सूचना है कि सदर अस्पताल बस्ती में जिस वार्ड ब्वाय (Ward Boy) से बिजली के तारों को ठीक करने का काम लिया जाता रहा था उसका गत १७-८-५७ को बिजली के एक खंभे का तार ठीक करते समय शाक लगने से देहान्त हो गया ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी—गत अगस्त में सदर अस्पताल बस्ती में जिस वार्ड ब्वाय की मृत्यु हुई थी उसे बिजली का शाक नहीं लगा था। उसकी मृत्यु सीढ़ी से जमीन पर गिरने से चोट लगने के कारण हुई।

*३८—श्री उदयशंकर—क्या सरकार कृपया उपर्युक्त मामले की जांच करायेगी और इस पर प्रकाश डालेगी कि बिना लाइसेंस के उस वार्ड ब्वाय से बिजली का काम क्यों लिया जाता रहा ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी—जांच हो चुकी है ? वार्ड ब्वाय से केवल बल्ब बदलने, शेड आदि साफ करने का काम लिया जाता था, अतः लाइसेंस का प्रश्न नहीं उठता।

*३९—श्री उदयशंकर—क्या सरकार मृत वार्ड ब्वाय की विधवा वृद्ध मां और स्त्री को कोई सहायता अथवा हर्जाना देने का विचार रखती है ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी—मृतक की विधवा पत्नी को नियुक्ति ११ सितम्बर, १९५७ से जिला चिकित्सालय में फीमेल वार्ड सर्वेन्ट के पद पर कर दी गई है। मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है।

श्री उदयशंकर—यह सीढ़ी किस काम के लिए लगायी गयी थी और कहां लगायी गयी थी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—अस्पताल के अन्दर लगायी गयी थी सम्भवतः और शायद बल्ब वगैरह लगाने या शेड साफ करने के लिए लगायी गयी थी, यह ठीक नहीं कह सकता।

श्री उदयशंकर—क्या सरकार को यह इत्तला है कि यह सीढ़ी बिजली के खम्भे पर लगायी गयी थी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—मैं पता लगा कर बताऊंगा। मुझे इसकी सूचना नहीं है।

इलाहाबाद-कानपुर क्षेत्र में बीज की खरीद

*४०—राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद-कानपुर क्षेत्र में अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, १९५७ में कृषि विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार का कितना-कितना बीज किन-किन अड़तियों से खरीदा गया और किस-किस भाव पर ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—वांछित सूचना संलग्न सूचियों में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७५-७६ पर)

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि यह बीज की खरीद टेंडर मांग कर हुई या प्राइवेट निगोशिएंश के आधार पर ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—टेंडर मांग कर।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---यह जो प्रश्नोत्तर दिया है इसमें एक सूची में कहा गया है कि कालम ४ में जो दाम दिये गये हैं उसमें बोरों का भी दाम शामिल है और मूंगफली वगैरह में यह कहीं नहीं लिखा है कि इस दाम में बोरों के दाम भी शामिल हैं। तो क्या सरकार को बिना बोरों के मूंगफली मिली या बोरियां अलग से खरीदनी पड़ीं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---शायद कहीं भ्रम है। ठीक नहीं बता सकता। नोटिस पाने पर बताऊंगा।

फतेहपुर जिले में रिफ्यूजी क्वार्टर्स

*४१---श्री गुप्तार सिंह (जिला फतेहपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर में कितने रिफ्यूजी क्वार्टर बने हैं और उनमें कितने ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं और खास कर ई० ब्लाक में ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---वहां उदवासितों के लिये पचास गृह व दुकान (दो कमरे वाले क्वार्टर) बने हैं जिनमें से बीस क्वार्टर खाली पड़े हैं। ई० ब्लाक में दस क्वार्टर खाली हैं।

*४२---श्री गुप्तार सिंह---क्या यह सही है कि ई० ब्लाक के समस्त क्वार्टरों की खिड़कियां और किवाड़े लोग उखाड़ ले गये हैं ? अगर हां, तो उनकी तादाद क्या है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां। ई० ब्लाक के क्वार्टरों में से लोग ६० किवाड़े और १४ खिड़कियां उखाड़ ले गये हैं।

श्री गुप्तार सिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह क्वार्टर के जो किवाड़ उखाड़े गये, ये किसी के सुपरविजन में थे या यों ही पड़े थे ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---कोई चौकीदार नहीं मुकर्रर था।

श्री गुप्तार सिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो क्वार्टर अब खाली हैं यह पहले किराये पर भी उठाये गये थे ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---बीस करीब खाली पड़े रहे। किराये पर नहीं उठे जहां तक इत्तला है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह क्वार्टर्स खाली पड़े रहने का कारण क्या है ? रिफ्यूजी कम हैं या उनका किराया अधिक है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---वहां रिफ्यूजी अब कम हो गये। पहले ज्यादा थे जब १९४८ में बने थे। उसके बाद वहां रोजगार धंधा कम हुआ तो रिफ्यूजी कम हो गये। लिहाजा क्वार्टर खाली रहे।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी से मैं यह पूछ सकता हूं कि अब उन क्वार्टरों की हिफाजत पर कोई चौकीदार रखा गया है या रखने का विचार है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---अब रखा गया है।

* * * *

लखीमपुर के सरकारी अस्पताल में आपरेशन्स

*४४---श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखीमपुर के सरकारी अस्पताल में सन् १९५७ में हाथों और पैरों के आपरेशनों को छोड़ कर बाकी कितने आपरेशन हुये और इन आपरेशनों में कितने सफल हुये ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---लखीमपुर-खीरी के सरकारी अस्पताल में १ जनवरी, १९५७ से १४ सितम्बर, १९५७ तक ऐसे कुल ६४८ आपरेशन हुये। इनमें ६४० आपरेशन सफल हुए।

*४५—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त आपरेशनों में कितने प्रतिशत मौतें हो गईं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—केवल १.३ प्रतिशत ।

*४६—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन आपरेश में कितने सिविल सर्जन ने किये और कितने किन-किन डाक्टरों ने किये ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—आपरेशनों का विवरण इस प्रकार है :

	संख्या
सिविल सर्जन	४६
डा० एस० एल० गुप्ता	३६४
डा० बी० एम० मनी	११
डा० (श्रीमती) टी० मनी	१६४

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो तालिका दी गई है ६४८ आपरेशन्स की, इसमें कितने माइनर आपरेशन्स हैं और कितने मेजर ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—इनमें से ४६ आपरेशन्स सिविल सर्जन ने किये थे। ४०४ आपरेशन्स जिला अस्पताल में हुए । १६५ आपरेशन्स महिला चिकित्सालय में किये गये थे । जिला अस्पताल में ४०४ आपरेशन्स में से २७ मेजर आपरेशन्स थे और ३७७ माइनर, तथा महिला चिकित्सालय में १६५ में से ६० मेजर आपरेशन्स थे और १०५ माइनर ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि एक ही अस्पताल में दो असिस्टेंट सर्जन हैं और एक ने ३६४ आपरेशन्स किये और एक ने केवल ११ ही किये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं साफ तो नहीं बता सकता । लेकिन शायद दिन बटे रहते हैं किसी दिन ज्यादा आ गये तो ज्यादा आपरेशन्स मिल गये और किसी दिन कम आये तो कम मिल गये ।

उन्नाव जिले के मोहान तथा अन्य गावों में हैजा रोकने के क.म

*४७—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के अन्तर्गत ग्राम मोहान में इस वर्ष कालरा से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और उक्त रोग कब से शुरू हुआ, कब तक चला और उसे रोकने के लिये क्या विशेष उपाय सरकार की ओर से प्रयोग में लाये गये ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—उन्नाव जिले के अन्तर्गत ग्राम मोहान में इस वर्ष कालरा एवं गैस्ट्रोइन्ट्राईटिस की बीमारी से ८८ मृत्युएं हुई हैं । बीमारी का प्रारम्भ ३१ जुलाई से हुआ था जो २६ अगस्त तक रही बीमारी रोकने के हेतु निम्नलिखित उपाय किय गये :

एक अस्थाई अस्पताल बीमारी को विलग करने तथा उनकी चिकित्सा के लिये हसनपुर में खोला गया । ग्राम के ३५० कुओं तथा १३७ ग्रसित घरों का दवाइयों द्वारा निःसंक्रामीकरण किया गया । मक्खियों को कम करने के लिये डी० डी० टी० का छिड़काव किया गया । एक पखवारे के लिये मोहान ग्राम में वैधानिक तरीके स बीमारी का टीका लगवाया जाना अनिवार्य कर दिया गया साथ ही उक्त समय तक के लिये ग्राम का बाजार भी बन्द करवा दिया गया था । ४,४००की आबादी में ४,०५० मनुष्यों के कालरा रोक निवारक टीके लगाये गये, बीमारी का प्रकोप बढ़ने के भय से ग्राम में २८ अगस्त को होन वाला कजरी तीज का मेला रोक दिया गया ।

*४८—श्री सजीवन लाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष उन्नाव जिल में कितने गांवों में कालरे की बीमारी फैली और उसमें कितनी मौतें हुई और उसकी रोकथाम के लिये जिला स्वास्थ्य विभाग को क्या विशेष सहायता सरकार की ओर से प्रदान की गई ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—उन्नाव जिलें के १४४ ग्रामों में इस वर्ष कालरा व गस्ट्रोइन्ट्राईटिस की बीमारी हुई जिसके कारण २३-११-१९५७ तक ७६५ मृत्युएं हुईं। जिले में बीमारी की रोकथाम के हेतु अतिरिक्त स्टाफ नियुक्त किया गया जिसमें ९ एपीडेमिक असिस्टेंट और २ मेडिकल आफिसर तथा एक कपाउन्डर हैं। जिले में नगर के स्थित छुतहे अस्पताल के अतिरिक्त शफीपुर पुरवा, व हसन पुर में ३ अस्थाई अस्पताल बीमारों को विलग करने तथा उनकी चिकित्सा के हतु खोले गये। सभी आवश्यक दवाइयां तथा निःसंक्रमण करने वाली औषधियों व वैक्सीन आदि विभाग द्वारा उचित मात्रा में जिले को दी गईं। इसके अतिरिक्त बीमारी से सम्बन्धित सामयिक खर्चों के हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी को ३,५०० रुपये की स्वीकृति भी दी गई।

श्री सजीवनलाल—क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कालरे से जिनकी मृत्यु हुई, उन मृतकों की संख्या किसकी रिपोर्ट पर आधारित है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला अधिकारियों की।

श्री सजीवनलाल—क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो अस्थायी अस्पताल खोला गया था वह उस गांव से १३ मील की दूरी पर था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अब दो खोले गये थे। गांव तो दूर होंगे ही। हर गांव में तो नहीं खोला जा सकता।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बीमारी से पहले उसका प्रबन्ध किया गया या बीमारी के बाद किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जब जरूरत महसूस हुई।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हसनपुर में जो अस्पताल खोला गया था उसका इन्चार्ज कौन था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कोई डाक्टर था, नाम नहीं मालूम।

श्री भीखालाल—क्या माननीय मंत्री जी इस बात का पता लगाने की कृपा करेंग कि हसन पुर में कोई अस्पताल नहीं खोला गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसकी जरूरत नहीं। मुझे इत्तला है कि खोला गया।

[२० दिसम्बर, १९५७ के लिये रखे गये प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

*१-२—श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह (जिला गोंडा)—[३ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

होम्योपैथिक कालेज, लखनऊ का प्रबन्ध तथा अनुदान

*३—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि होमियोपैथिक कालेज, लखनऊ को १९५६-५७ में कितनी सरकारी सहायता दी गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सन् १९५६-५७ में इस कालेज को निम्नलिखित सहायता दी गई :

(१) ८६,००० रु० कालेज के रख रखाव (maintenance) तथा शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन के लिये।
(२) २५,००० रु० साज सज्जा के लिये।
(३) २,२४,००० रु० भवन के लिये।

*४—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि लखनऊ होमियोपैथिक कालेज का प्रबन्ध किसके हाथ में है और गत दो वर्षों में उसकी प्रगति क्या हुई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—लखनऊ होम्योपैथिक कालेज का प्रबन्ध जुलाई, १९५६ से एक प्रबन्ध समिति (Board of Management) के हाथ में है।

कालेज और अस्पताल के लिये आवश्यक शिक्षकों आदि की नियुक्ति हो चुकी है और इन डोर अस्पताल तथा कालेज के भवन के निर्माण के सम्बन्ध में उक्त समिति उचित कार्यवाही कर रही है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कमेटी सरकारी है या गैरसरकारी, जिसके हाथ में इन्तजाम है होम्योपैथिक कालेज का ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सरकारी तो है नहीं।

श्री सुल्तानआलम खां—क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतलायेगी कि जो रुपया इमारत के लिये कालेज को दिया गया था उसमें से कुछ रुपया सर्फ हुआ और हुआ तो कितना ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कुछ सर्फ जरूर हुआ लेकिन तादाद इस वक्त ठीक नहीं बता सकता।

श्री सुल्तानआलम खां—क्या सरकार मेहरबानी कर के यह बतलायेगी कि कालेज की नई इमारत बनाने के लिये जमीन हासिल कर ली गई या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बोर्ड आफ मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो कालेज में इन्डोर अस्पताल और लेबोरेटरीज वगैरह खोली जा रही हैं उनके लिये मौजूदा इमारत में स्थान की कमी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उसी में इन्तजाम किया जा रहा है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि भवन के सम्बन्ध में जब भूमि भी नहीं है तो क्या उचित कार्यवाही है जो कमेटी कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—भूमि की प्राप्ति एक उचित कार्यवाही है।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जब भूमि नहीं है तो भवन के सम्बन्ध में कैसे रुपया खर्च होगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—रुपया नहीं दिया जाता और भूमि प्राप्त हो जाती तो कैसे काम चलता ? रुपया मंजूर कर दिया गया है, भूमि की प्राप्ति और भवन बनने, दोनों के लिये।

श्री सुल्तान आलम खां--क्या सरकार ने यह इत्मीनान कर लिया है कि जो मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई थी वह अपना काम ठीक तरह से मिल जुल कर कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--क़यास यही था, और अब भी यह क़यास है।

बिजनौर के सरकारी मर्दाना अस्पताल की मरम्मत पर खर्च

*५--श्रीमती चन्द्रावती--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष २५,००० रुपये की धनराशि जो जिला बिजनौर में स्थित सरकारी मर्दाने अस्पताल को दी गई थी वह किस प्रकार व्यय की गई है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--जिला बिजनौर में स्थित सरकारी मरदाने अस्पताल को २५,००० रु० की धनराशि १९५५-५६ में स्वीकृत हुई थी जिसका उपयोग निम्नलिखित सुधार एवं मरम्मत के कार्यों पर हुआ :

(क) जनरल वार्ड में
(ख) जनरल वार्ड से मिला हुआ स्नानागार
(ग) आउट पेशेन्ट्स ब्लाक
(घ) मेडिकल आफिसर का कार्यालय तथा एक्सरे का कमरा
(ङ) आपरेशन वाला कमरा
(च) प्राइवेट वार्ड्स
(छ) टी० बी० (तेपेदिक) वार्ड्स
(ज) आइसोलेशन ब्लाक
(झ) कम्पाउन्डरों के क्वार्टर्स

*६--श्रीमती चन्द्रावती--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त अस्पताल में छोटी श्रेणी के कर्मचारियों के निवास स्थान जो बड़ी ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं उनकी मरम्मत या पुनर्निर्माण कब तक किये जाने का विचार है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--इस सम्बन्ध में सिविल सर्जन बिजनौर से प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं जिनके प्राप्त होने पर उन पर विचार किया जायगा।

श्रीमती चन्द्रावती--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जनरल वार्ड में जो मदें खर्च की गयी हैं उनकी पृथक-पृथक धनराशि क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कुल तो २५,८१९ रुपया खर्च हुआ । अलग-अलग मेरे पास है, अगर माननीय अध्यक्ष इजाजत दें तो बतला दूं।

श्री अध्यक्ष--अलग अलग ब्यौरा बताने की इजाजत मैं नहीं दे सकता। इसमें अधिक समय नष्ट होगा।

श्रीमती चन्द्रावती--क्या माननीय मंत्री जी कम्पाउन्डर्स के क्वार्टर्स के लिये जो धनराशि खर्च हुई है उसको बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--४,१७३ रु०।

श्रीमती चन्द्रावती--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यह कम्पाउन्डर्स के क्वार्टर्स पर जो धनराशि खर्च हुई है वह मरम्मत के लिये है या नया शुरू से बनाने के लिये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--माननीय प्रश्नकर्त्री वहीं की रहने वाली हैं, खुद जानती होंगी।

धर्मादा तथा सामूहिक कोष पर बिल तैयार करने का विचार

*७—श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—क्या सरकार धर्मादा समितियों के आय-व्ययक की देखभाल तथा सरकारी नियंत्रण के लिये राज्य-व्यापी कमेटी बनाने का विचार कर रही है और इन समितियों का रुपया जो किसानों से वसूल किया जाता है नियोजन के कार्यों तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिये प्राप्त करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं। परन्तु धर्मादा तथा सामूहिक कोष पर बिल तैयार करना सरकार के विचाराधीन है।

बहराइच जिले के नानपारा कस्बे में जनाना अस्पताल खोलने का विचार

*८—श्री बुद्धीलाल (जिला बहराइच)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बहराइच जिले के नानपारा नामक कस्बे में जनाना अस्पताल बनाने या खोलने की कोई योजना उसके विचाराधीन है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस स्थान पर एक जनाने अस्पताल के भवन निर्माण तथा स्थापना के प्रश्न पर अगले वित्तीय वर्ष में विचार किया जायगा।

मेडिकल कौंसिल के इन्स्पेक्टरों द्वारा लखनऊ मेडिकल कालेज के निरीक्षण की रिपोर्ट की मांग

*९—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार, कुछ समय पूर्व मेडिकल कौंसिल के इन्सपेक्टरों ने लखनऊ मेडिकल कालेज का जो निरीक्षण किया था, उस निरीक्षण की रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—उनकी रिपोर्ट गोपनीय है इसलिये मेज पर नहीं रखी जा सकती।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या यह सही है कि उस रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई हैं उन पर अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? अगर नहीं की गई है तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—विचाराधीन है।

कानपुर में कन्ज्यूमर्स प्राइस इन्डेक्स का बढ़ना

*१०—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार को ज्ञात है कि कानपुर का कन्ज्यूमर्स प्राइस इन्डेक्स दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है ?

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—इधर कुछ समय से कानपुर का कन्ज्यूमर्स प्राइस इन्डेक्स कुछ न कुछ बढ़ रहा है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस बढ़ते हुए इंडेक्स को रोकने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह सवाल बहुत व्यापक है और सारे देश के आर्थिक ढांचे से सम्बन्धित है। सरकार की नीति रीति का जहां तक सम्बन्ध है वह यही है कि वह कम हो।

श्री रामाधीन—बढ़ते हुए प्राइस इंडेक्स को देखते हुये क्या माननीय मंत्री जी मंहगाई भत्ते को बढ़ाने की बात सोच रहे हैं ?

×—×

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---६ दिसम्बर, १९४८ से बराबर इस प्रदेश में यह व्यवस्था रही है कि सूती और बिजली उद्योग में बढ़ती हुई मंहगाई का जो कास्ट आफ इंडेक्स है उसके साथ-साथ मंहगाई भत्ता भी घटता बढ़ता रहता है।

*११-१३---श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)---[३ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

राज्य में गन्ने की उपज

*१४---श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में पिछले पांच सालों में अलग-अलग कितने क्षेत्रफल में गन्ना बोया गया और उसकी पैदावार क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

वांछित सूचना के आंकड़े निम्नलिखित हैं :

वर्ष	क्षेत्रफल एकड़	उपज
१९५२-५३	२६,४५,०६१	२,६५,०६,७७३
१९५३-५४	१९,७३,०३७	२,०७,३२,३०३
१९५४-५५	२२,९१,७३६	२,८२,७६,९५९
१९५५-५६	२७,१९,५५८	२,९३,९९,५३२
१९५६-५७	३०,४९,७२३	३,४७,८३,२८१

*१५-१६---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---[३ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

जगनेर (आगरा) के डाक्टर के खिलाफ गुलाब देवी के आपरेशन के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

*१७---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के पास जगनेर (आगरा) के डाक्टर द्वारा एक विधवा गुलाब देवी की आंख के आपरेशन के सम्बन्ध में कोई पत्रादि (शिकायती) आये हैं ? अगर हां, तो सरकार ने उनके सम्बन्ध में क्या किया ?

श्री हुकुम सिंहविसेन---जी हां। शिकायत अभी सरकार के विचाराधीन है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत खीरी जिले में खुलने वाले चिकित्सालय

*१८---श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)---क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खीरी जिले में कितने अस्पताल किन-किन स्थानों पर बनाये जायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह अभी निश्चय नहीं हुआ है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १५० प्राइमरी हेल्थ यूनिट तथा ५०आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरियां खोलने का प्रबन्ध है और आवश्यकतानुसार खोले जाते हैं।

*१९---श्री जगन्नाथप्रसाद---क्या सरकार हुसेनपुर, कटौली, तहसील निघासन, जिला खीरी में अस्पताल बनवाने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं।

नोट:---तारांकित प्रश्न संख्या १० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

आजमगढ़ जिले में कोरौली के बीज गोदाम की इमारत

*२०--श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार को ज्ञात है कि कोरौली, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ में सरकारी बीजगोदाम भवन की नींव राजस्व मन्त्री, उत्तर प्रदेश द्वारा १९५५ में डाली गई थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं। ऐसी कोई सूचना सरकार को नहीं है।

*२१--श्री मुक्तिनाथ राय--यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उपर्युक्त भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है ? और यदि नहीं, तो इस कार्य में इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह प्रश्न नहीं उठता।

जिला समाज कल्याण समिति उन्नाव का गठन

*२२--श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--क्या समाज-कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला समाज-कल्याण समिति उन्नाव का गठन कब किया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर--२२ अप्रैल, १९५७ को।

*२३--श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या समाज कल्याण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिला समाज-कल्याण समिति उन्नाव को कितने रुपये की सहायता दी गई और अन्य कौन-कौन सी सुविधायें प्रदान की गई हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--५०० रु० की आर्थिक सहायता दी गयी है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सुविधा नहीं दी गई है।

*२४--श्री भगवतीसिंह विशारद--[२६ दिसम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ७९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

वेश्यावृत्ति पर रोक लगाने के सम्बन्ध में जानकारी

*२५--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में वेश्याओं की संख्या क्या है और क्या सरकार वेश्यावृत्ति पर रोक लगाने का विचार कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर--प्रदेश में वेश्याओं की संख्या की सूचना उपलब्ध नहीं है तथा सरकार वेश्यावृत्ति पर रोक लगाने के प्रश्न पर अभी कोई विचार नहीं कर रही है।

*२६--श्री गनेशचन्द्र काछी--यदि हां, तो कब तक ?

आचार्य जुगलकिशोर--यह प्रश्न नहीं उठता।

प्रतापगढ़ में आई क्लिनिक को सहायता

*२७--श्री हरकेश बहादुर (जिला प्रतापगढ़)--क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रतापगढ़ में एक आई क्लीनिक (Eye Clinic) है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां।

*२८--श्री हरकेश बहादुर--यदि हां, तो क्या सरकार उस Eye Clinic की आर्थिक सहायता करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--२,००० रु० की अनावर्त्तक सहायता देने के आदेश २७, जून १९५७ को जारी किये जा चुके हैं।

राज्य में बीड़ी के कारखाने

*२९—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार उत्तर प्रदेश के उन बीड़ी कारखानों की सूची सदन के सम्मुख रखेगी जो कानून के अन्तर्गत नियंत्रित हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—यदि सदस्य महोदय का आशय कारखाना अधिनियम से है तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रित बीड़ी कारखानों के नाम हैं—

(१) मजदूर बीड़ी फैक्ट्री कैपरगंज, रायबरेली ।
(२) बैल छाप बीड़ी फैक्ट्री, कैपरगंज, रायबरेली ।
(३) नायाब बीड़ी फैक्टरी, लालबाग, मुरादाबाद ।

*३०—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कारखाना कानून द्वारा अप्रभावित उत्तर प्रदेश के बीड़ी कारखानों के मजदूरों को भी कारखाना कानून में उपलब्ध सुविधायें दिलाने की व्यवस्था पर विचार कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं ।

शाप्स ऐण्ड कार्मशियल इस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट का लागू होना

*३१—श्री मदन पांडेय—उत्तर प्रदेश के जिन कस्बों में अभी तक शाप्स और कर्मशियल एस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट लागू नहीं हुआ है, उनमें उसको कब तक लागू किये जाने की योजना है ?

आचार्य जुगलकिशोर—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्य काल में छूटे हुए व्यापारिक व औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरों को भी दूकान अधिनियम के अन्तर्गत लाने की सम्भावना है ।

मेडिकल कालेज, लखनऊ में बोन टी० बी० के मरीजों के रहने का प्रबन्ध न होना

*३२—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कालेज, लखनऊ में भरती टी० बी० के मरीज (T. B. of Bones) प्लास्टर लगा देने के बाद अस्पताल से बाहर कर दिये जाते हैं, और उन्हें बाहर रहकर इंजेक्शन, दवा आदि का स्वयं प्रबन्ध करना पड़ता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां ।

जालौन शहर में हैजे की रोकथाम के काम

*३३—राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में शहर जालौन में इस वर्ष हैजा से कितनी मृत्युयें हुईं तथा सरकार ने क्या-क्या प्रयत्न किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला जालौन में जून से २१ सितम्बर १९५७ तक ६५ मृत्युयें तथा शहर जालौन में इस वर्ष २४ जुलाई से ३१ अगस्त तक १११ मृत्युयें हैजा (गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस) से हुई हैं ।

बीमारी रोकने के लिये शहर जालौन में १०,१०३ हैजा निवारक टीके लगाये गये, करीब १,००० कुओं का दवा छोड़ कर निःसंक्रामीकरण किया गया । मक्खियों की संख्या कम करने के लिये नगर में डी० डी० टी० का छिड़काव किया गया तथा मरीजों की चिकित्सा का उचित प्रबन्ध संक्रामक अस्पताल में किया गया । उक्त कार्यों के लिये नगरपालिका

ने २ इनाकुलेटर, १ सेनिटरी इन्सपेक्टर तथा ८ मजदूरों की नियुक्ति की। इसके अतिरिक्त डकौर ब्लाक के तहसील के सेनिटरी इन्सपेक्टर, २ इनाकुलेटर तथा १ एपीडेमिक असिस्टेन्ट जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने उक्त कार्यों केहेतु कुछ दिनों के लिये भेजे। बीमारों को घर से तुरन्त अस्पताल पहुंचाने के लिये प्लानिंग डिपार्टमेन्ट से पिकअप मांग ली गई थी। नगर में जिन घरों में बीमारी फैली करीब सभी का दवाइयों द्वारा निःसंक्रामीकरण किया गया। जिले में ३९,९६६ टीके लगाये गये तथा बीमारी के रोकथाम की पूरी कोशिश की गई।

जालौन के सरकारी अस्पताल के डाक्टर के खिलाफ कथित शिकायत

*३४--राजा वीरेन्द्र शाह--क्या यह सही है कि जालौन के सरकारी अस्पताल के डाक्टर की यह शिकायत जनता द्वारा जिला अधिकारियों को दी गई कि वह इलाज के समय अधिक फीस मांगते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जनता द्वारा जालौन के सरकारी अस्पताल के डाक्टर की कोई शिकायत अधिक फीस लेने के सम्बन्ध में नहीं आई।

जालौन ज़िले के अस्पतालों का अनुदान बढ़ाने की प्रार्थना

*३५--राजा वीरेन्द्र शाह--क्या सरकार जालौन जिले के देहाती क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी को पूरी करने के लिये इस साल पिछली साल से अधिक अनुदान देने का विचार रखती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं।

बभनान केन यूनियन द्वारा नलकूपों का निर्माण

*३६--श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह (जिला गोंडा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बभनान केन यूनियन ने जो ट्यूबवेल अपने क्षेत्र में लगवाये हैं उन पर प्रत्येक ट्यूबवेल पर क्या खर्च हुआ और उनकी संख्या क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

विद्युत चालित नलकूप	१६,००० रु०
डीजेल चालित नलकूप	२२,००० रु०
संख्या	३७

बभनान केन यूनियन जिला बस्ती की आय तथा ऋण

*३७--श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बभनान केन यूनियन, जिला बस्ती की वार्षिक आय क्या है और उस पर कितना ऋण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

आय (१९५६-५७)	१,१४,४९९ रु० ३ आ०
ऋण	१६,२४,२७९ रु० १ आ०

कानपुर जिले में रूरा आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी का स्थानान्तरण

*३८--श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या चिकित्सा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम रूरा, तहसील अकबरपुर जिला कानपुर में एलोपैथिक डिस्पेन्सरी खुल जाने के कारण वहां की आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी क्यों हटायी जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सरकार की नीति है कि एक स्थान पर दो प्रकार की डिस्पेन्सरियां न खोली जायें। इसलिये रूरा में एलोपैथिक चिकित्सालय खुल जाने के कारण आयुर्वेदिक चिकित्सालय को किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने का प्रश्न उठा।

इटावा जिलान्तर्गत अयाना में डिस्पेंसरी खोलने का आश्वासन

*३९--श्री सुखलाल (जिला इटावा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जिला इटावा, तहसील औरैया, कस्बा अयाना में कोई डिस्पेन्सरी अस्पताल खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां। इस सम्बन्ध में आदेश जल्द ही जारी किये जायेंगे।

द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत इटावा जिले में खुलने वाले औषधालय

*४०--श्री सुखलाल--क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिला इटावा के ग्रामों में कितने अस्पतालों के खोलने का आयोजन किया गया है और कहां-कहां ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह अभी निश्चय नहीं हुआ है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १५० प्राइमरी हेल्थ यूनिट तथा ५० आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरियां खोलने का प्रबन्ध है और आवश्यकता अनुसार खोले जाते हैं।

*४१-४३--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--[२७ दिसम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

मधुबन तथा मझवारा अस्पताल, जिला आजमगढ़ के भवन

*४४--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मधुबन, जिला आजमगढ़ के अस्पताल के भवन का निर्माण का काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मधुवन अस्पताल के भवन का निर्माण पिछली जनवरी में पूरा हो चुका है। हाल में हैन्ड पम्प आदि भी ठीक कर दिये गये हैं।

*४५--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मझवारा, जिला आजमगढ़ के अस्पताल के भवन का निर्माण हो गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां।

*४६--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मझवारा अस्पताल के लिये डाक्टर एवं दवाइयों का प्रबन्ध कब होगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह प्रश्न विचाराधीन है।

केन्द्रीय हरिजन सलाहकार बोर्ड की हरिजनों को मकान बनवाने के लिए जमीन देने की सिफारिश

*४७--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)--क्या हरिजन कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय हरिजन सलाहकार बोर्ड ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि हरिजनों को मकान बनाने के लिये मुफ्त जगह दी जाय ?

हरिजन सहायक राज्य मन्त्री (श्री मंगलाप्रसाद)—जी हां।

*४८—श्री गनेशीलाल चौधरी—यदि हां, तो राज्य सरकार उसके लिये क्या योजना बना रही है ?

श्री मंगलाप्रसाद—प्रश्न विचाराधीन है।

बरेली रोजगार के दफ्तर से बेरोजगारों को रोजगार मिलना

*४९—श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली रोजगार के दफ्तर में जनवरी, १९५७ से अक्तूबर, १९५७ तक कितने बेरोजगार व्यक्तियों के नाम दर्ज हुये ?

आचार्य जुगलकिशोर—१५,६९३ व्यक्तियों के नाम दर्ज किये गये।

*५०—श्री शिवराज बहादुर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इनमें से कितने व्यक्ति ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, अन्डर ग्रेजुएट तथा कितने शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति उपर्युक्त दफ्तर में दर्ज किये गये ?

आचार्य जुगलकिशोर—पोस्ट ग्रेजुएट की संख्या ४२, ग्रेजुएट की ३३१, अन्डर ग्रेजुएट की ३१७१, शिक्षित की १,६३७ और अशिक्षित की १०,५१२ थी।

*५१—श्री शिवराजबहादुर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त व्यक्तियों में से कितनों को call letters दिये गये तथा उनमें से कितनों को नौकरियां मिलीं ?

आचार्य जुगलकिशोर—उपर्युक्त व्यक्तियों में से ४,९१५ व्यक्तियों को call letters भेजे गये और १,१८२ को नौकरी मिली।

*५२-५४—श्री उग्रसेन—[३ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

कानपुर के श्रम कल्याण केन्द्रों में हरिजन कर्मचारी

*५५—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर में श्रम-कल्याण की ओर से कितने श्रमिक कल्याण केन्द्र चल रहे हैं और उनमें कल्याण के कौन-कौन कार्य किये जाते हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—कानपुर में इस समय १६ श्रम हितकारी केन्द्र चल रहे हैं, जिनमें श्रमिकों की चिकित्सा, मनोरंजन, खेल-कूद, पुस्तकालय तथा वाचनालय, जच्चा-बच्चा विभाग, प्रौढ़ शिक्षा तथा श्रमिक महिलाओं के लिये सिलाई एवं कढ़ाई बुनाई की शिक्षा की व्यवस्था है।

*५६—श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन श्रम-कल्याण केन्द्रों में कितने कर्मचारी किस प्रकार के पदों पर कार्य कर रहे हैं ? उनमें कितने हरिजन हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—इन श्रम कल्याण केन्द्रों में इस समय कुल १९९ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जिनमें ८ हितकारी अधीक्षक, ८ संचालक, ६ एलोपैथिक चिकित्सक, ५ होम्यो-पैथिक चिकित्सक, ३ आयुर्वेदिक वैद्य, १ हकीम, १५ ऐलोपैथिक कम्पाउन्डर, ६ आयुर्वेदिक कम्पाउन्डर, २ यूनानी कम्पाउन्डर, १७ मिडवाइफ, ११ परिचारिकायें, ३३ चौकीदार, ३ संगीतज्ञ, ६ अल्पकालीन संगीतज्ञ, १४ माली, १५ मेहतर, तथा १० गाइड-कम-क्लर्क के पदों पर कार्य कर रहे हैं। इन समस्त कर्मचारियों में से १८ कर्मचारी हरिजन हैं।

*५७—श्री मुरलीधर कुरील—[३ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*५८-५९—श्री उग्रसेन—[माननीय सदस्य के तीन प्रश्नों से अधिक होने के कारण ३ जनवरी, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ३५-३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*६०-६१—श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)—[३ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

मैनपुरी जिले में खुलने वाले औषधालय

१—श्री रामदीन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में इस वर्ष कहां-कहां एलोपैथिक अस्पताल तथा आयुर्वेदिक औषधालय खोले जायेंगे और कब तक ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस वर्ष मैनपुरी जिले में तारापुर (तहसील भोगांव) में एक आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने के आदेश हाल ही में जारी किये गये हैं।

इस जिले में प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स (एलोपैथिक अस्पताल) के खोलने के सम्बन्ध में अभी निर्णय नहीं हो पाया है।

फेल हरिजन विद्यार्थियों से कालेज में फीस लेना

२—श्री रामदीन—क्या सरकार का कोई ऐसा आदेश हुआ है कि जो हरिजन विद्यार्थी फेल हुए हैं उनसे कालेजों में फीस ली जाय ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मंगलाप्रसाद—जी हां। फेल होने वाले हरिजन विद्यार्थियों से साधारणतः फीस लिये जाने के आदेश हैं। इसका कारण यह है कि विद्यार्थियों को दी जाने वाली सब सुविधायें concessions साधारणतः उनकी संतोषजनक प्रगति पर ही आधारित होती हैं।

परन्तु साथ ही यह भी आदेश है कि ऐसे मामलों में विद्यार्थी की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये संबंधित अधिकारीगण अपने विवेकानुसार शुल्क मुक्ति जारी रखने का निर्णय करें।

प्रश्न ७ को अगले दिन के लिए स्थगित करने की प्रार्थना

श्री केशव पांडेय—एक मेरी प्रार्थना थी- प्रश्नों के बारे में कि सातवें नम्बर के प्रश्न से हम दिलचस्पी रखते थे, अगर आप उसको कल रख दें तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, अब यह नहीं हो सकता कि कल दोबारा उसको रखा जाय।

३० नवम्बर, १९५७ को लखनऊ जेल में कथित लाठी-चार्ज के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री रामस्वरूप वर्मा ने यह कामरोको प्रस्ताव भेजा है। लेकिन यह तो वही है जो राजनारायण जी ने दिया था। उसके बारे में तो फैसला हुआ ही नहीं, दूसरा देने की जरूरत नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—मैं चाहता था श्रीमन्, कि जो आपने प्रश्न रख छोड़ा था कि उसका फिर फैसला देंगे, तो चूंकि राजनारायण जी नहीं हैं, इसलिए मैंने उसको नये तरीके से दे दिया।

13969

श्री अध्यक्ष—वह प्रश्न तब तक विचार में रहेगा जब तक मैं फैसला न दे दूं। मैंने उस वक्त कहा था कि मेरा फैसला मुल्तवी रहेगा; राजनारायण जी की गैरहाजिरी से यह फिर से पैदा नहीं होता है।

*श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जो दरख्वास्त माननीय राजनारायण जी ने हाई कोर्ट में दी थी—क्रिमिनल मिस्लेनियस ऐप्लीकेशन नम्बर ७९३, आफ १९५७, जिसके कारण कामरोको प्रस्ताव में यह सन्देह था कि वह सब-जूडिसी है, वह ऐप्लीकेशन बेंच के आर्डर से, जोड़ दी गयी थी क्रिमिनल मिस्लेनियस दरख्वास्त ७७८ आफ १९५७ से। यह ऐप्लीकेशन १८-१२-५७ को फाइनली डिस्पोज हो गयी है। श्रीमन् की सेवा में मैंने जजमेंट की प्रमाणित प्रतिलिपि भेज दी है। तो ऐसी दशा में जो राजनारायण जी ने दरख्वास्त दी थी वह अब पेंडिंग नहीं है और मैं आप से यह निवेदन करूंगा कि कामरेडको प्रस्ताव पर विचार करने की आज्ञा प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष—मैंने भी आज सबेरे जांच करने की कोशिश की और मैंने पुछवाया—जो आप चाहते थे डिप्टी रजिस्ट्रार से पूछने के लिये—पता चला कि इस आर्डर में दिया हुआ है कि—

"This order will govern Criminal Miscellaneous Applications nos. 800 and 812 of 1957."

यह जानकारी मुझे मिली। श्री राजनारायण का जो रिट था वह ७९३ नम्बर था, तो इसलिये जब डिप्टी रजिस्ट्रार से पूछा गया स्पेसिफिकली कि ७९३ का क्या हश्र हुआ तो उन्होंने यह कहा कि वह दोपहर तक दोनों जजेज को बेंच से पूछ कर मुझे इत्तला देंगे। वह आज शाम तक मार्फत ऐडवोकेट के इत्तला मिलेगी, प्रत्यक्ष इस बारे में मुझे नहीं लिखा जावेगा। इसलिये मैं इसको कल लूंगा। आज मेरे पास जवाब फाइनली आ जायगा रिट वेकेट हो जाने के सम्बन्ध में, तब मैं विचार करूंगा।

एक बात की व्यवस्था और थी जो श्री रामस्वरूप वर्मा जी ने पूछी थी कि उन्होंने इसलिये दूसरा कामरोको प्रस्ताव दे दिया है क्योंकि उन्हें शक है कि राजनारायण जी के प्रस्ताव के ऊपर विचार हो सकता है या नहीं,। तो मैंने यह कहा कि राजनारायण जी का प्रस्ताव अभी इस वक्त पेंडिंग है, लेकिन यह निर्णय हुआ है कि तबतक उस पर विचार नहीं हो सकता जबतक कि वह माननीय सदस्य सस्पेंडेड हैं, इसलिये रामस्वरूप जी का जो आज दिया हुआ है उसको भी मैं पेंडिंग रखता हूं और कल मैं इस पर विचार करूंगा। वैसे वह हैं दोनों एक ही, लेकिन चूंकि कल राजनारायण जी सस्पेंडेड रहेंगे तो मैं उनके प्रस्ताव पर विचार नहीं कर सकूंगा। इस लिये मैं श्री रामस्वरूप वर्मा के प्रस्ताव को अपने पास रखे लेता हूं और इसी पर मैं फैसला दूंगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहस कई दिनों से चल रही है और उसकी अर्जेन्सी खत्म हो जायगी क्योंकि कल सेशन चलेगा इसका कोई प्रस्ताव नहीं आया है और अगर चलेगा भी तो उसकी अर्जेन्सी खत्म हो जाती है, क्योंकि २३ तारीख का दिन नेकांफीडेंस वाले मोशन के लिये रख दिया गया है और २४ तारीख तक सेशन के चलने की बात है।

श्री अध्यक्ष—दो ही घंटे बहस होगी। अगर वह स्वीकार हुआ तो बहस कल भी हो सकती है और आज आपने दो ढाई घंटे इसलिये रखे हैं कि श्रम मंत्री वाले मामले पर बहस हो। इसलिये वैसे भी आज बहस इस पर नहीं हो सकती है। मैं अर्जेन्सी को खत्म नहीं कर रहा हूं। जब मैंने कह दिया है कि मैंने अर्जेन्सी वाले प्रश्न को वेव कर दिया है तो मैं देरी होने का ऐतराज नहीं होने दूंगा और किसी का ऐतराज इस कारण नहीं स्वीकार किया जायगा कि अर्जेन्सी नहीं रही। इसके ऊपर विचार इसी बात पर होगा कि वह रिट का हुक्म वेकेट हुआ या नहीं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शनिवार, २१ दिसम्बर, १९५७ को सभा का उपवेशन करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

कृषि मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम ११ के उपनियम (२) के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा की बैठक शनिवार को नहीं होती। परन्तु कतिपय आवश्यक विधेयकों को शीघ्र पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह सदन यह निश्चय करता है कि इस सदन की बैठक यथा समय शनिवार, दिनांक २१ दिसम्बर, १९५७ को भी होगी।" जहां तक मेरी इत्तला है माननीय नेता विरोधी दल और राजा साहब से भी सदन में परामर्श होकर यह प्रस्ताव रखा गया है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि राजा साहब नाम के कोई सदस्य नहीं हैं। आप कृपया नाम लिया करें।

श्री हुकुमसिंह विसेन---मेरा मतलब यादवेन्द्रदत्त जी दुबे से है। मेरी जुबान पर पुराना नाम ही रवां है और श्रीमन्, पालीवाल जी से भी परामर्श हो चुका है, ऐसी मेरी इत्तला है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो मंत्री महोदय ने कहा कि इस सम्बन्ध में मुझसे परामर्श हो चुका है, यह सही नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---आई ऐम वेरी सारी (I am very sorry)।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मुझे कोई शिकायत नहीं है। केवल सूचना के लिये मैं कह रहा हूं और मुझे दुःख है कि जिस प्रस्ताव के सम्बन्ध में माननीय नेता विरोधी दल और दुबे जी सहमत हो चुके हैं, उस का मुझे विरोध करना पड़ रहा है। उसके कई कारण हैं और मैं पहले भी कह चुका हूं। इसलिये मैं संक्षेप में दुहराता हूं। शनिवार को कार्यवाही न होना बहुत अनुभव के आधार पर रखा गया है और यह आमतौर पर नहीं होनी चाहिये। इससे माननीय सदस्यों के कार्यों में बड़ी असुविधा होती है और अब तो यह दिन प्रतिदिन प्रथा होती चली जा रही है कि हर शनिवार को इसी प्रकार का प्रस्ताव आ जाता है। यह अपवाद नहीं रहा है बल्कि नियम होता चला जा रहा है कि असेम्बली की बैठक हर शनिवार को हो। कठिनाई सबसे बड़ी यह होती है कि हमें यहां सदन के कार्य के लिये रहना पड़ता है। उधर हमसे यह आशा की जाती है कि हम अपने चुनाव क्षेत्रों में भी घूमें, क्योंकि उनके प्रति हमारा कर्त्तव्य भी है। शनिवार जो हमें मिलता है उसमें हम अपने चुनाव-क्षेत्र में जाने की कोशिश करते हैं और इसके अलावा अन्य बहुत से सार्वजनिक कार्य भी रहते हैं। वह भी हमारा कर्त्तव्य है। हम उसका पालन नहीं कर सकते हैं।

इसके अलावा शुक्रवार को इस प्रकार का प्रस्ताव लाना कि शनिवार के दिन सदन की कार्यवाही की जाय, इसमें और भी असुविधा होती है। पहले से सूचना नहीं मिलती। इसलिये जो कार्यक्रम हम रख लेते हैं और कांफ्रेन्स और मीटिंग आदि बुलाते हैं, कार्यकर्त्ताओं को बुलाते हैं, अगर हम यहां से न जायं तो उनको निराशा होती है, असुविधा होती है या अगर वहां जायं तो यहां की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते हैं। तो चूंकि मैं खासतौर पर २१ तारीख के लिये बाहर जाने का प्रोग्राम बना चुका हूं और सूचना दे चुका हूं इसलिये मेरे लिये असम्भव है कि मैं कल की मीटिंग में यहां सम्मिलित हो सकूं। और जैसा कि माननीय लहरी जी बता रहे हैं वह मैंने संकेत किया था, विस्तार में नहीं जाना चाहता, यानी प्लानिंग कमेटियां बना रखी गयी हैं और विभिन्न कमेटियों में इस सदन के सदस्यों को भी मेम्बर बना लिया गया है। तो उन कमेटियों में भी वे शरीक हों और यहां शनिवार और इतवार को बैठक हो उसमें भी वे शरीक हों यह सम्भव नहीं हो सकता। इस तरह से करने में सार्वजनिक

काम को करने में बड़ी असुविधा पहुंचती है। गवर्नमेंट अगर अपना प्रोग्राम सोच कर बनाया करे तो उसे इस तरह हैपहैजर्ड वे में काम न करना पड़े। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता स्वतंत्र प्रगतिशील दल ने जो तर्क दिया है इस आदरणीय सदन को मालूम है कि उस से मैं हमेशा सहमत रहा हूं और यही आशा करता हूं कि रहूंगा। एक विशेष स्थिति कल उत्पन्न हो गयी, माननीय सदस्यों को मालूम है कि सूती मिलों का जो झगड़ा चल रहा है लाक आउट वगैरह का उस पर वाद-विवाद करने के लिये यह इच्छा प्रकट की गयी थी कि दो घंटे से ज्यादा का समय निकाला जाय। माननीय श्रम मंत्री ने यह स्वीकार कर लिया था कि वे उस पर ढाई घंटे दे सकेंगे और कल इस सदन ने यह निश्चय किया था कि आज ४ बजे से ६ १/२ बजे तक सूती मिल के झगड़े पर विवाद होगा किन्तु एक ऐसी जरूरत पेश आयी कि जिससे कि इस सदन के कुछ माननीय सदस्य आज सवा पांच बजे यहां उपस्थित नहीं रह सके। मैं भी उनमें से एक होऊंगा, माननीय नेता सदन और दूसरे बहुत से माननीय सदस्यों को भी गैरहाजिर रहना पड़ेगा। इसलिये माननीय नेता सदन ने कल कहा था कि वे सूती मिलों का वाद-विवाद यदि आज आफ्टरनून में सवा २ या ढाई बजे से ले लिया जाय और ५ बजे तक समाप्त कर लिया जाय और शनिवार को बैठक कर ली जाय तो कार्य में बड़ी सुविधा होगी। साथ ही इंटरमीडियेट एजुकेशन बिल में माननीय सदस्यों की यह राय है कि उसे एक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को रेफ़र किया जाय। उसके लिये यह जरूरी है कि एक सन्देश अपर हाउस को भी भेजा जाय। उसकी अनुमति लेने के बाद यहां से नाम प्रस्तावित करें। दो दिन कम से कम अविश्वास के प्रस्ताव में लगेंगे जिसका पहले से गुमान नहीं था जब इस असेम्बली की बैठक बुलायी गयी थी। इन विशेष परिस्थितियों में ही मैंने कल यह स्वीकार किया कि अच्छा हो आज शनिवार को भी बैठक हो जाय, वैसे मैं जानता हूं कि दिक्कतें हैं। मैं भी बाहर जाना चाहता था, लेकिन इन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण ही मैंने यह धृष्टता की कि बिना और माननीय सदस्यों की राय लिये हुये अपनी रज़ामन्दी दे दी कि अगर शनिवार को बैठक हो तो कोई हर्ज नहीं होगा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, जैसा अभी माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने कहा कि विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने के कारण और थोड़ा इस दृष्टि से कि सदन में यह भी एक परम्परा सी हो जाय कि सहकारिता के आधार पर, परस्पर एक दूसरे को ऐडजस्ट करते हुये कार्य चले। इन दो बातों को विशेष ध्यान में रखते हुये त्रिलोकीसिंह जी ने भी सहमति दी थी और मैंने भी सहमति दी थी। इसके पीछे यह दृष्टिकोण नहीं था कि यह एक आदत सी बनायी जाय कि हर शनिवार को बैठक हो। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण .....

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---कौन सी विशेष परिस्थितियां ?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---वे माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने बतला दीं। उन्हीं को सामने रखते हुये यह निर्णय हुआ था कि हम लोग कल शनिवार को भी बैठें। यह जरूर है कि आदरणीय पालीवाल जी कल हम लोगों को नहीं मिल सके। आज सुबह मिले, मुझसे उनकी भेंट हुई और मैंने उनसे निवेदन किया। ऐसा विश्वास था मेरा कि हमारे बड़े बूढ़े हैं, हमारे आग्रह को मान लेंगे। परन्तु उन्होंने नहीं माना इसका मुझे दुःख है। मैं यही आशा करूंगा कि इस छोटी सी चीज को, जो एक अच्छे ढंग से आयी है, स्वीकार करने में उनको कोई आपत्ति न होगी।

श्री अध्यक्ष---मैं इस संकल्प पर राय ले लेता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम ११ के उपनियम (२) के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा की बैठक शनिवार को नहीं होती। परन्तु कतिपय आवश्यक विधेयकों को शीघ्र पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह सदन यह निश्चय करता है कि इस सदन की बैठक यथासमय शनिवार, दिनांक २१ दिसम्बर, १९५७ ई० को भी होगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया । राजा वीरेन्द्रशाह ने विभाजन की मांग की। घंटी बजने पर श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल ने उनसे प्रार्थना की कि विभाजन की मांग करने की आवश्यकता नहीं है, हमारी केवल असहमति ही प्रकट होनी चाहिये। विभाजन की मांग वापस ली गयी प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आज तथा कल के कार्यक्रम के लिए समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आज और कल के कार्य-क्रम के सम्बन्ध में मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश फर्स्ट आफेन्डर्स विधेयक को आज पौन बजे तक पारित कर दे, उसके बाद ढाई बजे तक सेल्स टैक्स बिल ले लिया जाय और उसके बाद श्रम पर विवाद पांच बजे तक हो। कल ११ बजे से सवा बजे तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विधेयक पारित किया जाय और उसके बाद दूसरे वक्त में इंटरमीडियेट एजूकेशन विधेयक इंट्रोड्यूस किया जाय।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---जो कार्य-क्रम बदलने का प्रस्ताव हमारे सामने पेश है उसमें फर्स्ट आफेन्डर्स विधेयक के लिये हमें केवल चन्द मिनट मिल रहे हैं। मैं समझता हूं कि अच्छा हो कि इसको बिना किसी बहस मुबाहिसे के पास कर दिया जाय। जब कि सदस्यों को बोलने का मौका ही न मिले तो ऐसी हालत में मैं चाहता हूं कि फर्स्ट आफेन्डर्स बिल और दूसरे बिल बिना किसी बहस मुबाहिसे के पास कर दिये जायं।

श्री अध्यक्ष---इसका तो सदन के सदस्यों को अधिकार है कि किसी विधेयक के बारे में कोई न बोले और ऐसे ही वह पास हो जाय, लेकिन ऐसा प्रस्ताव सदन में नहीं कर सकते कि कोई न बोले आप अपना सुझाव दे सकते हैं और सदस्यगण उसको स्वीकार कर लें तो अच्छा है।

श्री जगन्नाथ लहरी---४३० सदस्यों को केवल २० मिनट इस बिल पर मिलेंगे, तो बोलने का मौका ही कहां मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष---यदि ऐसा हुआ तो आपका मतलब पूरा हो जायगा।

प्रश्न यह है कि आज का जो कार्य-क्रम था उसके स्थान पर उत्तर प्रदेश फर्स्ट आफेन्डर्स विधेयक पहले ले लिया जाय और बिक्री-कर उसके बाद और कल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विधेयक और इंटरमीडियेट एजूकेशन बिल ले लिये जायं। आज ढाई बजे तक पहले दोनों बिल समाप्त हो जायं और उसके बाद ढाई घंटे तक श्रम विभाग सम्बन्धी विषय पर बहस हो जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश फर्स्ट आफेन्डर्स प्रोबेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७

समाज सुरक्षा राज्य मन्त्री (श्री मुजफ्फर हसन)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश फर्स्ट आफेन्डर्स प्रोबेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

---

*११ दिसम्बर, १९५७ की कार्यवाही में छपा है।

यह एक जाब्ते का बिल है जो इन्तजाम से ताल्लुक रखता है। इसके जरिये से हम इन्सपेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स को यह अख्तियार देना चाहते हैं कि वह प्रोबेशन आफिसर्स की तक़र्रुरी कर सकें। वाक़या यह है कि १९३७ से, जब से कि इन सर्विसेज को गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया है, होम सेक्रेटरी को यह अख्तियार हासिल था कि वह होम सेक्रेटरी की हैसियत से एक हेड आफ दी डिपार्टमेंट का भी काम करते थे और बहैसियत सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट के भी काम करते थे। उसमें कुछ कठिनाई पड़ी और १९५५ से हमने आई० जी० को इसका हेड आफ दि डिपार्टमेंट बना दिया है और इसी वजह से उनको यह अख्तियार देना चाहते हैं इस बिल के जरिये से कि वह प्रोबेशन आफिसर्स की तक़र्रुरी कर सकें। मैं समझता हूं यह बिलकुल एक जाब्ते का बिल है और सदन इसको मन्जूर करेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश फर्स्ट आफेन्डर्स प्रोबेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२—यू० पी० फर्स्ट आफेंडर्स प्रोबेशन ऐक्ट, १९३८ की धारा १२ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा १२-ए के रूप में बढ़ा दिया जाय:— यू० पी० ऐक्ट सं० ६, १९३८ में नयी धारा १२-ए का रखा जाना।

"12-A. The State Government may, by a notification in the official *Gazette*, direct that all or any of the powers exercisable by it under this Act shall, in relation to such matters and subject to such conditions, if any, as may be specified in this behalf, be exercised also by such officer or authority as may be specified."

Delegation of powers

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं . . .

(श्री रामस्वरूप वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—आप इस संशोधन को पेश नहीं कर सकते।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, हमारे भी संशोधन पहले ही पेज पर दिये हैं उनके लिये आपने आज्ञा नहीं दी।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि कोई उस वक्त खड़ा ही नहीं हुआ।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—मैं खड़ा हुआ था उस वक्त आप अपने सेक्रेटरी से बात कर रहे थे।

श्री उग्रसेन—हम लोग यह समझते थे कि नाम पुकारा जायगा तो हम खड़े हो जायंगे।

श्री अध्यक्ष—बात यह है अब मैं कुछ नहीं कर सकता। विधेयक सदन के सामने विचार के लिये आ चुका और प्रस्ताव पारित हो चुका।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि जो धारा १२-ए रखी गयी है वह इस प्रकार से है :—

"12. A-The State Governement may, by a notification in the official Gazette direct, that all or any of the powers exercisable by it under this Act shall, in relation to such matters and subject to such conditions. if any, as may be specified in this behalf, be exercised also by such officer or authority as may be specified,"

Delegation of power.

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

मैं चाहता हूं कि इसको हटा दिया जाय और इसकी जगह निम्न प्रकार से रख दिया जाय —

" प्रदेशीय सरकार असाधारण गजट के द्वारा अपनी सम्पूर्ण शक्ति या आंशिक शक्ति उक्त ऐक्ट के अनुसार प्रकाशित करके लोकल सेल्फ बाडीज के जन-प्रतिनिधियों को दे सकती है । "

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें । मैं इस संशोधन को अवैध करार देता हूं क्योंकि जो मूल अधिनियम है, वह अंग्रेजी में है लेकिन आपका जो संशोधन है वह उसके स्थान पर हिन्दी वाक्यों को जोड़ देना चाहता है । इस तरह से अंग्रेजी और हिन्दी की खिचड़ी नहीं हो सकती । इसलिये मैं इसको अवैध करार देता हूं ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—मैं इसको अंग्रेजी में अनुवाद कराके भेज दूंगा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । सदन में ऐसे बहुत से लोग हैं जो केवल हिन्दी जानते हैं, अंग्रेजी नहीं जानते । अगर आप ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि संशोधन केवल अंग्रेजी में ही हों, तो वे वंचित रह जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष—ऐसी हालत में हमारा दफ्तर उनकी मदद कर देता है । वहां पर उसका ट्रान्सलेशन वे करा सकते हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—ऐसी कोई व्यवस्था नियमावली में तो है नहीं । फिर यह संशोधन आ ही गया था तो दफ्तर उसको अंग्रेजी में कर सकता था ।

श्री अध्यक्ष—जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक ऐसा नहीं हो सकता । ट्रान्सलेशन के लिये पहले आपको कहना पड़ेगा ।

श्री उग्रसेन—अध्यक्ष महोदय, यह तो पहली ही सूचना है । इस समय इजाजत दे दी जाय या अनुवाद करा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—इस वक्त ट्रान्सलेशन की मैं इजाजत नहीं दूंगा । आधा घंटा इसके लिये आपने मुकर्रर किया है फिर एक घंटा एक संशोधन के अनुवाद पर लगा दिया जाय, ऐसा कैसे हो सकता है ?

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

यू० पी० ऐक्ट सं० ६, १९३८ ।

उत्तर प्रदेश फर्स्ट अ.फेन्डर्स प्रोबेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० फर्स्ट आफेन्डर्स प्रोबेशन ऐक्ट, १९३८ को संशोधित करने का

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट सं० ६,१९८ ।

यह इष्टकर है कि यू० पी० फर्स्ट आफेन्डर्स प्रोबेशन ऐक्ट, १९३८ को एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त संशोधित किया जाय ;

अतएव, भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश फर्स्ट आफेन्डर्स प्रोबेशन (संशोधन) ऐक्ट, १९५७ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मुजफ्फर हसन—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश फर्स्ट आफेन्डर्स प्रोबेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—लेकिन इसमें कोई संशोधन तो हुआ नहीं । आप केवल विरोध कर सकते हैं क्योंकि इसमें आप कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सके । लेकिन यह प्रीसीडेंस नहीं हो सकता । मैं आपको इजाजत देता हूं , आप केवल १५ मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दें ।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव—अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि सरकार इस अमेंडिंग बिल द्वारा प्रोबेशन आफिसर्स की नियुक्ति का अधिकार इंसपेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स को देना चाहती है । मान्यवर , इस सिलसिले में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह अधिकार आई० जी० प्रिजन्स के हाथ में हर्गिज नहीं रहना चाहिये, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के हाथ में अधिकार होने से बहुत ज्यादा गड़बड़ी पैदा होने की सम्भावना होती है । इससे करप्शन भी बढ़ेगा और फेवरिटिज्म भी बढ़ सकता है । इस प्रकार की जितनी नियुक्ति होनी चाहिये वह पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये होनी चाहिये । माननीय मंत्री महोदय ने इस संशोधन के जरिये इस बात की कोशिश की है कि इंसपेक्टर जनरल प्रिजन्स के हाथ में यह अधिकार दे दिया जाय । एक व्यक्ति के हाथ में यह अधिकार देना न्यायोचित नहीं होगा । यह अधिकार पब्लिक सर्विस कमीशन के हाथ में होना चाहिये कि वह नियुक्ति कर सके ।

श्री मुजफ्फर हसन—श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं एक इनफार्मेशन दे देना चाहता हूं । जो प्रोबेशन आफिसर के सेलेक्शन का अधिकार है वह पब्लिक सर्विस कमीशन के ही हाथ में है । यह तो डिपार्टमेंटल चीज है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के सेलेक्शन के बाद नियुक्ति का काम बजाय इसके कि सेक्रेटरी करे, इंसपेक्टर जनरल प्रिजन्स करे, यह है इसमें ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—यह बात साफ कही नहीं गयी है इसमें । तो इसलिये श्रीमन्, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री उग्रसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश फर्स्ट आफेन्डर्स प्रोबेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७, सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, श्रीमन्, मैं आपका ध्यान और आपके द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान इस विधेयक के उद्देश्य और कारण की आरम्भ की चन्द लाइनों की तरफ दिलाना चाहता हूं जो इसमें लिखा है आपकी आज्ञा से श्रीमन्, मैं उसे पढ़ देता हूं ।

"राज्य सरकार ने १९४७ में डिस्चार्ज्ड प्रिजनर्स ऐंड सोसाइटी से, जो एक गैर-सरकारी संस्था है, प्रोबेशन सर्विस (परीक्षण काल सेवा) को अपने अधिकार में ले लिया था और इसे गृह सचिव की अधीनता में उन्हें इसका विभागाध्यक्ष बना कर रखा और

[श्री उग्रसेन]

इसके बाद अब वह पावर आई० जी० प्रिजन्स को डेलिगेट करने के लिये यह प्रस्ताव है ।"

श्रीमन्, यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है फर्स्ट आफेन्डर्स के सिलसिले में । इसमें तो मेरा यह सुझाव है कि डिस्चार्ज्ड प्रिजनर्स ऐंड सोसाइटी से ही वह अधिकार नहीं लेना चाहिये था । उसके हाथ से अधिकार लेकर गृह मंत्री के हाथ में अधिकार दे देते तो कम से कम सेक्रेटेरिएट तक तो ऐसी बात थी कि उस विभाग के डिपार्टमेंटल आफिसर, विभाग के हेड जो सेक्रेटरी होते हैं, उन पर कोई असर नहीं होता ।

श्रीमन्, आज कल आई० जी० प्रिजन्स के जेल मुहकमे और माननीय मंत्री जी के मुहकमे की जैसी हालत है उसके तो हम लोग खुद भुक्तभोगी हैं । मामूली सी चीज तो यह है कि जो आई० जी० प्रिजन्स कहते हैं वही बात मानी जाती है । तो इतना बड़ा अधिकार उनको दे दिया जायगा तो सही माने में न्यायोचित नहीं होगा । इसलिये मैं चाहता हूं और मेरा यह सुझाव है कि माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कोई सरकारी कमेटी बनादी जाती, जिसमें गैर-सरकारी लोग भी होते और इस सदन के भी एक दो सदस्य होते, उसको यह पावर डेलिगेट कर दी जाती तो यह जुडिशियरी और ट्रिब्यूनल सिस्टम पर अच्छा होता, बजाय इसके कि यह सारा अधिकार आई० जी० प्रिजन्स के हाथ में दे दिया जाय ।

श्रीमन्, माननीय पद्माकरलाल जी ने यह प्रश्न उठाया कि चुनाव पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होना चाहिये । श्रीमन्, पब्लिक सर्विस कमीशन से तो सभी चुनाव होते ही हैं, लेकिन यह तो मैं जानता हूं और सभी जानते हैं कि जो नोट आफ डिसेंट पब्लिक सर्विस कमीशन कभी-कभी अपने चुनाव के सिलसिले में गवर्नमेंट को देता है, फिर भी उसकी बात गवर्नमेंट नहीं मानती है । तो मेरा सुझाव यह है कि बजाय इसके कि आई० जी० प्रिजन्स के हाथ में यह पावर डेलिगेट की जाय एक कमेटी बनायी जाय, जैसे दूसरी कमेटीज माननीय माल मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एजूकेशन बोर्ड के सम्बन्ध में बनती हैं और उनके सभापति सम्बन्धित मंत्री होते हैं । उसी तरह से इस कमेटी के सभापति भी जेल मंत्री जी हों और उसके सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हों, और उस कमेटी के हाथ में पावर दी जाय तो मैं समझता हूं कि सरकार को भी और माननीय मंत्री जी को भी इसे मानने में कोई एतराज नहीं होगा । इस तरह से उसमें जनता के प्रतिनिधि भी रहेंगे । बाइबिल में है --God said let there be light and there was light यह जनता की मांग है कि आई० जी० प्रिजन्स के हाथ में यह पावर डेलिगेट करने के बजाय एक कमेटी के हाथ में यह पावर दी जाय जो ट्रिब्यूनल के तौर से इस पर कार्यवाही कर सके । इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं ।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं । यह संशोधन छोटे-छोटे बच्चों के प्रथम अपराध निवारण हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है मैं समझता हूं कि अगर आप इस देश के बच्चों और नौजवानों को अच्छा बनाना चाहते हैं, उनकी बुराई दूर करना चाहते हैं तो अच्छा यह होगा कि आप उनको किसी सरकारी कर्मचारी के जिम्मे न सौंपें और उन्हें आप यदि किन्हीं सार्वजनिक संस्थाओं के सुपुर्द कर दें तो बेहतर होगा । इसके उद्देश्य और कारणों के देखने से मालूम होता है कि बहुमत के बल पर सरकार जैसे चाहे विधान पास कराया करती है । मैजिस्ट्रेटों को यह अधिकार है कि किसी नौजवान बच्चे को प्रथम अपराध में चाहें तो रिहा कर दें या प्रोबेशन आफिसर की निगरानी में दे दें । मैं समझता हूं इससे तो और अपराध बढ़ेगा और लोग रिश्वत ज्यादा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

देंगे और जिन आफिसर्स को यह पावर दे रहे हैं वह मन माने ढंग से काम करेंगे। इसलिए भविष्य में बच्चों में अच्छे गुण लाने के लिए जेलखाना अच्छी जगह नहीं है जहां पर आप बच्चों को भेजकर उन की निगरानी में रखें। जैसा कि माननीय उग्रसेन जी ने कहा कि इसके लिए एक ऐसी बाडी निर्माण कर दी जाय, इसी विचार को सामने रखकर मैंने भी अपना संशोधन पेश किया था कि अगर यह काम लोकल बाडीज के जिम्मे किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता, ज्यादा फायदे में रहते बजाय इसके कि किसी एक आफिसर के जिम्मे कर दिया जाय। इस से सदन की राय भी पूरी नहीं होती और न हम इसको ठीक समझते हैं। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि यह नया पैरा हटा दिया जाय और एक नयी कमेटी बना दी जाय और उस के सुपुर्द यह काम कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह इसमें आ जाता है क्योंकि इसमें है कि "shall be excrcised also by such officer or authority as may be specified" तो जैसा कि उन के संशोधन में था उसके अनुसार कोई लोकल बाडी भी अथारिटी की व्याख्या में आ सकती है, सरकार चाहे तो इसके अनुसार उन को भी अधिकार दे सकती है, दे या न दे यह दूसरी बात है।

श्री मुनफर हसन—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ने पहले ही अर्ज किया था कि जहां तक सेलेक्शन का ताल्लुक है प्रोबेशन आफिसर्स का, वह तो पब्लिक सर्विस कमीशन से होता है। जहां तक इस सर्विस को गवर्नमेंट के अपने हाथ में लेने का सवाल है, जाहिर है कि वह जो नान-आफिशियल बाडी थे, वह इस काम को नहीं चला सके और इतने बड़े पैमाने पर वह आफिशियल्स को नहीं रख सके और तभी सरकार को इस अधिकार को अपने हाथ में लेना पड़ा। अब एक जाब्ते की कार्यवाही है कि जो सेलेक्शन पब्लिक सर्विस कमीशन से हो डिपार्टमेंटल हेड उस की तसदीक करे। यह तो एक नयी तजवीज आ गयी कि एक तरफ पब्लिक सर्विस कमीशन का सेलेक्शन हो और दूसरी तरफ फिर नान-आफिशियल बाडी बने और फिर वह उसकी तसदीक करे। यह तो वह एक ऐसी तजवीज कर रहे हैं कि जिससे गवर्नमेंट का जो ढांचा है वही बदल जाय। इसलिए यह कोई नयी तजवीज नहीं है, यह एक जाब्ते की तजवीज है और मैं उम्मीद करता हूं कि सदन इसको मंजूर करेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश फर्स्ट आफेन्डर्स प्रोबेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—मैं जानना चाहता हूं कि क्या हाउस में कोरम है?

श्री अध्यक्ष—(गिनने के पश्चात्) कोरम से भी ज्यादा है।

*उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५७

उद्योग उपमन्त्री (श्री रऊफ सफरी)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५७ पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५७ पर विचार किया जाय।

---

*१४ दिसम्बर, १९५७ की कार्यवाही में छापा गया।

खंड २

२—संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ७-घ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ७-ङ के रूप में रख दिया जाय :

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० १५, १९४८ में नयी धारा ७—ङ का समावेश ।

"७-ङ—विज्ञापित माल के सम्बन्ध में बिक्री-कर के स्थान पर राजीनामे के शुल्क (Composition fee) का भुगतान—(१) इस अधिनियम में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, कर-निर्धारक अधिकारी राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में विज्ञापित माल अथवा माल के किन्हीं वर्गों के सम्बन्ध में किसी व्यापारी को किसी कर-निर्धारण वर्ष अथवा उसके अंश के विक्रय-धन पर इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा देय कर के स्थान पर राजीनामे (Composition) के रूप में एक मुश्त धनराशि ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन जो इस सम्बन्ध में विज्ञापित किये जायं, देने की अनुज्ञा दे सकता है।

(२) जब इस धारा की उप-धारा (१) के अधीन कोई विज्ञप्ति प्रचारित की जाय तो राज्य सरकार उस रीति को भी जिससे राजीनामे की धनराशि निश्चित की जायगी तथा उस रीति को जिससे वह दी जायगी, विज्ञापित करेगी।"

श्री जगदीश शरण अग्रवाल (जिला बरेली)—श्रीमन्, आज्ञा हो तो मैं श्री खूबसिंह का संशोधन पेश कर दूं।

श्री अध्यक्ष—किसी को एतराज तो नहीं है ?

श्री रऊफ जाफरी—कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—किसी को एतराज नहीं है, तो आप उपस्थित कर सकते हैं।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ में प्रस्तावित धारा ७-ङ की उपधारा (१) की पंक्ति ४ में शब्द 'अंश के' और "विक्रय धन पर" के बीच में शब्द "ऐसे माल के" रख दिये जायं।

श्रीमन्, यह संशोधन इसलिए आवश्यक हुआ कि जो इस संशोधन विधेयक का इंगलिश ट्रांसलेशन है उसके शब्द में ये शब्द भी मौजूद हैं "ऐसे माल के" लेकिन भूल से, ओवर साइट से जो हिन्दी का संशोधन विधेयक है इसमें ये शब्द नहीं हैं। इन शब्दों के न होने से कुछ निरर्थक सा हो जाता है और उसके मानी पूरे और स्पष्ट नहीं होते। इस ऐतबार से इन शब्दों को बढ़ाने का प्रस्ताव मैं करता हूं।

श्री रऊफ जाफरी—अध्यक्ष महोदय, मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ में प्रस्तावित धारा ७—ङ की उपधारा (१) की पंक्ति ५ में शब्द "अंश के" और "विक्रय धन पर" के बीच में शब्द "ऐसे माल के" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५७

कतिपय प्रयोजनों के लिए संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० को संशोधित करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ को संशोधित किया जाय :

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ।

संक्षिप्त शीर्ष-नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह १४ दिसम्बर, १९५७ से प्रचलित समझा जायगा ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रऊफ जफरी---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५७ जैसा कि वह सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५७ जैसा कि वह सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---अब जैसा कि अभी सदन ने प्रस्ताव स्वीकार किया है उसके अनुसार ढ़ाई बजे से श्रम विभाग से सम्बन्धित विषय पर डिबेट होगी और इस वक्त कोई कार्य नहीं रह जाता और बहुत से माननीय सदस्य चले गये हैं बाहर । तो अगर मैं और काम ले भी लूं तो उसके लिए उनको बहुत आपत्ति होगी क्योंकि ढ़ाई बजे तक का समय इस काम के लिए रखा गया था, लेकिन यह पहले ही समाप्त हो गया, और कोई काम है भी नहीं । तो इसलिए अगर कोई आपत्ति न हो तो मैं ढ़ाई बजे तक के लिए सदन का कार्य स्थगित कर दूं ।

(किसी ने आपत्ति नहीं की ।)

तो किसी को आपत्ति नहीं है । इसलिए अब हम उठते हैं और ढ़ाई बजे फिर बैठेंगे ।

(इस समय १२ बज कर ४७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर ३१ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

सूती मिलों में तालाबन्दी के सम्बन्ध में १७ दिसम्बर, १९५७ को श्रम मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर विवाद

*श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश में सूती मिलों में तालाबन्दी तथा श्रम झगड़ों के सम्बन्ध में जो माननीय श्रम मन्त्री ने १७ दिसम्बर, १९५७ को इस आदरणीय सदन में वक्तव्य दिया था उसके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करूंगा । माननीय मन्त्री ने अपने वक्तव्य के शुरू में ही एक तालिका दी जिससे यह मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश की सूती मिलों में बहुत-सा कपड़ा इकट्ठा है, जो कई महीने से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री त्रिलोकी सिंह]

बिक नहीं सका और जो तालाबन्दी का सवाल इस समय पैदा हुआ है उसका एक बहुत बड़ा कारण यह बिना बिके हुए सामान का गोदामों में इकट्ठा होना है। अच्छा होता अगर माननीय मन्त्री यह भी बतलाते कि यह मुसीबत महज उत्तर प्रदेश में है या इस देश के किसी और हिस्से में भी है जहां कपड़े के कारखाने हैं। क्या कारण है मान्यवर, कि केवल उत्तर प्रदेश में कपड़ा इकट्ठा हो रहा है? बम्बई में, अहमदाबाद में, मद्रास में, बंगाल में, नागपुर में क्यों नहीं कपड़ा इकट्ठा हो रहा है? इसका कोई कारण होना चाहिए। महज यह कह देना कि मिलें पुरानी हैं, उनके हिस्से बदले नहीं गये, यह काफी नहीं है। जरा सा इशारा माननीय मन्त्री ने जरूर किया कुछ सेल्स टैक्स का और उनका यह कथन है कि सेल्स टैक्स के अब खत्म होने से और केन्द्रीय सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी लगा देने से कुछ सहूलियत पैदा हो जायगी, इस बात को पुष्टि करता है कि यह तमाम कपड़ा जो बिना बिके हुए इकट्ठा हो गया है, इसका बहुत बड़ा कारण उत्तर प्रदेश की सरकार का सेल्स टैक्स का लगाना था।

यह असंगत न होगा मान्यवर, अगर मैं इतना निवेदन कर दूं कि इस प्रदेश की सरकार ने एक आना रुपया मजीद सेल्स टैक्स लगाया। दूसरे प्रदेश की सरकारों ने जो दूसरे सूबों में जाने वाला कपड़ा था उस पर नहीं लगाया। बम्बई से कपड़ा उत्तर प्रदेश में आया, दिल्ली से आया, नागपुर से आया, उस पर टैक्स नहीं देना पड़ा। यहां के कपड़े पर टैक्स लग गया। वह कपड़ा सस्ता था। यह कहीं माननीय मन्त्री ने नहीं कहा, न आज तक मैंने सुना है कि सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा हो कि कपड़े की बिक्री कुछ घट गयी है। बल्कि उत्तर प्रदेश की मिलों का कपड़ा सेल्स टैक्स की वजह से महंगा बिकता है। दिल्ली, अहमदाबाद, बम्बई की मिलों का कपड़ा लखनऊ, कानपुर या इलाहाबाद के बाजारों में सस्ता बिकता है। यही कारण है स्टाक्स एक्युमुलेट करने का। शुक्र है कि अब सेन्ट्रल ऐक्ट होने की वजह से यह कमी गालिबन दूर हो जायगी। लेकिन यह सरकार इस जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकती। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि जितनी भी कोशिश है इस सरकार की सेकेंड प्लान पीरियड में, वह उत्पादन को बढ़ाने की है, लोगों को रोजगार भी मिले वह असफल रही है। बदकिस्मती से हमारे प्रदेश का यह इतिहास रहा है पिछले आठ दस साल का कि नये कपड़े के कारखाने खुले नहीं हैं, बन्द हुए हैं। बनारस का बन्द हुआ, हाथरस में बन्द हुआ, लखनऊ में बन्द हुआ और ऐसी ही अन्य कई मिलें बन्द हुईं। जितने लोग आज से दस साल पहले कपड़े के कारखानों में इस प्रदेश में काम करते थे उनसे कम आज इस प्रदेश में काम कर रहे हैं। सरकार का यह कहना कि उसने बड़ी कोशिश की कि कानपुर काटन मिल फिर से चालू हो तो जायज तौर पर कोशिश करना उसका फर्ज था। लेकिन ४, ६ महीने के बाद वहां फिर यह नौबत आ गयी कि २ दिसम्बर से उन्होंने तालाबन्दी कर दी।

एक दूसरा कारखाना है एथर्टन वेस्ट, जिसने नोटिस लगा दी है कि २ जनवरी से वे कारखाना बन्द कर देंगे। कहा गया कि प्रयत्न हो रहा है, तो क्या वैसा ही प्रयत्न हो रहा है जैसा कि कानपुर काटन मिल्स के सम्बन्ध में किया गया? उससे हमें संतोष नहीं, न इस प्रदेश की जनता को संतोष है, खास कर जब हमें इस बात का पूरा ज्ञान है कि इस सरकार को भी और केन्द्रीय सरकार को भी यह अधिकार प्राप्त है कि मौजूदा कानून के अन्तर्गत किसी मिल के बन्द होने की आशंका हो या वहां के प्रबन्ध में गड़बड़ी हो तो उसके प्रबन्ध को सरकार अपने हाथ में ले ले। कोई कारण नहीं मालूम होता कि जब प्रयत्न यह है कि लोगों को रोजगार दिया जाय, लेकिन यहां रोजगार छिनता जा रहा है।

मान्यवर, विक्रम काटन मिल के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री ने यह सूचना दी कि सन् १९५४ में बन्द हो गयी थी। सन् १९५६ में फिर चालू की गयी। तो सरकार का उसमें

कोई हाथ नहीं था। अब वह सवा वर्ष के अन्दर फिर बन्द होने जा रही है। क्या प्रयत्न किया जा रहा है? केवल यह कह देना कि मिल के पुर्जे घिस गये हैं यह काफी नहीं है। हानि होती है यह भी काफी नहीं है, क्योंकि इस आदरणीय सदन ने यह नीति अपनायी है भले ही हानि हो, लेकिन लोगों को रोजगार दिया जायगा। अगर सरकार एक साधारण व्यापारी की दृष्टि से व्यापार करे कि फायदा होगा तो हम उस काम को चलायेंगे और नुकसान होगा तो नहीं चलायेंगे, तो शायद उद्योग धंधे के विभाग को ही बन्द करना होगा।

अभी कुछ दिन पूर्व इसी सदन में कहा गया कि कुटीर उद्योग की जो सरकारी दुकानें हैं उनमें कई लाख का घाटा हुआ। इस आदरणीय सदन ने उस घाटे को बर्दाश्त करने की बात को क्यों स्वीकार किया? इसलिए कि घाटा भले ही हो, लेकिन उससे लोगों को रोजगार मिलता है। तो यह दलील कि घाटा हो रहा है लिहाजा कारखाना बन्द हो जायगा और दूसरी तरफ यह कहना कि देश की प्रगति करनी है, प्लान पीरियड है, लोगों को रोजगार देने के लिए नये उपाय किये जा रहे हैं—यह बात कुछ असंगत मालूम होती है।

मान्यवर, म्योर मिल्स के सम्बन्ध में यह कहा गया, एक खबर उड़ गयी झूठी कि एक मजदूर हंगर स्ट्राइक पर है और उसका देहान्त हो गया और खबर उड़ने से स्ट्राइक हो गयी। माननीय मन्त्री जी ने उस दिन मोदीनगर का जिक्र नहीं किया। लेकिन अब मैं मोदीनगर का जिक्र किये देता हूं। वहां के लिए भी यही कहा जाता है कि वहां सारा झगड़ा इस वजह से शुरू हो गया कि एक वर्कर बेहोश हो गया। इस तरह की बेबुनियाद और झूठी खबरों पर प्ले आफ और लाक आउट हो गया यह मेरी समझ में नहीं आता। वहां भी यह झूठ खबर उड़ायी गयी और यहां भी यह झूठी खबर उड़ायी गयी। प्रश्न सीधा सादा यह है कि मजदूरों को उनका वेतन नहीं मिला। वेतन न मिलने पर सरकार ने क्या कार्यवाही की? कहा गया कि कुछ लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं। किन साहबान पर मुकदमे चलाये गये? किस इजलास में हैं और कितनी देर लगेगी?

एक बात हमें और नहीं भूलनी चाहिए। पहले मजदूर एक महीना काम करता है तब उसे मजदूरी मिलती है। पेशगी कोई मजदूरी नहीं देते और यहां तो एक महीने या दो महीने से ज्यादा मजदूरी देनी है म्योर मिल्स में। अगर मजदूर एक दिन न आये तो मिल मालिक को पूरा अख्तियार है कि उसे निकाल बाहर करे और अगर मिल मालिक मजदूरी न दे तो मजदूर को क्या अख्तियार है? लेबर कमिश्नर कुछ नहीं कर सकता, लेबर-लाज उससे ज्यादा गोल और सरकार का कहना ही क्या? कानून ऐसा है कि करोड़पति मिल मालिक मजदूर की मजदूरी अदा नहीं करे तब भी मजदूर काम करता रहे। आज भी सरकार की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन नहीं है कि जो म्योर मिल्स की मजदूरी बाकी है उसके लिए वह कोई विशेष उपाय करेगी। आर्डिनेंस का भी अवसर उपयोग इस सरकार द्वारा किया जाता है। अगर जनहित में उपयोग नहीं किया जायगा और ऐसे मामलात में तुरन्त कार्यवाही नहीं की जायगी तो असली मामला खत्म हो जाता है।

मोदी मिल्स के सम्बन्ध में मुझे, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना है कि यहां पर एक विशेष इकरारनामा है। साधारणतया प्रदेश में अगर कोई झगड़ा हो तो उत्तर प्रदेश का जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट है, वह लागू होगा। मोदीनगर के मिल मालिक में और मजदूरों के बीच में आज से ४ साल पूर्व एक समझौता हो गया जिस पर सरकार की मुहर लगी। अगर उस पर सरकार की मुहर न लगी होती, तो उसका कोई कानूनी महत्व नहीं था, लेकिन सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी और कुछ अधिकारों से अपने को वंचित कर लिया और यह तय करा दिया कि दोनों के झगड़े उन्हीं की कमेटी से फैसल होंगे।

मैं आदरणीय सदन के सदस्यों का आप के द्वारा इस बात पर विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ४ साल हो गये जिस यूनियन ने समझौता किया था उसका फिर से चुनाव नहीं हुआ। जिस ऐक्जीक्यूटिव कमेटी ने समझौता किया था वह आज नुमाइंदगी नहीं करती है वहां के मजदूरों की। पिछले ६ महीनों के अन्दर ३ बार प्रयत्न किया गया कि नयी यूनियन रजिस्टर्ड हो जाय। इस सम्बन्ध में श्रम विभाग

[श्री त्रिलोकी सिंह]

गालिबन कई महीने रजिस्ट्री के लिए लेता है और इस बीच में वहां पर कोई न कोई ऐसी आफत हो जाती है लोगों को निकाल दिया जाता है और यूनियन्स नहीं रजिस्टर्ड हो पातीं। नतीजा यह हुआ कि उसी किस्म की झूठी खबर हुई कि एक आदमी मर गया बस लाक-आउट हो गया। मिल मालिक ने, अखबार में सब ही ने देखा---डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखकर भेजा, स्वयं मैंने उस चिट्ठी को देखा है, वह सम्भवतः वह सरकार के पास भी आई है मालिक कहता है इतना माल कारखाने में जमा है कि कारखाना बन्द करने से फायदा है। यह मिल मालिक की धृष्ठता और उसका इतनी हिम्मत कि जब करोड़ों रुपया सरकार खर्च कर रही है प्लान में, लोगों को बारोजगार करने के लिए, उस समय इस प्रकार बेरोजगारी बढ़ायी जाय। १४--१५ रोज बाद कारखाना चला, लेकिन दो-ढाई सौ आदमियों को नोटिस दे दिया गया। सरकार कहती है कि सन् १९५३ के मुआहिदे पर मुहर लगाकर हमने तो हाथ कटा दिये, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट में कोई अधिकार नहीं है। वह फरीकैन की हैसियत देखने को तैयार नहीं हैं कि दो फरीकों में जो समझौता हुआ था, आया उनकी वही हैसियत है या नहीं, वह यूनियन रेप्रेजेन्टेटिव है या नहीं। वे कहते हैं कि हमने तो अपने को अधिकार से वंचित कर दिया। यह एक नया उसूल है। झगड़ा जारी है। दो--दो महीने से लोग जेल में हैं, किसी को सजा नहीं दी जाती, जेल में बन्द कर दिये जाते हैं। मैजिस्ट्रेट साहब आज यह जांच करने को तैयार नहीं हैं कि लेबर यूनियन रेप्रेजेन्टेटिव है या नहीं।

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)---मान्यवर, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। नेता विरोधी दल ने मैजिस्ट्रेट के सम्बन्ध में कुछ बात कही। मैं यह प्रश्न उठाता हूं कि क्या मैजिस्ट्रेट के कन्डक्ट पर हम विवाद कर सकते हैं?

श्री त्रिलोकी सिंह---मान्यवर, मैं कुछ अर्ज कर दूं। हमारे यहां वह मैजिस्ट्रेट जिनका जिक्र मेरे आदरणीय सदस्य ने किया है उसकी एक्जीक्यूटिव कैपेसिटी भी है और जुडीशियल कैपेसिटी भी है। अरेस्ट करने मैजिस्ट्रेट जाता है। मेरा कहना यह है कि वहां गलत तौर पर गिरफ्तारी की गयी और जहां हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए था वहां एक्जीक्यूटिव की हैसियत से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट गये, ए० डी० एम० गये और पुलिस जाती है, गिरफ्तारी करती है, लोगों के घरों की तलाशी ली जाती है, औरतों को मारा जाता है, पीटा जाता है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या यह गलत है?

श्री त्रिलोकी सिंह---वहां टीयर गैस इस्तेमाल की जाती है, मैजिस्ट्रेट साहब मौजूद हैं और यह सब कार्यवाही हो रही है। मैंने माननीय मन्त्री जी को भी लिख कर भेजा और माननीय मुख्य मन्त्री जी से भी कहा, जिला के कलेक्टर से भी कहा कि जिस यूनियन ने १९५३ में मुआहिदा किया था, उसका चुनाव फिर से करा लें तो सारा मामला तय हो जायगा, क्योंकि यदि चुनाव करें तो आज जो मुख्तार बने बैठे हैं और वर्किंग कमेटी और एक्जीक्युटिव कमेटी में हैं वह वहां से हटा दिये जायेंगे। मैंने जुबानी नहीं बल्कि लिखित बात पेश की थी कि चुनाव करा दीजिये, लेकिन वह नहीं कराते हैं, क्योंकि सरकार के हाथ पैर दोनों बंधे हैं, मेरा तो एक पैर ही खराब है।

श्री उपाध्यक्ष---(श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा से) आपका जो व्यवस्था का प्रश्न था, उसके बारे में उन्होंने यह बतलाया कि मैजिस्ट्रेट एक्जीक्युटिव की कैपेसिटी में गये थे। आपकी क्या जानकारी है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जो माननीय नेता विरोधी दल कह रहे हैं उसके सम्बन्ध में कोई सवाल नहीं उठता। मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था उस समय, जब उन्होंने कहा था कि मजदूरों के साथ ठीक से बर्ताव नहीं होता। गलत होता है, सही नहीं होता। इतनी ही बात कही थी। इतनी ही बातों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। मैजिस्ट्रेट

वहां किस हैसियत से रहता है, यह मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन इतना कह सकता हूं कि अगर कोई नियम के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध कार्यवाही हो रही है तो माननीय नेता विरोधी दल भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि उसके लिए अदालतें मौजूद हैं, वहां चर्चा हो सकती है, हाई कोर्ट इसके लिए बैठा हुआ है। इस सदन में नियमित या अनियमित कार्यवाही के वार्तालाप के लिए प्रश्न उठाया था।

श्री उपाध्यक्ष--मैं स्वयं सहमत हूं कि जो मैजिस्ट्रेट वहां गया था वह एक्जीक्यूटिव की कैपेसिटी में गया था।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--नान्यवर, मुझे संतोष हो गया, एस० डी० ओ० कहना चाहिये था।

श्री त्रिलोकीसिंह--मुझे अफसोस है कि मुझे रुक जाना चाहिये था, जब तक आप व्यवस्था न दे देते। इतना जरूर कहूंगा कि एस० डी० ओ० की गिरफ्तार करने की हैसियत नहीं है। वह तो बहैसियत एस० डी० एम० जो वारन्ट साइन करता है। वहां मीटिंग कोई नहीं कर सकता है। दफा १४४ लगी हुई है। जाहिर है कि दफा १४४ एस० डी० एम० ही लगायेगा, एस० डी० ओ० नहीं लगाता है। यह क्यों लगी हुई है, इसको मैं जानना चाहूंगा। अभी चन्द्रशेखर सिंह जो उत्तर प्रदेश प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री हैं, उन्होंने १२ तारीख को दरख्वास्त दी, फिर १३ तारीख को आदमी भेजा, फिर १४ तारीख को आदमी भेजा कि वह वहां मीटिंग करना चाहते हैं। मैजिस्ट्रेट न तो इजाजत ही देते हैं और न रिफ्यूज ही करते हैं। वहां वह मीटिंग करते हैं तो गिरफ्तार हो जाते हैं। एक आतंक-सा वहां छाया हुआ है। तकरीबन ३७५ आदमी जेल में हैं। यह हो सकता है कि कुछ हजार आदमी और जेल में चले जायं और यह भी हो सकता है कि यह आंदोलन समाप्त हो जाय। लेकिन मिल मालिक की यह नीयत कि वह गोदाम में माल ज्यादा होने की वजह से कारखाना बन्द करना पसन्द करे सरकार के विशेष गौर करने की बात है। सरकार का ध्यान इस तरफ तो जाता नहीं कि वह मिल मालिक को मजबूर करे कि वह पुराना मुआहिदा जिस पर कि उसने अपनी मुहर लगा दी थी उसके अनुसार चुनाव हो और वहां कि यूनियन रेप्रेजेन्टेटिव बने, उल्टे लोगों को गिरफ्तार करना, औरतों को मारना पीटना, यह सब हो रहा है। संविधान में स्त्रियों और पुरुषों की बराबरी है लेकिन इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि दुनियां में जितने मुजरिम हुये हैं उनमें आधी फीसदी से कम स्त्रियों की संख्या होगी। स्त्रियां स्वभावतः शान्ति प्रिय होती हैं लेकिन उनको मारा पीटा गया और जेल में बन्द किया गया। गालिबन मंत्री महोदय को इत्तला होगी और इससे वे इन्कार नहीं करेंगे। क्या कारण है कि औरतें जेल जायं और उनको मारा पीटा जाय ?

मुझे कुछ ज्यादा निवेदन नहीं करना है। मैं यह उम्मीद करूंगा कि इस वादविवाद का यह नतीजा होगा कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे मोदीनगर का मामला तय होगा। अगर माननीय मंत्री महोदय यह कहें कि वे पुरानी यूनियन का चुनाव करा देंगे तो मुझे उम्मीद है कि सारा मामला एक हफ्ते के अन्दर तय हो जायगा।

श्रम मन्त्री (आचार्य जुगल किशोर)--मैं अभी बहस का जवाब तो नहीं देना चाहता लेकिन अगर आप इजाजत दें तो दो एक बातें कह दूं। एक प्रश्न माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने उठाया है मोदीनगर के सिलसिले में। मैंने उनको उस वक्त नहीं टोका और न आपसे इजाजत मांगी कि उसका जवाब दूं लेकिन इतना मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज जो बहस हो रही है, उसमें मोदीनगर का मामला नहीं आता है, इस कारण कि हमारी बहस उन मिलों तक ही सीमित है जहां पर तालाबन्दी हुई या जहां तालाबन्दी के कारण बेकारी हो गयी है। मोदीनगर में पूरी तरह से काम चल रहा है। अगर कोई वहां पर सवाल है तो वह ला ऐंड आर्डर का है जिससे लेबर डिपार्टमेंट का कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन तब

[आचार्य जुगल किशोर]

भी दो, तीन बातें माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने मोदीनगर के सिलसिले में कही हैं । मैं चाहता हूं कि उसके बारे में मैं सफ़ाई दे दूं ताकि उस बारे में और गलतफ़हमियां न फैल सकें ।

श्री उपाध्यक्ष--आप कृपया एक मिनट बैठ जायं, मैं बतला दूं । माननीय अध्यक्ष ने माननीय नेता विरोधी दल के सुझाव पर यह बतला दिया था कि मोदीनगर का मामला भी इसमें शामिल किया जा सकता है । ऐसी हालत में जो उन्होंने कहा वह तो विषय के अनुकूल ही था । लेकिन आपको मैं दो मर्तबा बोलने की इजाजत दे सकता हूं । अगर आप इस समय चाहें तो बोल सकते हैं और बाद में भी बोल सकते हैं ।

आचार्य जुगल किशोर--तो फिर मैं बाद में ही इसका जवाब दे दूंगा । इतना मैं जरूर कह दूं कि अभी माननीय त्रिलोकी सिंह ने कहा कि लोग जेल में बन्द हैं और कोई फ़ैसला नहीं हुआ । वहां पर १४९ पुरुष गिरफ्तार हुये और ११९ केस ट्राइ भी हो गये और उनका कन्विक्शन भी हो गया है । तो यह बात सही नहीं है कि किसी पुरुष का कन्विक्शन नहीं हुआ, केवल स्त्रियों का ही हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष--अब मैं एक बात आप लोगों के सामने रखूंगा कि काफ़ी लोग बोलने वाले हैं इसलिये समय बांध लें, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी । इस सम्बन्ध में अगर कोई प्रस्ताव आप चाहें तो करें ।

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, यह मसला बड़ा गम्भीर है और हजारों आदमियों की जिन्दगी और मौत का प्रश्न है । इस पर समय न बांधा जाय । हम लोग यह कोशिश जरूर करेंगे कि कम से कम समय में समाप्त करें ।

श्री उपाध्यक्ष--मेरी कठिनाई यह है कि यह कोई प्रस्ताव नहीं है, अगर कोई साहब बोलने खड़े हुये और शाम तक बोलते रहे तो मैं उन्हें रोक नहीं सकता । इसमें आप ही लोगों को दिक्कत होगी ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--मेरा सुझाव यह है कि पार्टी के लीडर्स को २० मिनट और बाकी को ५-५ मिनट का समय दिया जाय ।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--लीडर्स को ३० मिनट और दूसरे लोगों को कम से कम २० मिनट का समय दिया जाय ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आंजमगढ़)--मान्यवर, मेरा प्रस्ताव यह है कि पार्टी लीडर्स को १५ मिनट और अन्य सदस्यों को १० मिनट का समय दिया जाय ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--मेरा सुझाव यह है कि इसमें कोई विभेद न किया जाय और जो भी बोलना चाहें उनको २० मिनट का समय दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--अगर आप लोग यह मान लें कि पार्टी नेताओं को १५ मिनट और माननीय सदस्यों को ७ मिनट मिले तो बड़ी सहूलियत हो जाय ।

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--अच्छा, तो जैसा माननीय पद्माकरलाल श्रीवास्तव ने कहा, १५ मिनट और १० मिनट । विशेष परिस्थितियों में एक, आध मिनट का समय मैं और दे दूंगा ।

*श्री जगन्नाथ लहरी--उपाध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्री महोदय ने सदन के सम्मुख कानपुर की मिलों की तालाबंदी के संबंध में जो वक्तव्य प्रस्तुत किया था उस वक्तव्य को पढ़ने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

के बाद हम सभी सदस्य भौंचक्के रह गये । हम यह नहीं समझ सके कि यह वक्तव्य श्रम मंत्री दे रहे हैं या कोई मिल ओनर दे रहा है । श्रम मंत्री महोदय को श्रमिकों के हितों का संरक्षण करने के लिये आगे बढ़ना चाहिये था, परन्तु हमें दुख है कि हमारी सरकार के श्रम मंत्री श्रमिकों का संरक्षण न करते हुए अपना वक्तव्य दे रहे थे और मिल मालिकों का संरक्षण कर रहे थे । उन्होंने एक बात में भी सदन के सम्मुख यह स्थिति नहीं रखी कि कानपुर की मिलों में वहां के श्रमिकों की स्थिति क्या है, बल्कि उन्होंने यही बात कही कि कानपुर के मिलों में कपड़े का कितना स्टाक है । कानपुर स्टाक की स्थिति जो श्रम मंत्री जी ने रखी थी वह ३० नवम्बर की थी । हमारी सरकार ने ३० नवम्बर के बाद यहमहसूस करते हुए कि बिक्री कर कपड़े की बिक्री में घातक सिद्ध हो रहा है, इस विधान सभा से बिना पूछे ही मिल मालिकों को रियायत दे दी थी कि कपड़े से बिक्री कर हटाया जाता है और वे प्रदेश से बाहर बिना बिक्री कर दिये हुए ही बिक्री कर सकते हैं ।

तो ३० नवम्बर के बाद ही यह रियायत सरकार ने दे दी थी । आज २० दिन के बाद क्या स्थिति है ? क्या श्रम मंत्री जी इस स्थिति में हैं कि वह अपन उत्तर में बता सकें कि उत्तर प्रदेश के मिल मालिकों को जो यह बिक्री कर की छूट दी गई है, उसके बाद आज मिल मालिकों के पास कपड़े का कितना स्टाक है ? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के मुताबिक जो बंधन श्रमिकों पर हैं उनके मुताबिक वह लोग हड़ताल नहीं कर सकते । उसके लिये उनको नोटिस आदि देना आवश्यक है । जब यह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट यहां उपस्थित था उस समय हमने बहुत सी आशंकायें उपस्थित की थीं, आज चूंकि समय कम है इसलिये मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आज बिना किसी तालाबंदी के ही हमारे श्रम मंत्री इस बात की घोषणा करते हैं कि कुछ मिलें इस जनवरी में और एक विक्रम काटन मिल, लखनऊ २१ दिसम्बर से बन्द होने जा रही है । मैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के मुताबिक श्रमिकों की ओर से सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि वह उन मिल मालिकों के विरुद्ध कौन से कदम उठाने जा रही है जो कि आज तालाबन्दी करने जा रहे हैं ।

श्रीमन्, तालाबन्दी तो अवश्य होगी क्योंकि जब सरकार का सहारा मिल मालिकों को मिल जायगा तो कोई ताकत नहीं कि उनको अपनी मनमानी करने से रोक सके । क्या आप कभी इस बात को सोचते हैं कि जब केन्द्रीय सरकार अपने ढाई सौ मासिक से कम वेतन पाने वालों का ५ रुपये मासिक महंगाई भत्ता बढ़ा रही है, आपने अपने प्रदेश के कर्मचारियों का, जो ९५ रुपये से कम पाते थे, ५ रुपये मासिक महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है, ऐसे समय में वाह रे हमारे श्रम मंत्री, जो स्वयं इस बात की घोषणा करने के लिये तैयार हैं कि हमारे प्रदेश की मिलों में कपड़े का स्टाक जमा है और इसलिये वहां तालाबंदी होगी, इसके क्या माने हैं ? इसके माने हैं कि आपने स्वयं तालाबंदी को स्वीकार कर लिया है । तो इस नीति की जितनी भर्त्सना की जाय थोड़ी है ।

एक दूसरी बात भी मैं कहना चाहता हूं । वह यह कि श्रम नीति आपकी भले ही श्रमिकों के लिये हो लेकिन उसका फायदा मिल मालिक ही उठाते हैं । उदाहरण के लिये, विक्रम काटन मिल, लखनऊ को ले लीजिये । १९५३ में उसके कुछ मजदूर निकाल दिये गये और उनकी मजदूरी बाकी पड़ी रह गई । पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट के मुताबिक उन्होंने मांग की । केस कोर्ट में चला और कोर्ट ने यह फैसला किया कि उनके वेजेज फौरन अदा किये जायं और साथ ही एक रुपया प्रति मजदूर हरजाना भी दिया जाय । लेकिन आज तक ४ वर्ष का समय व्यतीत हो गया, न तो मजदूरों को वेतन मिला और न कोर्ट के निर्णय के अनुसार हरजाना ही दिया गया । सन् १९५६ में विक्रम काटन मिल फिर चालू किया गया लेकिन सन् १९५७ में ही वह काटन मिल फिर बन्द किया जा रहा है । कहा यह जाता है कि बिक्री न होने की वजह से और मशीन की खराबी की वजह से मिल दिसम्बर में बन्द कर दिया गया । मिल तो बन्द हो गया लेकिन मिल के चालू होने पर आज तक मजदूरों को सन् १९५३ की मजदूरी नहीं मिली । इसके साथ-साथ १,५०,००० रुपया

[श्री जगन्नाथ लहरी]

उन मजदूरों का प्राविडेंड फंड का भी जमा है जो कि हमारे मिल मालिकों ने मजदूरों से प्राविडेंड फंड के रूप में जमा किया था जो उनको रिटायर होने पर दिया जाता या बुढ़ौती में दिया जाता, किन्तु विक्रम काटन मिल में जो १,५०,००० रुपया जमा है उसका कोई पता नहीं है । वह मजदूरों की गाढ़ी कमाई का पैसा विक्रम काटन मिल में गायब हो गया । उसके लिये सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की ।

म्योर मिल के बारे में यहां पर प्रश्न उठाया गया तो उसके विषय में अब कहा गया कि वह अब चालू हो रहा है । सरकार का कहना है कि हमने एक समझौता करा दिया है । आपके लेबर कमिश्नर साहब ने यह समझौता कराया है कि पिछड़े झगड़े की वजह से मजदूरों को उनका वेतन नहीं दिया जायगा और अब वही वेतन मिलेगा जो सिंहानिया के म्योरमिल में मुनाफा होगा । समझौता यही हुआ है कि म्योरमिल में सिंहानिया को मुनाफा होने के बाद जो फायदा होगा उस मुनाफे में से उन मजदूरों की मजदूरी दी जायगी । अगर मुनाफा नहीं हुआ तो एक कौड़ी भी मजदूरों को नहीं मिलेगी । मुनाफे की बैलेन्स शीट एक साल बाद बनती है उस बैलेन्स शीट का भी ठिकाना नहीं है कि उसमें मुनाफा दिखाया जायगा या नहीं । आज नहीं बतलाया जा सकता कि उनको मजदूरी दी जायगी या नहीं । इस तरह का हमारे लेबर कमिश्नर ने मिल मालिकों और मजदूरों में समझौता कराया है कि अगर मिलों को मुनाफा होगा तो उस समय मजदूरों को मजदूरी दी जायगी । वाह रे, उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसने दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया, जो मिलों पर लागू करके उस रास्ते पर उत्तर प्रदेश को चलाना चाहती है । मजदूरों से यह सरकार कहती है कि मजदूरों तुम मेहनत करो, मिलों के अन्दर काम करो लेकिन तुमको मजदूरी नहीं मिलेगी मजदूरी की सिर्फ एक गारन्टी है और वह यह कि अगर मिलमालिकों को मुनाफा प्राप्त हो जायगा तभी मजदूरी दी जायगी । क्या माननीय श्रम मंत्री ने कभी इस बात पर विचार किया है कि इस तरह का समझौता, जो लेबर कमिश्नर ने कराया है, वह कहां तक उचित है ?

श्रीमन्, स्थिति काफी भयंकर होती जा रही है । इसी जनवरी के महीने में कानपुर में ताला बन्दी करके २० हजार मजदूर बेकार हो जायंगे । कम से कम १,००,००० व्यक्तियों को भूख का सामना करना पड़ेगा और उन्हें न मालूम कब तक भूख से तड़प कर मरना पड़ेगा । आज मैं यह कहूंगा कि मिल मालिकों के प्रति सरकार की यह एक ढुलमुल पालिसी है । मिल-मालिक सरकार के ऊपर नाजायज दबाव डालकर एक्साइज ड्यूटी समाप्त कराना चाहते हैं जिस तरह से कि यू० पी० से बिक्री टैक्स हटा लिया गया ।

आज जब की अभिनवीकरण की योजना लागू नहीं हुई है और अभिनवीकरण के सम्बन्ध में जांच हो रही है तभी इस बीच में मिल मालिकों ने अनेक मजदूरों को अलग कर दिया लेकिन सरकार देखती रही । अभी उस कमेटी की जांच पूरी नहीं हो पाई तो उसके पूर्व ही कानपुर में मिल मालिकों ने एक नया संकेत उपस्थित कर दिया । आज हमारा कर्त्तव्य है और मैं सदन से आपके द्वारा मांग करता हूं कि हम गम्भीरतापूर्वक सोचें कि यदि हम समाजवाद के आधार पर समाज की रचना करना चाहते हैं और हम हिन्दुस्तान में समाजवाद की बात करते हैं तो हमको मिल मालिकों की तरफ न देखकर श्रमिकों की तरफ देखना चाहिये और श्रमिकों के हित को लेकर आगे बढ़ना चाहिये । मैं अपने श्रममंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे वास्तव में श्रम मंत्री के नाम का सबूत दें और सच्चे रूप में उनको श्रमिकों के हित का संरक्षण करना चाहिये । यदि आप इस प्रदेश के श्रमिकों के हित की रक्षा करेंगे तभी आप श्रम मंत्री कहलाने के हकदार हैं अन्यथा मैं समझता हूं, श्रम मंत्री का नाम मिल मंत्री कर दिया जाय तो अच्छा होगा ।

श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)--उपाध्यक्ष महोदय, मजदूर सम्बन्धी मसलों पर बोलने का मुझे कोई खास हक तो नहीं है लेकिन फिर भी यह बहस काफी मौलिक किस्म की है । अपोजीशन नेता ने कुछ बातों की ओर ध्यान दिलाया । मिलों में आज कपड़ा ज्यादा है, बिक

नहीं रहा है, इसलिये मिलमालिकों का कहना है कि वे मिलों को बन्द कर दें। यह बातें कुदरती हैं। जो हमारी मौजूदा व्यवस्था है उसमें अगर यह बात आज कानपुर में हो रही है और विरोधी दल के नेता का खयाल है कि कानपुर में ही क्यों हो रही है बम्बई में क्यों नहीं हो रही है, तो मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि ऐसा फ़ीनोमीना कैपिटैलिस्ट सिस्टम में आता ही है। हमारी आर्थिक व्यवस्था आज टूट रही है। जैसा प्लानिंग उसमें होना चाहिये वैसा हम नहीं कर पा रहे हैं और हमारी मनी की वाल्यूम, उत्पादन वितरण और एम्प्लायमेंट में कोई समन्वय नहीं है। अनप्लान्ड इकानामी में यह हुआ करता है कि कपड़े का प्रोडक्शन बढ़ते हुये नंगों की संख्या बढ़ती है और खरीदने की शक्ति कम होती है। विरोधी दल के नेता ने विश्लेषण तो ठीक किया परन्तु इलाज का जो सुझाव दिया वह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मोदीनगर में चुनाव करा दिया जाय...

श्री त्रिलोकीसिंह--सिर्फ मोदीनगर में।

श्री गोविन्द सहाय--मैं आशा करता था कि कैसे इसे हल किया जाय, इसका कोई सुझाव उनकी तरफ से होता। यह बात बढ़ेगी और इस सरकार को सोचना होगा। वरना कैपिटलिज्म ऐसी स्थिति पैदा करता है जिसमें प्रोडक्शन और लाक आउट दोनों बढ़ते हैं और ऐसी बातें पैदा होती हैं। श्रम मंत्री साहेब अगर थोड़ा सा सुधार कर दें तो यह मर्ज दूर हो जायगा, ऐसी ग़लतफ़हमी मुझे नहीं है। श्रम मंत्री साहेब इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। यह सोशल इकानामी का सवाल है। हां, वह शुभकामना कर सकते हैं और मेरा ख्याल है कि वह आखिर में करेंगे। जैसा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने अभी संकेत किया है, डेमोक्रेसी को अब खतरा उनसे नहीं है जो इसे क़बूल नहीं करते लेकिन उसके लिये सबसे बड़ा खतरा आने वाला है प्राइवेट एंटरप्राइज से। यानी जिन सूत्रों से हमारी मौजूदा प्रणाली निकली है उनसे, इसलिये इसका इलाज है टोटल प्लान्ड इकानामी। इससे ही आप सोसाइटी के आर्थिक ढांचे को बदलने की ओर ले जावेंगे। सोशलिज्म की तरफ़ बढ़ने के लिये यह जरूरी है कि हमारी मौलिक आर्थिक स्थिति को सुधारने वाले तबके का हम ख्याल करें, हमारा कानून इसकी व्यवस्था करे। हम सोशलिज्म का नाम लेकर कैपिटैलिज्म की सहायता कर सकते हैं जिससे हम आखिर में ज्यादा मुसीबत में पड़ सकते हैं।

इतिहास हमको माफ़ नहीं करेगा। मौजूदा कांग्रेस पार्टी का तो तहइया है कि सोशलिज्म आवे। इसके लिये कुछ सुझाव दिये जा सकते हैं। एक है पब्लिक सैक्टर का बढ़ाना। मेरा ईमानदाराना यक़ीन है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सैक्टर की मौजूदा नीति के कारण मुल्क में कोई व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है, प्राइवेट सेक्टर-पब्लिक सैक्टर के खिलाफ एक अजीब सा प्रोपेगेंडा कर रहा है। आज हमारे मुल्क में ही नहीं, अमेरिका में, जहां कि सरकार काफ़ी कोशिश करती है मजदूरों की दशा सुधारने के लिये, वहां भी यह क्राइसिस पैदा हो गयी है कि उनके लिये बाजार नहीं है। इसका बुनियादी इलाज है कि कैपिटलिस्ट व्यवस्था को विघटित करने के लिये पाज़ीटिव क़दम उठाने चाहिये। इसलिये जब इस नजर से मैं इस प्रश्न को देखता हूं तो मैं आशा करता हूं कि इस मसले को श्रम विभाग का मसला न समझ कर बल्कि समाज का बुनियादी मसला समझ कर इसका हल निकालने की ओर अपना दिमाग़ जुटावें वरना हमारी प्लानिंग पर, प्रोजेक्ट्स पर, और प्रोग्राम्स पर घातक असर पड़ सकता है। यह सही है कि एम्पलायमेंट बढ़ने के बावजूद किसी सोसाइटी में एम्पलायमेंट कम होने लगे तो एक ख़तरनाक स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए और भी ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को इस ढंग से करें जिसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, वाल्यूम आफ़ मनी, एम्पलायमेंट, इन तमाम में एक रिश्ता कायम हो। आज कैपिटलिस्ट व्यवस्था में सबसे बड़ी खराबी यह है कि पर्चेजिंग पावर, वाल्यूम आफ़ मनी, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में कोई मेल नहीं रहा है। यह सब लोगों की अक़्ल के लिये चैलेंज है। मैं आशा करता हूं कि इस मसले पर हम सब मिल कर एक क्रिएटिव तरीके से सोचकर इसका मिलजुल कर मुकाबला करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---श्री उग्रसेन, मुझे मालूम हुआ है कि आप सोशलिस्ट पार्टी की ओर से बोलेंगे, इसलिये आपको १५ मिनट मिलेंगे आपकी पार्टी के नेता की जगह पर ।

श्री उग्रसेन---बहुत अच्छा, धन्यवाद ।

मैंने अभी २--३ दिन हुये जब श्रम मंत्री जी कानपुर की मिलों की स्थिति पर वक्तव्य दे रहे थे उसे बड़े गौर से सुना । गोविन्द सहाय जी के सुझाव भी मैंने ध्यानपूर्वक सुने और मुझे बड़ी खुशी हुई उनके सुझावों को सुनकर । मगर मुझे अफ़सोस है कि वे जिस भविष्य की कल्पना करते हैं वह भविष्य, वह सुनहला भविष्य, उसकी रूपरेखा इस प्रदेश की सरकार से लाई जाने वाली नहीं है ।

श्रीमन्, उस झगड़े का मूल आधार क्या है ? श्रम । और माननीय श्रममंत्री जी ने बागला, चागला, सिंहानिया और सूरजमल आदि का रोना रोया । मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि कानपुर के अहातों में मजदूरों की कैसी दशा है, वे कैसी गरीबी और भुखमरी में रहते हैं और वहां की सूती मिलों में जो मजदूर काम करते हैं उनकी कौन सी दुर्गति हो रही है । इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया । जहां इस प्रदेश की सरकार की नीति का सवाल है वह तो पूंजीवाद, बागला और सिंहानिया की चेरी बन गयी है, मजदूरों के बारे में कुछ नहीं कर सकती । मेरा तो यह विश्वास है कि जब तक इस प्रदेश में यह कांग्रेस सरकार बनी रहेगी तब तक इन समस्याओं का कोई हल हो नहीं सकता । इसके लिये माननीय गोविन्द सहाय जी ने जो सुझाव दिया उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं ।

२ नवम्बर को माननीय मुख्य मंत्री जी की मध्यस्थता से म्योर मिल सिंहानिया साहब को दे दी गयी और हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी गयी । यह तय हुआ कि अगर बागला और सिंहानिया में कोई डिफरेंस आफ ओपीनियन होगा तो माननीय मुख्य मंत्री जी बीच में मध्यस्थ होंगे । १० दिन बागला साहब के जमाने में काम हुआ लेकिन मजदूरों को उसकी मजदूरी नहीं मिली । इतने दिनों की मजदूरी और फंड का रुपया कुछ नहीं दिया गया । १० दिसम्बर को पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट के अनुसार ६,००० मजदूरों को मजदूरी मिलनी चाहिये थी लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनको मजदूरी १० दिसम्बर को क्यों नहीं मिली ? उनके ऊपर पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट लागू क्यों नहीं किया गया ? मैं आदरणीय सदन से पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि अगर हम कहीं खड़े होकर नारा भी लगा देते हैं तो हमको जेल में बन्द कर दिया जाता है लेकिन फिर आज ये बागला और सिंहानिया जेल में क्यों नहीं हैं ? श्रम विभाग उनके बारे में क्या कार्यवाही कर रहा है ? आज चाहे बागला साहब मजदूरी न दें, चाहे सिंहानिया साहब बन्द होने का नोटिस लगा दें, लेकिन इस सरकार के जमाने में मजदूरों की कोई सुनने वाला नहीं है । जब मजबूर होकर मजदूरों ने हड़ताल की तो शहर भर में दफा १४४ लगा दी गयी । हड़ताल की बात कहने वालों पर दफा १४४ लगा दी गयी । लेकिन आज क्या कारण है कि पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट का उल्लंघन करने वाले बागला साहब जेल में नहीं हैं और मजदूर भूखों मर रहे हैं ।

काटन मिल में १ दिसम्बर से प्ले आफ शुरू हुआ । उनका कहना है कि लेबर सरप्लस है । मिल मालिक का कहना है कि १,३०० सरप्लस हैं लेकिन लेबर डिपार्टमेंट कहता है कि ५०० सरप्लस हैं । कहा जाता है कि ३०० मजदूर इस्तीफा दे चुके । बाकी मजदूरों से चौगड्डा चलवाया जाता है ।

अथर्टन वेस्ट मिल्स में १४ तारीख से प्ले आफ हुआ । मैं पूछना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में विन्ध्यवासिनी कमेटी की रिपोर्ट पर कौन सी कार्यवाही की गयी ? कानपुर मिलों की इस प्रकार की हालतों से १४--१५ हजार मजदूरों की दुर्गति हो रही है और मिल मालिक आराम कर रहे हैं और श्रम मंत्री भी उनकी दुहाई दे रहे हैं । पूंजीवादी चैन की नींद सो रहे हैं और मजदूरों के बीच भुखमरी और कठिनाइयां तांडव नृत्य कर रही हैं । इसीलिये मैंने श्रीमन् आपसे निवेदन किया कि यह कांग्रेस सरकार पूंजीवादियों की चेरी बन गयी है । यह गरीबों के लिये कुछ भी करने वाली नहीं है ।

मैं एक बात कह दूं कि अगर आप यही कर रहे हैं तो आपने समाजवाद का प्रस्ताव ही पास क्यों किया है। इसी तरह से समाजवादी समाज बनायेंगे और सोशलिज्म को हिन्दुस्तान में लायेंगे ? इससे तो केवल टाटा, बिड़ला, सिंहानिया और बागला का ही लाभ होगा, प्रदेश की ६,५०,००,००० जनता का लाभ नहीं होगा।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि अभी परसों नेशनल हेराल्ड में मैंने एक कार्टून देखा जिसमें एक गरीब मजदूर खड़ा है और सेठ जी के सर पर कपड़े का गट्ठर रखा हुआ है और हमारे माननीय मंत्री जी उसे बेंच रहे हैं। उस कार्टून को देख कर मेरे मन में बात आयी कि कार्टून बहुत अच्छा है और इसके बनाने वाले को धन्यवाद देना जरूरी है। आज हम एक रास्ते पर खड़े हैं और देख रहे हैं कि करोड़ों रुपया म्योर मिल के मालिक दबाये पड़े हैं जब कि हमारे घर की हालत आज यह है कि हमारी मां, बहनें कथा वार्ता में पड़ोस में भी नहीं जा सकतीं, क्योंकि उनके पास तन ढँकने के लिये वस्त्र नहीं हैं।

श्रीमन्, इस बात से मुझे बड़ी खुशी हुई कि मोदीनगर की बात मुझे याद दिलायी गयी। श्रीमन्, वहां कोई यूनियन नहीं है जो मजदूरों का सही प्रतिनिधित्व कर सके। आज हालत यह है कि हमारी मां, बहनें, औरतें मारी और पीटी जाती हैं। अंग्रेजी जमाने में जब औरतों को पीटा जाता था तो वे ही मंत्री लोग बड़ा हल्ला मचाते थे कि हमारी मां और बहनों को पीटा जाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि इन मंत्रियों के ही जमाने में जब मां, बहनें, औरतें पीटी जाती हैं तो फिर ये क्यों नहीं उसको रोकते ? अखबारों में बड़े-बड़े बयान निकाल दिये जाते हैं कि १०७/११७ और १४४ के अन्तर्गत मजदूरों की गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सदन को बतलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है, जिसमें ऐसे श्रम संकट की स्थिति पैदा हो गयी हो।

मेरे यहां एक भटनी शुगर मिल है, जिसे १० वर्ष के बाद खोला गया है लेकिन वहां ६७८ मजदूर बेकार पड़े हैं। एक बात माननीय मंत्री जी ने और कही कि १४ दिसम्बर को ३,००० मजदूर म्योर मिल में काम पर आये। वे क्यों आये, मैं आपको बतला दूं। सोशलिस्ट पार्टी के नेता श्री राजनारायण जी ने जाकर उनके बीच में भाषण दिया और उनको सलाह दी कि आप लोग काम पर जायं, फिर वे लोग काम पर गये। मैं कहता हूं कि यदि सरकार की नीति नहीं बदली तो मजदूरों में और असन्तोष बढ़ेगा। राजनीति में भविष्यवाणी करना तो मूर्खता है, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूं लेकिन जैसी सरकार की नीति मजदूरों को भूखों मारने की है, उससे और उम्मीद ही क्या की जा सकती है ? श्रीमन्, १९४७ में बम्बई में १० दिनों तक हड़ताल चली थी जब कि १९३६ के ट्रेड यूनियन ऐक्ट के मुताबिक कार्यवाही की गयी थी। लेकिन आज हमारी समाजवादी और प्रगतिशील कही जाने वाली सरकार तो मजदूरों के लिये खाना और कपड़ा भी नहीं देना चाहती हैं। जब तक मजदूरों को रोटी और रोजी नहीं दी जायगी तब तक वे सन्तुष्ट नहीं होने वाले हैं। आखिर यह सरकार क्यों दे, वह तो केवल वोट लेने के मौके पर ही उनके पास जायेगी और वोट लेने के बाद फिर उनसे कोई मतलब ही नहीं रखना चाहती।

श्रीमन्, आज उत्तर प्रदेश की जो लेबर पालिसी है उसके अनुसार मैं माननीय श्रम मंत्री जी से कहूंगा कि मजदूरों को रोजी और रोटी देने के लिये आपका लेबर डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। यह भी आपकी जिम्मेदारी है कि आज तक जो उन्होंने काम किया है उसकी भी मजदूरी दिलवायें। वे कोई आजमगढ़ और देवरिया के घुरहू, मंगरू नहीं हैं जो ४, ४ आने पर टेस्ट वर्क करने के लिये चले आवेंगे। अगर कोई मशीनरी खराब है तो उसके लिये मजदूर जिम्मेदार नहीं है जो यह कहा जाता है कि उसकी वजह से मिल को बन्द कर देना पड़ता है। अगर कोई मशीनरी खराब है तो उसको ठीक कराना मिल मालिक का काम है। यह नहीं कि यह बहाना लेकर आप मिल बन्द कर दें और मजदूरों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करें और उनको भूखों मारें। आज तो उनका सर्वनाश हो रहा है, उनकी जिन्दगी जा रही है, लेकिन वे दो चार बंगले जरूर बनवायेंगे। बंगले के अलावा मोटर भी, २० के बदले ५ से ही

[श्री उग्रसेन]

काम नहीं चलावेंगे। कम से कम उन पैसों को बचा कर उनसे गरीबों को जिलाइये ही, कोई भीख देकर नहीं, कोई दान देकर नहीं, उन पर कोई मेहरबानी करके नहीं बल्कि मजदूरों का यह एक जायज हक है। अगर इस देश में और इस प्रदेश में सही मानों में समाजवाद कायम होना है तो हमें उनके यह हक स्वीकार करने होंगे। कहा जाता है कि हम लेबर को मैनेजमेंट में पार्टनरशिप देंगे। वह क्या आप दिलायेंगे और कौन देगा। दस दिन की कमाई भी उनको कोई देने दिलाने को तैयार नहीं है, वह तो केवल "दिल बहलाने को गालिब खयाल अच्छा है", लम्बे-लम्बे भाषण और आशायें दिलाई जा सकती हैं लेकिन कौन मालिक है, किसकी मिलें हैं, कौन सताया जा रहा है? अभी माननीय गोविन्द सहाय जी ने इशारा किया था कि जब तक हमारे यहां एक सोशलिस्ट स्ट्रक्चर नहीं होगा, तब तक देश की पूंजी पर आम समाज का अधिकार नहीं होगा, जब तक यह सारी व्यवस्था इन कारखानों की मजदूरों के प्रतिनिधियों के हाथ में नहीं होगी, जब तक यह सरकार खत्म नहीं होगी, तब तक मजदूरों को रोजी रोटी नहीं मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से मजदूरों की तकलीफ को पेश करता हूं।

डाक्टर जयगोपाल (जिला सहारनपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर बहस हो रही है वह मजदूरों के नुक्तानिगाह से एक जरूरी और अहम मसला है। यहां पर जब कभी भी मजदूरों का मसला आता है तो एक खास बात देखने को मिलती है, चाहे स्टाक जमा हो जाय, चाहे मिलमालिक को घाटा हो जाय या कोई और मुसीबत आ जाय, हमेशा इनका असर यह होता है कि मजदूरों की छटनी होती है और मजदूर की हालत को कमजोर किया जाता है और नतीजा यह होता है कि उस गरीब पर मुसीबतें और आफतें आती हैं। इन सब मुसीबतों को दूर करने का महज एक तरीका है और वह यह है कि हमें मिलमालिक और मजदूरों के ताल्लुकात की जो बुनियादी चीजें हैं उन पर गौर करना चाहिये।

आज वाकयात इस तरह से हैं कि मैनेजमेंट हर वक्त इस बात के लिये तैयार रहता है कि वह किसी तरह से मजदूरी कम देकर मजदूरों से ज्यादा से ज्यादा काम ले और इसको कार्यान्वित करने के लिये वह हमेशा अपनी एक न एक स्कीम लिये तैयार रहता है। चाहे वह स्टाक जमा होने की बात हो या कल अभी मजदूरों की रेशनलाइजेशन के नाम पर छटनी की गई थी, गर्ज यह कि एक बड़ी जद्दोजहद चला करती है और मिलमालिक अपने मफाद की हर तरह से कोशिश करते हैं और सरकार जो कि मिलमालिक और मजदूर दोनों के ताल्लुकात और मफात को लेकर काम करना चाहती है उसके लिये यह मुमकिन नहीं होसकता कि वह सिर्फ मजदूरों या सिर्फ मिल मालिकों के हक में सोचे, उसको हर तबके के मफाद का ध्यान रखना होता है जिससे कोई क्राइसिस पैदा न हो सके।

अब हमारे ट्रेड यूनियन वर्कर्स पर भी जिम्मेदारी आती है कि अगर इस तरह के हथकंडे मिल मालिकों की तरफ से इस्तेमाल किये जायं तो हम मजदूरों की परेशानी की तरफ गवर्नमेंट की तवज्जह दिलायें और उसको दूर कराने की कोशिश करें। महज रेशनलाइजेशन आफ मैनेजमेंट भी एक तरीका है, जब रुपए की कमी है, बिक्री कम है, स्टाक जमा है, खर्च कम करना हो तो लेबर यूनियन्स का भी यह फर्ज है कि वह किसी स्कीम के साथ गवर्नमेंट के सामने आयें। मैं समझता हूं कि ऐसे मौके पर सरकार के लिये यह मुमकिन नहीं होगा कि वह जो रोल आज अदा कर रही है उसको अदा कर सके।

दूसरी चीज यह है कि जिस जमाने में जंग चल रही थी और बहुत बड़ी तादाद में मिल-मालिकों ने रुपया कमाया था तो वह सारा रुपया अपने हिस्सों में और जाती मफाद में उन्होंने खर्च कर डाला और कभी उनके जरिये से यह नहीं सोचा गया कि मशीनें खराब हो रही हैं उनको भी बदला जाय। इसलिये जहां जिम्मेदारी सरकार की है कि वह देखती कि आगे इन मशीनों की खराबी क्या दिक्कत पैदा करेगी, वहां हमारे ट्रेड यूनियन लीडर्स को भी चाहिये था कि

इतना मुनाफा प्राइवेट जेबों में जा रहा है और वह क्यों मशीनों की दुरुस्ती और उनको बदलने में नहीं लगाया जाता, इसको एक एजीटेशन का प्वाइंट बनाया जाता। अगर मशीनें अच्छी हों तो जो मुसीबत अक्सर मजदूरों की आया करती है वह टल सकती है।

अभी माननीय गोविन्द सहाय जी ने सोशल निजाम की तब्दीली और इंडस्ट्रीज को कैसे आर्गेनाइज किया जाय इस बारे में कुछ सुझाव रखे। जहां तक बुनियादी चीजों का ताल्लुक है वह दुरुस्त हैं और उनकी तब्दीली के बगैर हम आज प्लान्ड एकनामी में नहीं चल सकेंगे, लेकिन जहां तक पब्लिक सेक्टर का ताल्लुक है हम देखते हैं कि मजदूरों की हालत प्राइवेट सेक्टर से भी ज्यादा खराब है। अब बड़े एजिटेशन के बाद गवर्नमेंट ने एक कंसीलिएशन बोर्ड बनाया है। कहां तक उन मजदूरों की शिकायतें सुनी जा सकेंगी और कितना वह मजदूरों को आगे ले जा सकेगा, यह देखने की बात है।

दूसरे जब हम डिसेंट्रलाइज्ड ऐडमिनिस्ट्रेशन में बिलीव करते हैं तो डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री भी होनी चाहिए। यूगोस्लाविया में जो मजदूर कोआपरेटिव्ज बनायी गयीं और तमाम इंडस्ट्री को डेवलप किया गया वही तरीका हमारे भारत के लिए सूट करता है। इसका एक दूसरा इम्प्लीकेशन और है। वह यह है कि जब हम सरकार से इस बात की मांग करते हैं कि जो कारखाने मजदूरों को नहीं रख सकते, जो कारखाने मजदूरों को ठीक मजदूरी नहीं दे सकते उसको गवर्नमेंट ले ले। तो हमें इस बात के लिए भी तैयार होकर सामने आना चाहिए कि यह कारखाना फलां यूनियन को दे दिया जाय। वह इसको रन कर सकती है। आज सरकार की सब से बड़ी कमी जिसकी वजह से वह सरमायेदार के सामने झुकती है, वह यह है कि उनके पास इंडस्ट्रियल एबिलिटी के आदमी मौजूद नहीं हैं और जहां कहीं भी इंडस्ट्री अपने इंतजाम में लगायी है वह प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा महंगी पड़ी है और मजदूर को कोई बेशतर सहूलियत नहीं मिली है।

इस सहूलियत को लाने का सिर्फ एक तरीका है कि हमारी यूनियन के वर्कर्स आगे बढ़ें और यह कहें कि अच्छा हम कोआपरेटिव बनाते हैं, यह मिल हमारे सपर्द की जाय। हम आधा पेट खायेंगे, तकलीफ सहेंगे, तमाम आपके कानून कायदे और उनकी शरायत भी नहीं रहेंगी मगर इस इंडस्ट्री को कामयाबी और मुनाफे के साथ चलाकर दिखलायेंगे। जिस वक्त तक मजदूर इस हिम्मत को करके आगे नहीं बढ़ेगा और यह जिम्मेदारी नहीं लेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कितनी ही बहसें की जायं, कितने ही यहां आकर झगड़े किये जायं, चाहे मंत्री जी को बुरा कहा जाय, चाहे डिपार्टमेंट में नुक्स निकाले जायं, हमारी दिक्कतें दूर नहीं होंगी। आज परिस्थिति यह है कि जितनी भी कपड़ा मिलें हैं उनमें चाहे बदइन्तजामी से, चाहे ओवरहेड चार्जेज बहुत ज्यादा होने की वजह से उनका रुपया ब्लाक्ड है और वह हर जगह यह तरीका अख्तियार कर रहे हैं कि हमें किसी तरह से मजदूर से छुट्टी मिल जाय।

मोदीनगर का जिक्र यहां पर किया गया। मुझे जहां तक वहां की इत्तिला है वह यह है कि वह जो भाई बेहोश हो गये थे, या मर गये थे या मरे हुए एलान कर दिये गये थे सब मैनीपुलेट की हुई चीज थी और इसलिए थी कि जो वहां की यूनियन बन गयी थी वह मैनेजमेंट से मुताबिकत नहीं खाती थी और किसी तरह से भी छुटकारा न था। तो यह वाकया किया गया और मैनेजमेंट के ही लोगों ने एलान करके प्रोपेगेंडा करके, बेचैनी पैदा करके स्ट्राइक करा दिया और इल्लीगल स्ट्राइक करार दे दिया। मैनेजमेंट के हाथ में यह चाभी आ गयी कि वह लाक आउट की शरण लें, पुलिस की शरण लें, कानून की शरण लें और मजदूरों को पीस दें।

आज जिस तरह से ट्रेड यूनियन मूवमेंट हमारे प्रदेश में चल रहा है उसके अन्दर हम मजदूर की भलाई के लिए कितना काम करते हैं और सोचते हैं, कितना हमने यह देखते हुए कि मशीनों का रेशनलाइजेशन हो जाय, मैनेजमेंट का रेशनलाइजेशन हो जाय हम बतौर नेता कितने अप टु डेट हो सके हैं। हमारा वही पुराना तरीका, वही पुरानी मांगें, वही पुराने नारे आज की तारीख में चले आ रहे हैं। मैं निहायत अदब के साथ यह अर्ज कर देना चाहता

[डाक्टर जयगोपाल]

हूं कि इन नारों के साथ हम बतौर लेबर वर्कर के, बतौर लेबर लीडर के और बतौर लेबर तहरीक के, इस चीज को आगे नहीं ले जा सकेंगे। बहरहाल चवन्नी मजदूर को मिले और उस नारे पर हम उसको आगे लेकर चले जायं यह आज से दस साल पहले ठीक था। आज की तारीख में जब तक हम नहीं बता सकेंगे कि किस तरह के सोशल निजाम के लिए मजदूर तहरीक चलायी जा रही है और उसको उसके लिए क्या कुरबानी करनी है, उसके अन्दर डिसिप्लिन, अपनी यूनियन के साथ वफादारी और अपने काज के लिए कुरबानी करने की स्पिरिट पैदा नहीं होगी---हम अपनी ट्रेड यूनियन में कर क्या रहे हैं ? कहीं इस पार्टी की यूनियन है, कहीं उस पार्टी की है, तो हम वहां पर इक्तदार की जंग लड़ा करते हैं। इक्तदार की जंग लड़ने में मजदूर के मफ़ाद कुर्बान हो जाते हैं और ईमानदारी की दुहाई देने के बावजूद बेईमानी की जय होती है। तो इन हालात के अन्दर मजदूर मजबूत नहीं हो सकता। अगर उसको मजबूत करना है तो हमें अपने आपको अपटुडेट करना होगा, सिर्फ गवर्नमेंट पर मुनहसिर नहीं होना पड़ेगा। गवर्नमेंट का उसूल यह है अगर आप अच्छे ढंग से चलायेंगे तो गवर्नमेंट उसको मंजूर कर लेगी और अगर मिल मालिक धोखेधड़ी से, सब तरह की चालाकी करके, अपनी इंडस्ट्री में क्राइसिस दिखा देगा तो गवर्नमेंट वहां भी यील्ड कर देगी। हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि आज हमारे लेबर मिनिस्टर उस गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं जिसको सिर्फ मजदूर ने बनाया है या मजदूर पार्टी ने बनाया है। यह उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसे हम सबके मफ़ाद को इकट्ठा करके ले चलना है।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां जो मिल के लेबर के प्रश्न पर वाद-विवाद चल रहा है उसके मुताल्लिक मुझे यह कहना है कि हमें इस प्रश्न पर एक ही तरफ़ से विचार नहीं करना है। हमें यह देखना है कि मूल प्रश्न क्या है ? जिससे यह दूसरा प्रश्न पैदा हुआ है। मूल प्रश्न है हमारी इंडस्ट्रीज और उनका बन्द हो जाना। जो इंडस्ट्रीज प्रदेश में पहले से चालू हैं और कई वर्षों से काम करती आ रही हैं आज वे बन्द होती चली जा रही हैं जब कि प्रदेशीय सरकार की यह पालिसी है कि इस प्रदेश में इंडस्ट्री के बारे में, जो सारे भारतवर्ष में इंडस्ट्रियली सब से बैकवर्ड है, तथा इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर अपना कदम दृढ़ता के साथ और तीव्रता के साथ बढ़ाना है। इसलिये हमें यह देखना है कि इसका क्या कारण है। जब हम इंडस्ट्रियली बैकवर्ड हैं और हमें लोगों को प्रोत्साहन देना है नई इन्डस्ट्रीज खोलने के लिये और सरकार इमदाद देना चाहती है, फिर भी पुरानी मिलें, तजुर्बेकार इंडस्ट्रीज बन्द होती चली जा रही हैं, यह बड़े दुःख की बात है। हमें इसमें जो कमियां हैं उनका पता लगाना है। इसलिये केवल लेबर की बात कर देना और मामले को डिसपोज आफ कर देना, इससे मामला हल होने वाला नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि अगर यह बात सही है कि मिल मालिकों को नुकसान है और उसके कारण मिलें बन्द की जा रही हैं तो उसका तत्काल सोल्यूशन केवल एक है, जो दुनिया में तजुर्बे के बाद मालूम हुआ है, वह यह है कि उसको सरकार ले ले, उसको जिन्दा रखा जाता है उस पीरियड के लिये जब तक वह इंडस्ट्री ठीक वर्किंग आर्डर में नहीं आ जाती। यह गवर्नमेंट की ड्यूटी है क्योंकि वह किसी एक की सम्पत्ति नहीं है, बिड़ला की सम्पत्ति नहीं है, उस पर किसी भी दम हमारा और हमारी जनता का, सरकार का कब्जा हो सकता है। इसलिये मैं समझता हूं उन इंडस्ट्रीज को जिन्दा रखना सरकार का काम है।

उसका तरीका क्या है ? तरीका यह है कि उनको सब्सीडाइज किया जाता है। कोई अधिकार मिल मालिक को इंडस्ट्री को बन्द करने का नहीं होना चाहिये। जब इस सदन में नये ऐक्ट बनते हैं, क्या कारण है सरकार को देख लेना चाहिए और मैं अदब से अर्ज करूंगा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर आज तक हमने नहीं देखा है। हमें भविष्य के लिये इन्तजाम करना है तो इस प्रकार का एक कानून आना चाहिये कि किसी भी मिल मालिक को यह स्वतन्त्रता नहीं है कि ऐट प्लेजर, अपने प्राफ़िट मोटिव के लिये ही देश के अन्दर इंडस्ट्री को चालू रखे और सारे मुल्क को लूट कर अपने खजाने को भरने के लिये वह मुल्क के अन्दर इंडस्ट्री को चालू रखे। यह हमारी सरकार का उत्तरदायित्व है और यह हमारे पास अधिकार है, इसके ऊपर मिलमालिक का कोई गुरेज नहीं हो सकता और कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती।

इसलिए मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जितने लेबरर भाई बेकार कर दिये गए हैं उनको सरकार को फौरन मिलों को चालू करके काम पर लगा देना चाहिए। उन मिलों के लास को दूर करने के लिए हर मुल्क के अन्दर आप फ्रांस में जाइए, इंगलैण्ड में जाइए, इंगलैण्ड की इंडस्ट्रीज कमीशन की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, अमेरिका की पढ़ी होगी, जर्मनी की पढ़ी होगी, सरकार हर जगह इंडस्ट्री को सब्सिडाइज्ड करती है उस लास को मेक अप करने के लिए, उस इंडस्ट्री को जिन्दा रखने के लिए।

दूसरी बात, जिस मुल्क के अन्दर उत्पादन की इतनी कमी है, जहां लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, जहां लोग चिथड़े पहने हुए घूमते हैं, क्या कारण है कपड़ा वहां मिलों में जमा है? उसके लिए मार्केट ढूंढ़ना, पता चलाना कहां हमारे कपड़े की खपत है, यह सरकार की ड्यूटी है, यह सरकार का काम है टु फाइंड आउट दी मार्केट फार दि गुड्स (to find out the market for the goods)।

दूसरी ओर आप बाहर का कपड़ा इम्पोर्ट करते हैं, अपने स्टेट का कपड़ा तो सरप्लस पड़ा हुआ है, आप डिक्लीज करें इम्पोर्ट को। यह उसका तरीका है। आपको मुल्क की व्यवस्था करना है तो बुद्धि से काम लीजिए। आप सेंटीमेंट से बात करेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आप कंट्रोल करिये इम्पोर्ट्स को ताकि आपका जो सरप्लस गुड्स पड़ा हुआ है जिसकी तिजारत नहीं हो रही है उसको आप जनता के लिए खोलें और उसके साथ-साथ जनता को सहूलियत दीजिए, आप जनता को कंसेशन दीजिए, सरकार को उस लास को बेयर करना है, जिससे कि वह कपड़ा जनता में बिक जाय। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, यह बातें हमारे देश और विदेश के लोगों ने तजुर्बे से सीखी हैं, उन्होंने बड़े-बड़े नुकसान उठाये हैं, बड़ी-बड़ी ठोकरें खायी हैं, अगर आप उस पास्ट एक्सपीरियेंस से अपने लोग या देश के लिए सहूलियतें पैदा नहीं कर सकते और बिना उस लास को उठाये अगर आप अपने लोगों की जिन्दगी को ठीक तरीके से चलाने का इन्तजाम नहीं करते तो आप महान् भूल करते हैं।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ये हमारे जितने भी लेबर एम्प्लाईज हैं आखिर में तो उनका उत्तरदायित्व भी हमारी सरकार का है और यह इस सरकार का काम है, कोई इस से इनकार नहीं कर सकता, हर किसी का अधिकार सरकार के ऊपर है कि यह सरकार उस को दाल रोटी, उस को तिजारत, उसकी शिक्षा दीक्षा, उसके खाने पीने के जरिये मुहैया करे और उसकी जिन्दगी को कायम रखने के लिए साधन उपलब्ध करे। इसलिए हमारी सरकार को चाहिए कि अगर मिल मालिक इन मिलों को ओपेन रखने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फौरन सरकार को उस पर कब्जा करके बहुत जल्द खुद चालू कर देना चाहिए। यह तो हमारी सरकार की ओर से बहुत बड़ी कमी है। यह सोचने की कमी है या फिर कमजोरी है या कोई दूसरी बीमारी है। इस पर मुझे बड़ा खेद है। यह क्यों खिलवाड़ किया जाता है। आप को साढ़े छः करोड़ की तकदीर का फैसला करना है। साढ़े छः करोड़ के हितों की रक्षा करने के लिए इस सरकार को बिठाया गया है। आप सोचिये ठंढे तरीके से लेकिन इतने ठंढे तरीके से नहीं कि आप के दिमाग का टेम्परेचर ही गायब हो जाय। समय लीजिये लेकिन उपयुक्त समय लीजिये। ऐसा समय न लीजिए कि मुल्क के अन्दर अव्यवस्था पैदा हो जाय। आखिर,

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

हम लोग जनता के प्रतिनिधि होकर आते हैं तो हमें जनहित की बातों को, जनहित के प्रश्नों को, अवश्य हल करना होगा और मैं समझता हूं कि केवल इस प्रकार की दलील और तकरीर और इस प्रकार के तूफान उड़ा देने से काम बनने का नहीं है । हम में भी दर्द है उन भाइयों का । मैं समझता हूं कि केवल वोट के लिए लीडर बने और अखबारों में प्रचार करें, यह कुछ न्यायसंगत सा प्रतीत नहीं होता । हम तो कहते हैं कि सरकार; हम और आप सब मिल कर जोर लगायें, खास कर सरकार जरूर सतर्क हो । जो सरकार इस मसले पर सो रही हो उसके लिए बड़ा खेद है ।

श्री झारखंडे राय--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्रम मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया वह दर्पण है जिसमें इस सरकार की रीति और नीति का स्पष्ट दर्शन होता है । ऐसे ही मौके राष्ट्र और प्रदेश के जीवन में आते हैं जब किसी भी सरकार का वास्तविक चरित्र स्पष्ट हो जाता है । पूंजीपरस्त नीति और पूंजीवाद का हित करने की नीति सरकार पिछले दस वर्ष से बरत रही है और उसका एक नमूना यह वक्तव्य भी है । इस वक्तव्य ने प्रदेश की श्रम स्थिति पर भी कोई निगाह नहीं डाली । हमें उम्मीद थी कि मोदीनगर में जो संकट पैदा हुआ है जिसमें ३०० मजदूर जेलखाने में हैं और जहां अनेक प्रकार की ताड़नाएं मजदूरों को दी जा रही हैं उन पर प्रकाश पड़ता ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कामरोको प्रस्ताव दिया था उस में पूरे प्रदेश की श्रम स्थिति का चित्र था और इस बात की आशा थी कि माननीय मन्त्री जी पूरे प्रदेश की स्थिति का उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे । उसमें इस बात का कतई जिक्र नहीं है कि बरेली माचिस फैक्टरी में किस तरह से मजदूर आज गिरफ्तार हुए हैं और उन्हें सताया जा रहा है । उस में इस बात का भी जिक्र नहीं किया गया कि अलीगढ़ के इम्प्लीमेंट्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी के जो ३५० मजदूरों में से १५० मजदूर रोजी से वंचित कर दिये गये हैं उन का क्या होगा । सरकार ने इस बात का भी जिक्र नहीं किया कि सहजनवां जूट फैक्टरी क्यों बन्द पड़ी है और जो श्रम संकट गोरखपुर से मेरठ तक फैला हुआ है उसका क्या होगा । इस सबको कानपुर की टेक्सटाइल मिल तक ही सीमित करना, मैं समझता हूं कि वह सदन के साथ अन्याय किया गया है । माननीय श्रम मन्त्री ने जो वक्तव्य दिया है मैं अगर उनको जानता न होता या वह इस सदन के मेम्बर न होते, एक मिनिस्टर न होते तो मैं समझता कि व्यावसायिक संघ के सेक्रेटरी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं । वह रिपोर्ट लेबर मिनिस्टर की नहीं है । मैं समझता हूं कि वह एम्प्लायर मिनिस्टर की रिपोर्ट कही जानी चाहिए ।

हमारे श्रमजीवी पत्रकार जिनके विषय में यहां कई बार चर्चा हो चुकी है, जिनके वेतन के सम्बन्ध में सरकार ने कानून बनाये हैं और जिस कानून की कुछ पत्रपति अवहेलना कर रहे हैं उसके बारे में सरकार क्या कर रही है, सरकार के प्रयत्नों का क्या फल हुआ है, उसकी कोई चर्चा नहीं हुई है । सरकार की पूरी श्रम नीति और उद्योग नीति मशहूर बिरला कमेटी के सुझावों पर निर्धारित है । उसी का फल है कि आज हमारी सरकार, इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार, कुछ पूंजी के शैतानों और मजदूरों की तनख्वाह चोरों के हाथ में खेल रही है और उनकी हिमायत कर रही है । आज जो स्थिति पैदा हो गयी है विक्रम काटन मिल में माननीय लेबर मिनिस्टर साहब ने चर्चा की कि लेबर कमिश्नर साहब उसका फैसला करेंगे ? लेकिन क्या मैं उनसे पूछूं कि म्योर मिल का वही हस्र होने जा रहा है, कानपुर के मजदूरों की मजदूरी का जो झगड़ा पैदा हो गया है उसका वही नतीजा होगा जो विक्रम काटन मिल का हुआ है, जहां १ लाख १५ हजार रुपया प्रॉविडेंट फंड का गायब हो गया, कोर्ट ने जो हरजाने की रकम दिलायी है उसका कोई पता नहीं, ५० हजार रुपया मजदूरी का बकिया पड़ा है । जो पिछले ४ साल से दिलाया नहीं जा सका, तो क्या यही नतीजा होने वाला है म्योर मिल के मजदूरों का ? उनकी ३ महीने की तनख्वाह बाकी है । वह क्या लेबर कमिश्नर साहब की कोशिश से मिल जायगी ? यह पूंजी और खून के सौदागर जो मजदूरों की हड्डी और मांस पर पलते हैं और अपनी तोंदें मोटी

करते हैं, मैं समझता हूं कि लेबर मिनिस्टर साहब और उनके कर्मचारी उनको कभी भी झुका नहीं सकते हैं।

आप छोटी सी बात लीजिये। दो-दो मरतबा इस सदन में, जब से हम यहां आये हैं कानपुर के मजदूर ४५ मील पैदल चल कर आये हैं जाड़े के दिनों में। क्या यह हजारों की तादाद में इस प्रकार पैदल चलकर आना कोई शौक से होता है? कोई पूंजीपति भी आज तक पैदल चला है अपनी कोई शिकायत या मांग को लेकर? ऐसी लड़ाइयों में जो पूंजीपतियों का रुख है वह समाज की दुश्मनी है वह राष्ट्रीय द्वेष है और इस प्रकार के रुख की हिमायत करना सरकार और मिनिस्टर साहब के लिए सर्वथा अनुचित है। सरकार ने इस बात का जिक्र किया है कि संकट इसलिए आया है कि माल का स्टाक बहुत जमा हो गया है। क्या मैं यह पूछूं कि क्यों जमा हो गया? उसका कोई जवाब सुनने को नहीं मिलता। क्या यह ऐसी बात तो नहीं है कि एक्साइजड्यूटी कम कराने और सेल्स टैक्स कम कराने के लिए ये तिकड़में की जा रही हैं और ब्लैकमेल हो रहा है? यह जो २ पैसे की छूट एक्साइज में दी गयी है जिससे १२ करोड़ का फायदा पूंजीपतियों को हुआ है, उससे कपड़े के दाम कितने घटे हैं और उपभोक्ताओं को उससे कितना फायदा पहुंचा है? मैं उम्मीद करता था कि सरकार के वक्तव्य में इन चीजों का जवाब मिलेगा, लेकिन यह तो उपभोक्ताओं को धोखा दिया गया है। सरकार जानती न हो, यह बात नहीं है। हमारे लेबर मिनिस्टर साहब बुजुर्ग आदमी हैं, शायद पैर लड़खड़ायें और हाथ कांपने लगें, लेकिन मुझे आशा थी कि श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा से कि नयी उम्र और मजबूत हाथ-पैर और कुछ कम्युनिज्म और सोशलिज्म की बात कहते थे, वह आमूल परिवर्तन करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि वह भी उसी में खप गये। मैं तो इस बात की मांग करूंगा कि पूंजीपतियों ने जो इस बात का बहाना निकाला है कि उनके यहां स्टाक जमा हो गया है और मुनाफा कम हो रहा है, तो इसकी जांच की जानी चाहिए। एक आल पार्टीज समिति बनानी चाहिए, जो जांच करे कि उनकी यह बात सही है या झूठ है। अगर सदन की कमेटी इस बात का फैसला कर देगी कि हां, सचमुच स्टाक अधिक उनके पास जमा हो गया है तो फिर अन्य कारणों पर विचार हो सकता है। मुकदमेबाजी हो रही है बागला और सिंहानिया में, और उनकी मुकदमेबाजी से मजदूर मारे जायं, यह कौन सा न्याय है? मुकदमेबाजी उनमें हो और मजदूरों के घरों में चूल्हा न जले, इससे क्या सम्बन्ध है? मुकदमा वह लड़ते रहें और सरकार मिलों का संचालन करे, उनको चलाये, ताकि हजारों मजदूरों की रोजी चले और लोग भूख से न मरें। जो फैसला कोर्ट से हो उसके अनुसार वह मिलें और फैक्टरियां उनको सौंप दी जायं, लेकिन इन्टेरिम पीरियड के लिए भी उनके हाथ में रहने देना जिससे हजारों मजदूर बेकार और बेरोजगार होते जायं, सरकार इस पर विचार करे। मैं तो यह बात कहूंगा कि स्टाक के बढ़ जाने का बहाना सच नहीं हो सकता।

म्योर मिल के बाद कानपुर काटन मिल भी बन्द पड़ी है। आगरे में भी एक फैक्टरी बन्द है। मिल-मालिकों में झगड़ा हो जाने से सीतापुर की एक आयल मिल भी बन्द हो गयी। इस प्रकार मजदूरों और शेयर होल्डरों पर एक संकट है। इसको यह सदन और जनता बरदाश्त नहीं कर सकती और न मजदूर बरदाश्त करेंगे। मैं इस बात की चेतावनी देना चाहता हूं कि सन् १९५४ में जब हम इस सदन में थे और, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी थे, मैं भी था, कानपुर के मजदूरों ने पैदल मार्च किया था और इसी के बाद जब सरकार ने उनकी आवाजें नहीं सुनीं, सरकार उचित रूप से कानपुर के मिल मालिकों को दबा नहीं सकी और मजदूरों के हक मारे गये तो ८० दिन तक देशव्यापी, समर्थन हासिल करने वाली ऐतिहासिक हड़ताल चली जिसकी मजदूर आन्दोलन में कोई मिसाल नहीं। मैं नहीं चाहता कि इस मजदूरों के इस पैदल मार्च के बाद कानपुर के मजदूरों को फिर से वही रास्ता अपनाना पड़े। सरकार इस खतरे को महसूस करे और कोई मजबूत कदम उठाये।

मजदूरों के बारे में मैंने आप से जिक्र किया कि जिला अधिकारी किस तरह से मजदूरों के साथ बर्ताव करते हैं। मैं आपके सामने उस की एक मिसाल पेश करना चाहता हूं।

[श्री झारखंडे राय]

बरेली में जब बिमको का झगड़ा शुरू हुआ था तो वहां हंगर स्ट्राइक हुआ, लोग जेलखाने में गये और सप्ताहों भूख हड़ताल चलायी जानी पड़ी, और जेल जाने के बाद हमारे साथियों श्री हर सहाय सिंह तथा अन्यों से शिब्बनलाल सक्सेना, एम० पी०, पैरूलकर, एम० पी० और यूसुफ को मिलने की आज्ञा नहीं दी गयी।

मैं माननीय मन्त्री जी से आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि पुरानी राठौरशाही केवल कानपुर में ही नहीं चल रही है। न जाने कहां कहां चल रही है, मेरठ में चल रही है, आगरा में चल रही है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिले के अधिकारी मजदूर आन्दोलन को बुरी तरह से कुचल रहे हैं और मजदूरों के खिलाफ पूंजीपतियों का साथ दे रहे हैं। इसकी रोकथाम होनी चाहिए वरना जिलों जिलों में मजदूरों के साथ सरकार की टक्कर होगी और सरकार को उनका मुकाबला करना पड़ेगा।

कानपुर के मजदूरों के वेतन के बारे में कहा जाता है कि समझौता हुआ है और श्रम आयुक्त साहब संगठित यूनियनों को बाईपास कर देते हैं। कानपुर में वहां डायरेक्ट समझौता हुआ है और सूती मिल मजदूर सभा को बाई पास कर दिया गया है। माननीय लहरी जी ने भी इसका जिक्र किया है कि सिंहानिया साहब को जब मुनाफा होगा तब मजदूरों को वेतन मिलेगा। मैं माननीय श्रम मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि कब से वेतन मुनाफे का हिस्सा हो गया। मुनाफा हो तब वेतन मिले वरना नहीं, यह नहीं होना चाहिए। वेतन मिलना चाहिए मुनाफा हो या न हो।

इसलिये मैं चाहूंगा कि हमारे यहां की सरकार इन बातों पर ध्यान दे। हमारे प्रदेश के राज्यपाल महोदय माननीय गिरि साहब ने बराबर इस बात को कहा है कि मजदूर यूनियनों का और इम्प्लायर्स का कलेक्टिव बारगेनिंग होना चाहिये। केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने स्वीकार किया है। वहां पर यह चीज इस्तेमाल में लायी जा रही है। मैं चाहता हूं कि जिसकी चर्चा हमारे राज्यपाल महोदय ने की है उसका प्रयोग यहां होना चाहिये। अंत में मैं आपके जरिये से सरकार से अर्ज करूंगा कि ऐसी तमाम मिलों पर जो लाक आउट वगैरह करती हैं, सरकारी कब्जा होना चाहिये। उनका प्रबंध तथा संचालन सरकार द्वारा कम से कम उस समय तक के लिये जब तक कि झगड़ा हो या वह स्वयं चला न सके, होना चाहिये। सरकार इन मिलों का संचालन जनता के हित में करे।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मिलों के संचालन में मजदूरों का पूरा पूरा हिस्सा होना चाहिए जिसकी चर्चा आज हमारे पूरे देश में हो रही है। हमारे देश के प्रधान मन्त्री ने इसको स्वीकार कर लिया है और एक दो जगह इसका प्रयोग होने जा रहा है। मैं चाहूंगा कि हमारे यहां जो प्रमुख उद्योग धंधे हैं, जैसे शुगर और सूती मिलें, उनमें इस को लागू किया जाय। अन्त में मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इतना कहना चाहूंगा कि जब समाजवाद का लक्ष्य राष्ट्रीय लक्ष्य हो चुका है। जब कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी और अब कांग्रेस पार्टी ने भी इसको अवाड़ी में मान लिया है और अब समाजवाद का लक्ष्य पूरे राष्ट्र का अन्तिम लक्ष्य हो चुका है तो इस समय इस सरकार को इस ओर तेजी से अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मजदूरों के सिलसिले में जो बहस इस माननीय सदन में चल रही है उसे मैंने बड़े ध्यान से सुना। मैंने बड़े गौर से विरोधी दल के नेता की बातें भी सुनीं और दूसरे हमारे साथियों ने जो अपने खयालात का इजहार किया उससे मुझे ऐसा लगा कि वे इस इरादे से खड़े हुए कि इस गवर्नमेंट को सेन्सर करें और उसे मिल मालिकों का एजेन्ट कहें। उन्होंने कोई ऐसा सुझाव नहीं दिया जिससे माननीय मन्त्री जी को कुछ रोशनी मिलती और बेचारे मजदूरों को कुछ राहत मिलने का कोई रास्ता निकल आता।

अभी थोड़े दिन हुए कानपुर के मजदूर लखनऊ लाये गये। दो हजार मजदूर कानपुर से पैदल चल कर लखनऊ लाये गये। यहां एक तमाशा हुआ, लम्बे चौड़े व्याख्यान हुए और उन

भूखे नंगे मजदूरों को मजबूर होकर यहां से परेशान हाल खाली हाथ लौटना पड़ा। जिसका नतीजा यह हुआ कि उस हतोत्साह मजदूर को वे शर्तें स्वीकार करनी पड़ीं जो शर्तें पहले मिलने वाली शर्तों के मुकाबले में बहुत हेच हैं। जहां पहले मजदूरों को यह आश्वासन मिल रहा था कि उनको बकाया का रुपया अप्रैल तक अदा कर दिया जायगा वहां बेचारे मजदूरों को इस बात के लिए झुकना पड़ा कि यदि मिल मालिकों को मुनाफा होगा तो उन्हें कुछ पैसे मिल सकेंगे। सचमुच अगर हम मजदूरों के हमदर्द हैं और हम चाहते हैं कि कानपुर का मजदूर भूखा न रहे, उसे काम मिले, उसे बेकार न किया जाय तो उसका प्रश्न राजनीति का अखाड़ा न बनाया जाता, उसे थोड़े दिनों के लिए छोड़ दिया जाय।

कानपुर में जितना कपड़ा पैदा होता है उसका ९४ फी सदी इसी प्रदेश में बिकता है और जब इस प्रदेश के पूर्व के १२–१२ जिलों में अकाल की हालत हो और सारे प्रदेश में खरीफ की फसल बिगड़ी हुई हो और आदमी की क्रय शक्ति गिर जाय तो लाजिमी है कि मिलों में कपड़ा पड़ा रहेगा और उनका ब्योरा श्रम मन्त्री जी को मजदूरों के प्रश्न पर विचार करते समय बताना पड़ेगा। उनका ब्योरा बताना अपराध हो जाय और उनको मिल मालिकों का एजेण्ट कहा जाय, यह कहां तक उचित है। हर बात में पूर्व के जिलों की बिगड़ी दशा की दुहाई दी जाय, लेकिन वहां के लोगों की क्रय शक्ति गिर गयी है उसका जिक्र न उस मौके पर किया जाय तो उसको क्या कहा जाय। कानपुर में मजदूरों की दशा सचमुच खराब है, मिल मालिक चाहते हैं कि उन्हें कम मजदूरी देना पड़े, वे कुछ मजदूरों को निकालना चाहते हैं। तो फिर उनकी चालों को नाकामयाब होने के लिए कोई ठोस सुझाव आने चाहिएं जिससे मजदूरों को संरक्षण और काम मिले। यह गवर्नमेंट तो मिल मालिकों और मजदूरों के बीच में मध्यस्थ है। हम और आप सब सोशलिज्म की बात कहते हैं तो फिर एक दूसरे पर प्रहार करने के बजाय हमें वह रास्ता बतलाना चाहिए जिससे मजदूरों का भला हो सके। आपने देखा कि दो हजार मजदूर कानपुर से पैदल चल कर यहां आये और बजाय इसके कि उन्हें कुछ पैसे मिलते गांठ के पैसे भी उन्हें खोने पड़े। इससे मजदूर का कोई बहुत भला नहीं हुआ। इस मामले में सीधे सीधे सुझाव आने चाहिए। मेरा पहला सुझाव यह है कि ऐसे कार्य प्रारम्भ किये जायं जिस से हमारे प्रदेश के लोगों की क्रय शक्ति बढ़े। जब तक क्रय शक्ति नहीं बढ़ती, तब तक कानपुर की मिलों का कपड़ा जो इसी प्रदेश में खर्च होता है वह बिक नहीं पायेगा और पड़ा रहेगा। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि हमारे साथी भी कुछ इस तरह के सुझाव देंगे जिससे कि मजदूरों का भला हो और सरकार उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके मजदूरों का कुछ भला करने की चेष्टा कर सके।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्रम मन्त्री जी ने जो अपना वक्तव्य दिया उसके पूर्व ऐसा विचार था कि माननीय श्रम मन्त्री जी कुछ अपने सुझाव देंगे, जिससे कि इन पीड़ित मजदूरों की जो समस्या है उसका कुछ हल निकलेगा, लेकिन, मान्यवर, जब उनका वक्तव्य पेपरों में पढ़ा तो उसके बाद वस्तुतः उत्तर प्रदेश की जिन मिलों की स्थिति खराब थी, उनकी स्थिति और भी बदतर हो गयी और आगे बढ़ने लगी। जो मिलें नहीं बन्द होने वाली थीं वह भी बन्द होने के नोटिस देने लगीं और इस प्रकार गरीब मजदूरों की संख्या, भूख से मरने वालों की संख्या, बढ़ने लगी।

अभी हमारे माननीय साथी, श्री मेहरोत्रा जी, ने कहा कि आलोचना के स्थान पर यदि हम ठोस सुझाव दें तो ज्यादा अच्छा हो। मैं ऐसा समझ रहा था कि संभव है मेहरोत्रा जी, जो कानपुर के निवासी हैं और मिल मालिकों और मजदूरों के बीच रहते हैं, कोई ऐसे सुझाव देंगे जिससे मजदूरों की समस्या सुलझेगी, लेकिन सुझाव की तो कोई बात सामने नहीं आयी। हां, हम लोगों के ऊपर जो कुछ कहते रहते हैं, उनकी कुछ नाराजगी जरूर हुई। मान्यवर, उन्होंने एक बात कही कि क्रय शक्ति कम होती जा रही है। उसके विषय में मैं एक नेक सुझाव देता हूं, सम्भव है श्रम मन्त्री जी स्वीकार कर लें। सवाल यह है कि क्रय शक्ति क्यों कम हुई। यह तो कम होती ही जायगी, ज्यों ज्यों टैक्स बढ़ते जायेंगे। जिस चीज पर टैक्स लग गया,

[श्री भुवनश भूषण शर्मा]

लोग उसे खरीदने से बचते हैं, उसमें किफायत करने की सोचते हैं चंकि उनके पास रुपये की कमी है। अब दूसरी बात यह कि कपड़ा काफी मिलों के पास क्यों हो गया। मिल मालिकों ने मिलों के पर्चेजिंग और सेलिंग ऐजेन्ट्स अपने ही घर वालों को बना दिया है और जब वह चाहते हैं कि मिल में कपड़ा इकट्ठा हो जाय, मिल की तरफ से कपड़ा नहीं बिकने देते। तो परिणाम यह होता है कि जब मिलों में कपड़ा ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो यह कहने का बहाना हो जाता है कि कपड़े का स्टाक चूंकि अधिक है इसलिए हम तालाबन्दी करते हैं। यदि हमारे सुझाव आप को मानने हों, तो मैं यह सुझाव देता हूं कि सरकार जितने भी सेलिंग एजेन्ट्स हैं मौजूदा, उन्हें समाप्त कर दे और नये सेलिंग एजेन्ट्स नियुक्त करे। ऐसा करने से आप देखेंगे कि जितना मिलों के पास कपड़ा नहीं होगा उससे अधिक की डिमांड होगी।

मान्यवर, दूसरी एक बात और कहनी है। मुझे याद है कि अलीगढ़ में एक इम्प्लीमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी अभी कुछ दिन पूर्व थी। उसने इसी प्रकार का एक नोटिस मजदूरों को दिया और छटनी शुरू कर दी और करीब डेढ़ सौ मजदूरों को उसने छांट दिया इसलिये कि स्टाक अधिक हो गया है और सेल नहीं होता, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद देखा जाता है कि उसने सरकार से मांग की कि उसे कुछ रुपया कर्ज के रूप में दिया जाय क्योंकि वह एक फैक्टरी खोलना चाहता है। जब सेल नहीं है, खपत कम है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा कौन सा उद्योगपति होगा कि जिसकी एक फैक्टरी फेल हो जाय और वह उसी तरह की दूसरी फैक्टरी चलाना चाहे। तो ऐसी बात नहीं है। वस्तुतः मिल मालिक अपने फायदे को सीमित रखने के लिये, ताकि उनका मुनाफा बना रहे, इसलिये समय समय पर तालाबन्दी करके और स्टाक दिखाकर बाजारों में स्केयरसिटी पैदा करते हैं और यह कहते हैं कि बिक्री नहीं है, माल मिल में काफी जमा हो गया है और इधर बाजार में स्केयरसिटी है। जब किसी चीज की स्केयरसिटी हो जाती है तब बाजार से कोई भी चीज उड़ जाती है, क्योंकि कहावत है कि स्केयरसिटी हेज इट्स वैल्यू। इससे उसके दाम बढ़ जाते हैं और उसकी तरक्की हो जाती है। इस प्रकार का यह मिल मालिकों का एक तरीका है अपनी बिजनेस करने का। इस तरह से वे अपनी चीज का अधिक से अधिक मुनाफा उठा लेते हैं। मेरी एक बात समझ में नहीं आयी कि जब मिल मालिकों ने अधिक से अधिक प्राफिट उठाया था और ज्यादा से ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग की और उससे फायदा उठाया तो उस वक्त चुपके से मजदूरों को मजदूरी तो नहीं बांट दी थी। मजदूर गरीब तो जब ८ घंटे तक बराबर मेहनत करेगा तब उसको अपना पेट भरने के लिये पैसा मिलेगा। उसके पास और कोई साधन नहीं है जिस से वह अपना पेट पाले। इसी तरह से समय समय पर मिल बन्द होने की सूचना दी और थोड़ा सा टाइम देने के पश्चात् इतने मजदूरों को बेकार कर दिया और सरकार यहां चुपचाप बैठी देखती रही और कोई बात नहीं की। मिल के मजदूर फिर अपनी रोजी के लिये अनशन करते हैं, सरकार से अपीलें करते हैं और सरकार के पास डेपुटेशन भेजते हैं तब सरकार उनको जेल में बन्द करती है, लेकिन समझ में नहीं आया कि क्या सरकार ने कभी ऐसे मिल मालिकों को भी जेल में भेजा है जिन्होंने इतने मजदूरों की एक तरह से हत्या की है। यदि इस प्रकार का कोई इन्तजाम होने लगता तो मैं समझता हूं कि ऐसी कई समस्याएं जो नित्य आये दिन परेशान करती रहती हैं, वह न होतीं।

जहां तक यह झगड़े की बात है, मैं तो कहता हूं कि आपस में समझौता हो, लेकिन जब मिल मालिकों ने यह देख लिया कि ऐसा और कोई तरीका नहीं है कि मजदूरों को किसी तरह से निकाला जाय तो आपस में झगड़ने लगे और आपस में लड़ाई की सोचने लगे और लड़ाई के पश्चात् तालाबन्दी की बात सोचते हैं। फिर आपस में समझौता हुआ जैसा कि बागला और सिंहानिया ने स्वीकार किया। सिंहानिया ने तो यह स्वीकार किया कि हम मिल चलायेंगे। म्योर मिल चलने लगी, लेकिन जो मजदूरों से वायदे किये गये थे उन वायदों के लिये कोई व्यवस्था नहीं रखी गयी। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया गया। ऐसा कानून भी है कि यदि कोई मकान खरीदता है तो उस पर जो कर्जा होता है वह आगे चलकर सब उस खरीददार को देना पड़ता है। जिस आदमी ने मिल का कब्जा

लिया, मैं समझता हूं कि सरकार को उन पर दबाव डालना चाहिये कि वह मिल चलाने के पहले की मजदूरों की मजदूरी उनको अदा करे जो कि मजदूरी अभी तक रुकी हुई है, परन्तु ऐसी बात नहीं हुई। मजदूर परेशान होते हैं और जलूस निकालते हैं। यहां आकर मजदूर सत्याग्रह करते हैं। उनको कोई शौक तो होता नहीं कि जिससे हम लोग उन्हें भड़का दें और वह झगड़ने लगे। मजदूर तो यही चाहता है कि उसको रोटी मिलती रहे। वह किसी के भड़काने में नहीं आता। वह एम० एल० ए० होना नहीं चाहता है और न मिनिस्टर बनना चाहता है। वह तो भूख के कारण चिल्लाता है। उसको रोटी मिलनी चाहिये। इसी तरह से हम उसकी मदद कर सकते हैं। उसके चिल्लाने का एक यही कारण है कि जब उसको रोटी नहीं मिलती है तो वह यह मांग करता है कि उसको रोटी मिलनी चाहिये। समय-समय पर जब भी ऐसी तालाबन्दी होती है तो सरकार को उसे अपने कब्जे में लेकर चलाना चाहिये था, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं की गयी। आपको चाहिये था कि मिल मालिकों से मजदूरों की तनख्वाह दिलाते और उनका खयाल रखते, उनकी रोटी रोजी का खयाल रखते। मुनाफे के समय में मुनाफा तो उन्होंने कमाया है फिर घाटा कौन सहेगा? मजदूरों ने प्राफिट में हिस्सा तो नहीं बटाया उसको वही उसकी मजदूरी दी गयी थी। फिर मजदूर क्यों तबाह किया जा रहा है? आज यह सरकार अपने को समाजवादी सरकार कहती ह लेकिन अगर उसके स्थान पर हम उसे मिल मालिकों की सरकार कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। वस्तुतः यह मिल मालिकों के प्राफिट की सरकार है।

अलीगढ़ की एम्पलीमेंट्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी ने मजदूरों का ३ दिन का बोनस काट कर कांग्रेस के चुनाव फंड में दे दिया। मजदूरों ने इस पर एतराज किया, सरकार से भी उसके बारे में डेप्युटेशन मिला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब इस प्रकार से उनसे चन्दा लिया जाता है तो वे बाद को इस तरीके से फायदा भी उठायेंगे, उनसे दबना भी पड़ेगा। यही कारण है कि मिल मालिक जैसा चाहते हैं प्रस्ताव पास करा लेते हैं, तालाबन्दी करते हैं और नतीजा यह होता है कि मजदूरों को परेशानी होती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार के कायदे और कानून हैं उनके अनुसार सख्ती करनी चाहिए। ऐसी अव्यवस्था जो एक आदमी द्वारा फैलायी जाती है उसको दूर करने के लिये कोई ठोस कदम उठाये।

श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, आज यह सदन प्रदेश की श्रम परिस्थिति पर विचार कर रहा है। मैं खासतौर से कानपुर के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। मेरी अपनी निश्चित राय यह है कि कानपुर में जो गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हुई है वह मिल मालिकों के द्वारा पैदा की गयी है।

अगर म्योर मिल के मामले को हम लें तो हम यही कहेंगे कि दो मिल मालिकों में एक लम्बे अर्से से झगड़ा चल रहा था। एक मिल मालिक ने उस मिल को तबाह किया। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार को उस मिल पर कब्जा कर लेना चाहिये था, लेकिन इस सम्बन्ध में यह निवेदन कर दूं कि उस मिल पर लगभग ३ करोड़ रुपये का कर्जा है और अगर उस मिल को आज बेचा जाय तो डेढ करोड़ रुपये से ज्यादा उसकी कीमत नहीं आ सकती। तो क्या सरकार उसको कब्जे में लेकर डेढ़ करोड़ रुपया के घाटे में आ जाय? ऐसी सूरत में उस मिल मालिक ने मजदूरों से काम करा लिया और मजदूरों को चकमा देकर भाग गया। मजदूरों ने पैसे की मांग की, लेकिन जो दूसरा मैनेजमेंट आया उसने इन्कार भी कर दिया कि उस पैसे के देने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। कायदा तो यह है कि जो भी कंपनी उसको चलाये उसको उनके वेजेज देने चाहिये थे। मैं यह मानता हूं कि सरकार ने मिल चलवाकर मजदूरों को बेकार रहने से बचाया, इसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं, लेकिन सरकार के दिमाग में यह बात भी होनी चाहिये थी कि जो बकाया वेतन मजदूरों का है उसको देने की जिम्मेदारी उस कंपनी की होनी चाहिये, लेकिन यहां तो

[श्री उमाशंकर शुक्ल]

मिल मालिक ने नोटिस लगा दिया कि बकाया पैसा देने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। वहां पर मजदूरों ने दस दिन काम किया और मिल पर उनका छः लाख रुपया बाकी है। इसके बाद एक घटना घटी और उसमें कुछ समझौता हुआ और यह भी हुआ कि दुबारा मिल चले और जब दोबारा मिल चलाने की नौबत आयी तब उसमें राजनीति ने दखल दिया। एक समझौता हुआ था, उसको दूसरी पार्टी ने कह दिया कि हमें मंजूर नहीं है और मजदूरों को लेकर लखनऊ प्रदर्शन करने के लिये वह पार्टी चली आयी। पर हुआ क्या? यहां से लौटने के बाद जो कि उनको यहां तजुर्बा हुआ था उस पर मजदूरों ने साफ इनकार कर दिया कि हम किसी यूनियन की बात नहीं मानेंगे और मालिकों से समझौता कर लिया। मैं इस सदन को अपनी सूचना के आधार पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस यूनियन ने विरोध किया था कि लखनऊ में चलो, वहीं समझौता होगा, उसी यूनियन के पदाधिकारी भी उस समझौते में शामिल थे, जो मजदूरों ने किया। यानी मेरा मतलब यह है कि जो उस मिल में मजदूर काम करते हैं और जिस यूनियन ने मजदूरों को लखनऊ लाकर प्रदर्शन कराया, लखनऊ से लौटने के बाद उन लोगों ने भी जाकर मालिकों से समझौता कर लिया। ट्रेड यूनियन एक तरफ पड़ी रही और मालिकों ने ट्रेड यूनियन, मजदूरों की कमजोरी से फायदा उठाया। इसलिये सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह मजदूरों को उनका बकाया रुपया दिलवावे।

सरकार ने अपने बयान में यह कहा है कि एक कानून पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट बना हुआ है और यह सही है कि सरकार की तरफ से मालिक पर मुकदमा दायर भी किया गया है, लेकिन उस मुकदमें का फैसला कब तक होगा? उसमें एक धारा यह भी है कि अगर मालिक पेमेंट सही तरीके से न करे तो मुकदमा चलाया जाय और मुकदमें में जुर्माने के साथ मालिक को जेल भी भेजा जा सकता है। ये दोनों चीजें कानून में आयद हैं, लेकिन सरकार ने कोई सख्ती से ऐसा कदम नहीं उठाया कि मालिक एक बार जरा जेलखाने की हवा भी खा लेते ताकि मालिकों के कान खड़े हो जाते। सरकार ने मुकदमा तो दायर कर दिया है, यह ठीक है, लेकिन उसका फैसला कब तक होगा, इसका कोई पता नहीं है और उस कमजोरी का नतीजा यह है कि मालिक ने कहा कि जब मुनाफा होगा तब हम बकाया देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे केवल यह कहना है कि कानपुर के और मिल मालिकों ने भी नोटिस लगा दी है कि हम मिल बन्द कर देंगे। आखिर यह सवाल क्यों आया? वे कहते हैं कि काफी स्टाक जमा है, ठीक है। पर क्यों जमा है? इसलिये कि जो माल वे बनाते हैं, एक अनप्लांड वे में बनाते हैं और वह माल इतना रद्दी होता है कि वह मारकेट में खप नहीं पाता है। वे तो केवल मुनाफा देखते हैं। मालिक कहते हैं कि मशीन खराब है, लेकिन मशीन के लिये तो हर साल रुपया बचाया जाता है, फिर क्यों नहीं उस रुपये से नयी मशीन लगवा ली जाती है? मैं समझता हूं कि खराब मशीन का बहाना बिलकुल गलत है।

जहां तक मेरी जानकारी है, अपनी जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि सारा मामला मालिकों द्वारा पैदा किया गया है। वे चाहते हैं कि हम अपने तरीके से मिल चलावें और जितना चाहें उतना मुनाफा उठावें। सरकार से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने म्योर मिल और कानपुर काटन मिल को चलवाया, उसके लिये मैं उसका शुक्रगुजार हूं। कानपुर काटन मिल के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि दोनों यूनियनों ने श्रम मंत्री से कहा कि हम कुछ मजदूरों की छटनी करा देंगे। यह बात बहुत गलत है कि वहां तो कुछ कह आवें और जब प्लेटफार्म पर आवें तो दूसरी बात कहें मजदूरों के सामने उसे कहने की जुर्रत नहीं कर सकते कि हमने क्या कह दिया है और क्या करते हैं। सवाल तो यह है कि यह हमारी कमजोरी है और उसी के साथ-साथ मजदूरों की भी कुछ न कुछ कमजोरी है। अगर सरकार वास्तव में समाजवादी व्यवस्था कायम करना

चाहती है कमजोरों की मदद करे और यदि मिलों को चलाना चाहती है तो उसका फर्ज है कि वह मालिकों के ऊपर सख्ती से उस कानून को लागू करे और कानपुर के मजदूरों को बेकार नहीं होने दे। सरकार ने मिलों को बन्द नहीं होने दिया उसके लिये मैं उसे धन्यवाद देता हूं और मिलों के न बन्द होने का ही नतीजा है कि मजदूर बेकार नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आगे भी सरकार मिलों को नोटिस देने से रोकेगी और मजदूरों को बेकार होने से बचायेगी।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्रम मंत्री जी का वक्तव्य सुनने के बाद जैसा कि और मित्रों पर असर हुआ था वही हम पर भी हुआ। साढ़े चार करोड़ रुपयों का कपड़ा स्टाक में बताया गया। अगर गौर से देखा जाय तो इसकी जिम्मेदारी क्या यहां की जनता पर है? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि क्या प्रदेश में आज लोग नंगे नहीं रह रहे हैं? क्या आज साढ़े ६ करोड़ आदमियों के पास रजाई हो गई है? यह सब आपकी प्रतिगामी श्रमनीति का परिणाम है या जो इस सरकार की अर्थनीति है उसका यह परिणाम हो सकता है। यही कारण है कि आज मोदीनगर का अनरेस्ट है और कानपुर का अनरेस्ट है। यह सब सरकार की श्रम विरोधी नीति का परिणाम हो सकता है, यह चीज साफ समझ में आ सकती है।

यहां की श्रम नीति के सम्बन्ध में अभी कुछ दिन पहले माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा था कि वे कम्पलसरी ऐडजुडीकेशन का विरोध करते हैं और इसलिये कि उसकी धारा आप मजदूरों के खिलाफ ही लागू करते हैं। मिलमालिक निश्चिन्त हो जाते हैं कि हमारे खिलाफ मजदूरों के पास अब कोई हथियार नहीं रहा। वह सी० बी० केस ले जाते हैं। अधिकारी उसमें इतना वक्त लगा देते हैं कि उसकी सारी अरजेंसी ही खत्म हो जाती है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि जो यूनियन्स हैं उनमें डिसक्रिमिनेशन किया जाता है। मोदीनगर का झगड़ा केवल एक बात को लेकर शुरू हुआ कि वहां के मजदूर आई० यन० टी० यू० सी० से अलग यूनियन बना रहे थे, लेकिन एक बहाना बनाकर उनको दुतकारा गया कि हम इन बुनियादों पर आपकी रजिस्ट्री नहीं करते। इसी को लेकर एक वहां के मजदूर ने कानपुर में जाकर अनशन किया, मुलाकात के लिये गये, लेकिन कोई असर नहीं हुआ और हर तरह से मजदूरों के जजबात को दबाया गया। नतीजा उसका यह हुआ जैसा कि हमारे कई साथियों ने कहा कि वहां औरतों तक पर यह सरकार डंडे बरसा रही है। आप कहते हैं कि हम ट्रेड यूनियन्स को प्रोत्साहन देते हैं। उनको कायम करने का सिद्धान्त है कलेक्टिव बारगेनिंग यानी मजदूर जब कोई समझौता वगैरह करते हैं तो वह स्वयं अपने हक को ठीक से नहीं समझा पाते, एडवोकेट नहीं कर पाते, कह नहीं पाते। कानपुर के बारे में जो ढ़ोल पीटा जा रहा है कि वहां के मजदूरों ने सीधा समझौता किया; हम पूछते हैं कि जो सरकार समाजवाद को अपना लक्ष्य मानती है उसके लिये यह ढोल पीटने की बात हो सकती है? मजदूर जिसने मजबूर होकर समझौता किया था उसको यह मान्यता देती है। आज गंगा सहाय चौबे पर जो मुकदमा चलाया जा रहा है उसे उठाया जाय, जो कलेक्टिव बारगेनिंग का सिद्धान्त है उसको मान्यता दी जाय और ट्रेड यूनियन्स राइट्स की रक्षा की जाय और सही मानों में मजदूरों की तकलीफों को दूर किया जाय। मैं फिर कहना चाहता हूं कि इन मिलों के स्टाक्स के बारे में सरकार की श्रम नीति ही जिम्मेदार है, इसलिये मिलों को चलवाने की सारी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिये। सरकार मजदूर नेताओं से पूछे कि उस स्टाक्स के लिये बाजार कहां है। अगर एक सर्वदलीय कमेटी के सामने यह मामला लाया जाय और विरोधी दल के नेताओं से सरकार ईमानदारी के साथ राय पूछे तो वह उसके लिये मार्केट बतायेंगे जहां उसकी खपत हो सकती है और मिलों में जो बेकारी फैल गयी है वह भी दूर हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय गेंदासिंह, बड़ा अफसोस है कि आपको भी केवल ५ मिनट ही मिल सकेंगे।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि या तो सरकार की समझ में कुछ नहीं आता है या हमारी समझ में नहीं आता है, यह मुसीबत हमारे साथ खड़ी है, लेकिन मैं समझता हूं कि मंत्री जी कह रहे हैं और अगर वह सही हों तो सरकार की समझ की खराबी है। मैं दो तीन चीजें एक साथ ही देखता हूं तो बड़ा ताज्जुब होता है, एक तो कपड़े बिना ठिठुरता लोगों का, नंगे रहना और आमदनी भी साथ-साथ बढ़ती जाना सरकारी कागज में हो सकता है। माननीय हाफिज जी बैठे हुये हैं उनका बिभाग कह सकता है कि पिछले पांच-सात सालों में सब लोगों की आमदनी बढ़ती जा रही है। कपड़ा बिना ठिठुर रहे हैं और कानपुर में कपड़ा बिक ही नहीं रहा है मजदूर निकाले जा रहे हैं। यह तीनों बातें एक साथ देखने को मिल रही हैं जिसको सरकार जल्दी कबूल नहीं करती। अब अगर यह बात सही है तो कुछ उधर की समझ की खराबी मालूम होती है। अगर मेरी बात झूटी है तो मेरी समझ में खराबी है। अगर यह बात सही है तो फिर उधर अपना दिल टटोला जाय कि कहां खराबी है। अर्थ नीति की खराबी है, समझ की खराबी है जिसका हम आज चिन्ह पाते हैं इस राष्ट्र पर विपत्ति आने का। किसी राष्ट्र के ऊपर जब विपत्ति आती है तो वह आर्थिक संकट उसका चिन्ह है। समय नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, नहीं तो मैं उदाहरण देता। कोई इस मुल्क की बात नहीं है सारे संसार में इसी तरह से विपत्ति आने के चिन्ह दिखायी देते हैं। आखिर बताये सरकार क्यों कपड़ा पड़ा हुआ है कपड़ा खराब बना, ऊंचे दाम का बना दिया गया, आखिर कौन वजह है कि कपड़ा बिकता नहीं? नहीं बिकता है तो उसका कुछ कारण ढूंढना चाहिये। वह क्या कारण ढूंढे? गवर्नमेंट केवल लेटरबक्स है। यह जो स्टेटमेंट है क्षमा चाहूंगा आचार्य जी से मैं उनकी इज्जत करता हूं। लेकिन यह काम तो लेटर बक्स का है। इसमें कुछ रोशनी नहीं दी। यह नहीं बताया कि क्या उपाय करना है। यह स्टेटमेंट फरमाता है कि कपड़ा नहीं बिक रहा है, फलां मिल में फलां झगड़ा हो गया, मुनाफा कम हो गया है। आप तमाशा देखने वाले हैं। न उधर बैठने वाले तमाशा देखने वाले हैं न इधर बैठने वाले तमाशा देखने वाले हैं। यह ६ करोड़ ३२ लाख लोगों के भाग्य विधाता हैं और यदि सिर्फ स्टेटमेंट देकर अपनी जिम्मेदारी से बरी होना है तो मैं समझता हूं कि पहले बरी होना चाहिये वहां से उठकर। छोड़िये, बाहर जाकर कहिये हमारे सम्हाले यह मिल मालिक नहीं सम्हलते। अगर इन लाखों मजदूरों को मजदूरी नहीं दिला सकते, उनको काम नहीं दे सकते, तो मैं समझता हूं कि वहां बैठने का उनको कोई हक नहीं है। अगर हम बैठ सकेंगे तो चलायेंगे। नहीं तो मुल्क का दूसरा आदमी बैठेगा।

मैं कानपुर की बाबत थोड़े शब्द कह कर मोदीनगर के बारे में कहना चाहता हूं। आप डंडा लेकर वहां खड़े हुए हैं। कोई सभा नहीं करने देंगे, गूजरमल के खिलाफ कोई बोलने नहीं पायेगा। पब्लिक ओपीनियन नहीं बनाने देंगे। पब्लिक ओपीनियन से बना हुआ आदमी यह समझता है कि अगर कोई दूसरी पब्लिक ओपीनियन बनती है तो उसको युद्ध समझता है। गूजरमल के खिलाफ लड़ाई है। आप क्यों डंडा ले कर १४४ सात वर्ष से कानपुर में लगाये हुए हैं और मोदीनगर में दो तीन महीने से १४४ लगा कर आपकी पुलिस, आपके मैजिस्ट्रेट आपकी फौज हथकड़ी लिये हुए खड़ी है? आप हटा दीजिये १४४ कानपुर से, मोदी नगर से और निपट लेने दीजिये हमें। देखिए हम निपटते हैं या नहीं। आप सामने न आयें। या तो कलेक्टिव बारगेनिंग के लिए आप सुविधा दीजिये और शुद्ध ट्रेड यूनियनिज्म चलाने का मौका दीजिये। आप हट जाइये मैदान से, फिर निपटने दीजिये। अगर यह मौका नहीं देते हैं तो फिर हमारे वकील बनिये, यह सरकार जिसकी बनायी हुई है। आप बागला, मोदी के वकील मत बनिये। मैं समझता हूं कि आप मुल्क को खतरे की तरफ ले जा रहे हैं। उस खतरे से मुल्क को बचाइये। बहुत सी चीजों का खतरा है। जो चीज झारखंडे राय जी ने कही उससे ज्यादा नहीं कहा जा सकता। आपको सोचना चाहिये कि आपने क्या-क्या गलतियां की हैं, जिनका यह खमियाजा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, माननीय गेंदासिंह जी की पुरजोश तकरीर आखिर में सुनी । वह कुछ एक अच्छा असर डालने वाली थी । उनके प्रभावशाली शब्द मैंने सुने । मुश्किल यह है, एक तरफ़ मुझे बहुत खुशी है कि इस हमारी असेम्बली में श्रमिकों की समस्याओं को लेकर काफ़ी चर्चा है, इस तरफ़ तो प्रगति है, लेकिन यह अदब से कहना चाहता हूं कि अगर वाकयात से इतनी ही दूर हम अपनी चर्चा में रहे जितना आज रहे हैं तो न तो श्रमिकों का कल्याण होने वाला है और न समाजवाद आने वाला है ।

नेता विरोधी दल ने जो प्रश्न उपस्थित किये थे मैं उनके सम्बन्ध में दो चार बातें कहना चाहता हूं । उन्होंने यह पूछा कि कपड़े की गांठें हमारे ही प्रदेश में इकट्ठा हो रही हैं या और जगह भी ? आपकी आज्ञा से मैं उनसे और सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि नवम्बर, १९५७ के महीने तक हिन्दुस्तान के अन्दर ४० करोड़ रुपये की कपड़े की गांठें मिलों में पड़ी हैं । इसी काल में लगभग ६ करोड़ रुपये के करीब की लागत की गांठें हमारे प्रदेश की मिलों के स्टाक में है । यह मैंने उत्तर दिया नेता विरोधी दल के प्रश्न का । अगर वह कहें कि यह नालायकी है हमारी तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह लंकाशायर की तरफ देखें तो उन्हें यह मालूम हो जायेगा कि जितना कपड़ा लंकाशायर पहले विदेशों को भेजता था आज वह उसका आधा भेज पा रहा है । पिछले १० साल के अन्दर, कारखानों की लायकी या नालायकी का प्रश्न नहीं है, वाकयात ही बदल गये । रेयन आ गई, सिल्क आ गई, आर्टिफ़िशियल सिल्क आ गई और तमाम चीजें आ गईं जिन्होंने कपड़े के बाजार का गला घोंट दिया और उसका असर हमारे प्रदेश पर भी पड़ा, बम्बई में भी पड़ा, कलकत्ता में भी पड़ा .....

श्री त्रिलोकीसिंह--और कहां-कहां लाक आउट है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, जितने प्रश्न नेता विरोधी दल ने किये हैं मेरी जुर्रत नहीं है कि मैं उनका जवाब देने की कोशिश न करूं । उनका पहला जो सवाल था, मुझे खुशी है कि उन्हें तसल्ली हो गई कि कपड़ा सभी जगह इकट्ठा है और यह बीमारी लम्बी है ।

उन्होंने प्रश्न किया कि कहां-कहां लाक आउट हैं । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर जो कपड़े के कारोबार की हालत है उसका जो असर पड़ा है उससे पिछले १ साल के अन्दर १५ कपड़े की मिलें बन्द हुईं सारे देश में और १५ हजार के करीब मजदूर लगे हुए थे उन मिलों में जो बन्द हुई । अकेले उत्तर प्रदेश के बस की बात नहीं है । एक अजीब तमाशा हमारे सामने यह आता है। अक्सर कहा जा रहा है कि हमारे प्रदेश में कपड़े की कई मिलें बन्द हो रही हैं, लेकिन बात उल्टी ही है । पिछले साल बनारस की मिल चालू हुई, एक मिल मुरादाबाद में सन् १९४९ में बन्द हुई, चर्चा उसकी हुई सन् १९५७ में सदन में ।

श्री ऊदल--अभी पूरी चालू नहीं है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--अब मैं लाचार हूं कि अगर मेरे दोस्त की जानकारी इतनी ही है तो मुझे झगड़ा नहीं करना है, लेकिन अगर जानकारी कुछ उनको चाहिये तो देने को तैयार हूं। बहरहाल, मैं तो वाकयात ही दे सकता हूं, किसी दिमाग की बनावट को बदल नहीं सकता।

मैं, श्रीमन्, यह और कहना चाहता था अगर आप देखें तो पिछले साल भरके अन्दर हमारे यहां कपड़े की मिलें जो बन्द होने वाली थी वह थी कानपुर की । उसको हमने बचाया । अब उसी सिलसिले में आप यह देखेंगे कि म्योर मिल का जो झगड़ा हुआ उसमें अगर सरकार दखल न देती और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी अपना व्यक्तिगत प्रभाव न डालते तो हमारे लिये कोई सौभाग्य की बात नहीं होती । ६ हजार के करीब मजदूर बेकार हो जाते । पर जब मिल चल गयी तो हुआ क्या ? कुल जो कुछ उनकी तनख्वाह २३, २४ रोज की बाकी पुरानी थी उसको कमाने के लिये जो रास्ता हमने बताया था उससे तो ३ महीने बाद यह मजदूरी का रुपया वसूल होने वाला था, लेकिन जो रास्ता माननीय झारखंडे राय जी ने अपनी स्पीच में बताया है,

[श्री हमवतीनन्दन बहुगुणा]

सूती मिल मजदूर सभा का, वह पैसा जो मिलने वाला है उससे यह मार्च में पैसा मिलेगा ही, लेकिन उसे पाने की कोशिश में १२ रोज की मजदूरी के पैसे और कुरबान करा दिये गये । पर मुझे किसी से कोई झगड़ा भी नहीं है । मैं कोई नीयत पर हमला नहीं करता, लेकिन उस तरफ बैठे हुए लोगों की ख्वाहिश इस तरफ आने की है और उस ख्वाहिश की पूर्त्ति में चाहे मजदूर का हित खा जायं या मजदूरों का सुख खा जायं, पर शायद इसकी उन्हें परवाह नहीं है। उनसे मुझे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन मजदूर अब अपने दोस्त दुश्मनों को समझने लगा है । कोई तवारीखी बात नहीं है, कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, हाल ही में कुछ लोगों ने मजदूरों को कानपुर से आकर यह समझा लिया था कि ५० मील पैदल ले चलने वाले मजदूरों को और रेलगाड़ियों में स्वयं जाने वाले मजदूर नेता उनका हित करने वाले हैं । पर उनकी ऐसी बात को मानना कहां तक सही है ? यह मजदूरों की समझ में आने लगा है और हल्के हल्के उसका असर भी दीखने लगा है ।

यह चर्चा की गयी कि सरकार इन बन्द होने वाले या घाटे पर चलने वाले कारखानों के ऊपर कब्जा कर ले । ऐसी बात से लाभ ही क्या है ? हम सब जानते हैं कि यह कपड़े की मिलें १८९० वाली हैं । हमारे पड़ोस में पाकिस्तान बैठा हुआ है । उसने अपने यहां पिछले सालों में १०० वर्टिकल यूनिट्स लगायी हैं, मोस्ट रेशनलाइज्ड यूनिट्स और आज वह हमारा मुकाबिला करना चाहता है । अगर सरकार के पास इतनी पूंजी हो कि हम उन मिलों को ले लें तो उतनी पूंजी से हम नयी मिलें क्यों न लगावें ? कहा गया कि मजदूर इन पुराने सांचों की क्या कथा जाने । हमारे एक भाई ने कहा कि वह गोरखपुर या देवरिया से तो सांचे लेकर जाता नहीं । अब वह सांचे न केरल में बनते हैं, न उत्तर प्रदेश में बनते हैं, वह विदेशों से बनकर आते हैं । हमने काफी कोशिश की अपने प्रदेश की मिलों में नये सांचों को लगाने की, लेकिन उसमें भी बहुत सी बुनियादी समस्याएं इकट्ठा हैं । अगर हम नये सांचे लगाते हैं, मिलों को रैशनलाइज्ड करते हैं, हमारा इम्प्लायमेंट पोटेंशियल गिरता है, तो यह आदमियों और मशीनों के बीच संघर्ष उठ खड़ा है । एक तरफ तो हम उसकी बचत का रास्ता निकालते हैं और दूसरी तरफ अन्य वाकयात का मुकाबिला भी करते हैं जो कि हमारे सिर पर चढ़कर आ रहे हैं और हमारी आंखों के सामने आज नाच रहे हैं । मुझे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है और मैं ऐसा हतोत्साह नहीं हुआ हूं कि कोई गजब होने वाला है । आज हमारे मुल्क की तरक्की पैदा हो रही है । इसको कोई रोक नहीं सकता ।

हमारे सामने एक बड़ा अहम सवाल यह है कि पिछले सालों में जो जनता की क्रय-शक्ति में गिरावट हुई है उसका हम क्या करें, लेकिन यह गिरावट न सरकार की नीति से हुई है और न किसी और वजह से हुई है, माननीय गेंदासिंह जी भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि पिछले तीन चार सालों में किसान की फसलों का बराबर नुकसान हुआ है, नतीजा ऐसा हुआ है कि कपड़े के उद्योग पर असर हुआ है । अगर कपड़े की बिक्री और खाने की कीमतों के इंडिसेज का चार्ट आप खींचें तो आपको ऐसा लगेगा कि खाने के दाम जब जब कम रहे कपड़े की खपत ज्यादा रही । हमारे कपड़े के खरीदार अधिकतर अर्बन एरियाज में रहते हैं और अर्बन एरियाज की हालत यह है कि एक आदमी के लिये अगर पहले तीन रुपये का चावल काम देता था तो आज उसका काम आठ रुपये के चावल से चलता है । तो उसके सामने अपनी भूख को बुझाना पहला काम है, कपड़ा पहनना उसके बाद आता है । हमारी यह बुनियादी दिक्कत आज है । इसको हम स्वीकार करते हैं । इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया, हमारे नेता सदन ने स्वीकार किया और कांग्रेस की तरफ से हमेशा इस बात को कहा जा रहा है कि आज हमारे सामने फूड क्राइसिस है । इसी की वजह से जगह-जगह कपड़े की गांठें जमा हैं । खाना आज हमारे लिये एक चैलेंज हो गया है और अगर हम उसको मोट नहीं करते तो यह हमारी प्रगति के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा होगी । मुझे पूरा भरोसा है कि खाने की समस्या का मुकाबिला करने की तरफ हम जो तवज्जह दे रहे हैं उससे वह समस्या हल हो जायगी । यह जो हमें तरह तरह की बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं, कहीं पैसे की कमी का होना, कहीं खरीदारों और

बाजार की कमी का होना, यह सब लक्षण बुनियादी तरीके से खाने की समस्या से सम्बन्ध रखते हैं। अस्तु, हमारी औद्योगीकरण की जो नीति है उसकी नींव में हमारी फूड पालिसी है, फूड पालिसी इस बात को डिटरमिन करेगी कि हम औद्योगीकरण कर सकेंगे या नहीं।

श्रीमन्, यह भी बात कही गई कि हमारे यहां कपड़े का जो उत्पादन है उसके सम्बन्ध में मिलों को हम नियन्त्रण करें। हम सब जानते हैं कंट्रोल के जमाने की बात और यह भी जानते हैं कि कंट्रोल के समय कपड़े की क्वालिटी की गिरावट रोकने में कितनी दिक्कतें होती थीं। कंट्रोल के सम्बन्ध में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं और कांग्रेस के भी बड़े-बड़े नेताओं ने जो राय जाहिर की है वह तो सबको विदित ही है। निश्चय ही यह जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसके कई स्टेजेज हैं। प्रोडक्शन का एक स्ट्रेट लाइन मेथड तो है नहीं। ऐसा नहीं है कि कच्चा माल डाला और पक्का माल मिल गया। अतः कंट्रोल करना बड़ा पेचीदा है। जितनी दिक्कतें आज हमारे सामने आ रही हैं मैं समझता हूं कि ये सब सामयिक हैं, कंटिन्युइंग फैक्टर नहीं हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे जैसे खाने की समस्या हल होगी कपड़े की समस्या भी हल होती जायगी और उसके साथ-साथ श्रमिकों की समस्या का भी हल होगा।

श्रमिकों के विरुद्ध कोई नीति सरकार ने अख्तियार कर रक्खी है, ऐसी बात नहीं है। अगर श्रमिकों के हितों के लिये, उनकी रक्षा के लिये तमाम कानून, नियम व अधिनियम जो इस सरकार ने बनाये उन्हें देखने से कोई आंख बन्द कर ले, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। आंख बन्द करना अपना फंडामेंटल राइट है, लेकिन इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि यदि हम वाकयाती दुनिया से दूर रहेंगे तो कोई किसी का फायदा नहीं है। आज से १० साल पहले और आजादी प्राप्त करने के बाद श्रमिकों के बुनियादी हितों को कितना बल मिला यह बात देखने की है। १४४ की बात कही गयी कि इससे बल टूटा। मैं मानता हूं कि १४४ बुरी चीज है। जाहिर है कि एक अस्त्र है सरकार के हाथ में कानून की रक्षा करने के लिये। मैं आपसे और आपके द्वारा गैंदासिंह जी से और उन सब भाइयों से कहूंगा जो श्रमिकों के संगठन की बात करते हैं कि श्रमिक संगठन बनाने के पीछे उनकी क्या नीति है, यह अब उन्हें भी निश्चय करना है। जो हमारे विरोधी दल में बैठे हैं क्या श्रमिक संगठन बनाने के पीछे उनकी यही नीति है कि वह सरकार को बदनाम करना चाहते हैं? तब तो वे मजदूरों के हितों की रक्षा करने में कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वह रास्ता गलत है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है और निश्चय ही वह श्रमिकों के हितों को मजबूत करना चाहते हैं तो उन्हें नियमों और अधिनियमों को जो सरकार ने बनाये हैं उनके द्वारा श्रमिकों की भलाई का काम करना चाहिये और उसके कार्यों को देखना चाहिये ताकि मजदूरों की जो सेवा करना चाहते हैं, वह कर सकें।

मजदूरों को पैसा दिलाने न दिलाने की बात कही गई। माननीय मंत्री जी उसका जवाब देंगे। लेकिन पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट में कौन से मुकदमे चले, कौन सी अदालत में चले, जल्दी फैसला क्यों नहीं कराया गया, इसके सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि कोर्ट में जल्दी फैसला करवाने का अधिकार केवल उन मुल्कों में हो सकता है, जिनको कुछ भाई तो अवश्य जानते होंगे और मेरी समझ में सब लोग जानते होंगे, जहां अधिनायकवाद होता है। अदालत कब और कैसे फैसला करेगी इसका निश्चय एक-एक मामला लेकर हम नहीं कर सकते। अगर यह यहां होता तो बहुत सारे अधिनियम जो यह सदन बनाता है उनके खिलाफ अदालतें अपना वर्डिक्ट न दे पातीं। हम नहीं कह सकते किसी अदालत से कि तुम जल्दी फैसला करो। म्योर मिल के मामले में पैसा दिलाने में देर हो गई। विरोधी दल वाले दावा करते हैं जल्दी पैसा दिलाने के लिये, लेकिन बेहद जल्दी में भी वक्त लगता है और वक्त से भागना मुनासिब बात नहीं है। इन अल्फाज के साथ मैं निवेदन करूंगा कि विरोधी दल के और इधर बैठे हुए लोग इस बात में विश्वास करें कि यह सरकार श्रमिकों को बलवान बनाना चाहती है और उनके हितों की रक्षा करना चाहती है और इसके बीच में जो परिश्रम श्रमिकों को करना है उसे भी उनसे कराना चाहती है।

आचार्य जुगल किशोर--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे सहयोगी ने बहुत से प्रश्नों का अपने भाषण में जवाब दे दिया है, लिहाजा मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। समय भी कम है। मैं माननीय नेता विरोधी दल ने जो बातें कही हैं उनके सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। वह भी आशा करते होंगे कि मैं भी अपनी तरफ से कुछ बातें उनके जवाब में कहूं। मुझे यह याद है कि आज का जो वादविवाद है वह कोई एडजर्नमेंट मोशन के रूप में नहीं है। उसको तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने अवैधानिक समझ कर खत्म कर दिया था। मुझसे यह कहा गया कि मैं एक बयान दे दूं कपड़ा मिलों की परिस्थिति के बारे में जो आज हमारे प्रदेश में है; वह मैंने दिया। माननीय सदस्यों ने यह कहा कि हम कुछ और कहना चाहते हैं इस सिलसिले में। मैं तो समझता था कि वह सुझाव के रूप में कुछ कहना चाहेंगे, मैंने उसका स्वागत किया और सोचा कि सम्भव है कि उस वक्तव्य में कुछ बातें रह गयी हों, उन पर स्पष्टीकरण करेंगे। मैं खुशी से तैयार हो गया और आधा घंटा समय इसलिए दिया गया कि गवर्नमेंट को कुछ सुझाव विरोधी दल की तरफ से प्राप्त हों और मेरी तरफ से कुछ सफाई भी हो जाय अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में। उसका मुझे मौका मिला है, लेकिन जो कुछ मैंने सुना उससे मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ और दुःख है कि बजाय इसके कि वह गवर्नमेंट को इस समस्या को सुलझाने के सम्बन्ध में कोई सुझाव दें, उन्होंने जो रुख अख्तियार किया और जो गवर्नमेंट की नीयत और पालिसी पर आक्षेप लाकर बहुत-सी बातें कही गयीं, उसका मैं जवाब इस वक्त नहीं देना चाहता हूं और न समय है। इतना मैं जरूर कहूंगा कि गवर्नमेंट की जो पालिसी है उसका जवाब जनता ने दे दिया है और उसी के आधार पर हम इस तरफ बैठे हैं। जिस वक्त जनता उस पालिसी को स्वीकार नहीं करेगी तो उसके मानने वाले इस तरफ आकर उस काम को चलायेंगे।

गवर्नमेंट की पालिसी यह है कि गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश में उत्पादन बढ़े, हमारे श्रमिकों का स्तर ऊंचा हो, उनको रोजगार मिले और यह भी है कि श्रमिकों और मिल-मालिकों में इस तरह का एक वातावरण पैदा हो जिससे वह काम चला सकें। इस पालिसी का ऐलान हम कर चुके हैं कि आज देश की परिस्थिति में हमें मिक्स्ड इकोनामी में काम करना है--न स्टेट कंट्रोल हो रह सकता है और न प्राइवेट सेक्टर ही पूरे तौर से हावी हो सकता है। दोनों का मिश्रण करके हमें आगे चलना है। इसके कई कारण हैं, उस सम्बन्ध में मुझे ज्यादा नहीं कहना है।

मोदीनगर के बारे में जो परिस्थिति पैदा हुई है, हमारे माननीय विरोधी दल के नेता जी ने कहा कि मोदीनगर में बहुत ज्यादतियां हुई हैं। जहां तक कि परिस्थिति बेकारी की है, सामान इकट्ठा होने की है, इससे तो मोदीनगर से सम्बन्ध नहीं है। वहां पर तो यह प्रश्न था कि फैक्टरी चल रही थी, हजारों लाखों रुपये की आमदनी हमारे मजदूर भाई कर रहे थे, देश का उत्पादन बढ़ रहा था, उसको रोकने की कोशिश की गयी। पिकेटिंग किया गया कि मिल बन्द हो जाय। क्या यह नीति देश को आगे बढ़ाने के लिए, श्रमिकों के फायदे की हो सकती है कि जो मिल चलता हो उसमें रुकावट डाली जाय ? यह मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं आपके द्वारा। वहां पर जो कुछ वाकयात हुए हैं वह श्रमिकों से सम्बन्धित नहीं हैं और उसका जवाब भी गृह मंत्री जी दे चुके हैं इसी सदन में कि वहां पर ला ऐंड आर्डर का सवाल था। वहां पर ९ तारीख को, इत्तफाक से वह ऐसी तारीख थी कि जिस रोज असेम्बली खुलने वाली थी, वहां उन्होंने पिकेटिंग शुरू किया। वह इस तरह से कि झाड़ू और चप्पल लेकर के कि जो मजदूर जाना चाहते थे उनको रोकने की कोशिश की गयी। इस सिलसिले में गवर्नमेंट का फर्ज था कि अगर उत्पादन के कार्यों को बढ़ाना है तो ऐसे व्यक्तियों को पकड़े और सजा दे जो मजदूरों को काम पर जाने से रोकते थे। तो वहां पर १६९ आदमी पकड़े गये। जहां तक मुझे ख़याल है, १३१ आदमियों को सजा भी हो चुकी है और यही नहीं कि स्त्रियों की संख्या अधिक थी, वह तो बहुत कम है और ज्यादातर व्यक्ति जो पकड़े गये हैं वे पुरुष ही हैं।

यह तो रही मोदीनगर की बात। अब एक सवाल था रजिस्ट्रेशन का। वहां पर एक कंसीलिएशन मैशीनरी है। आज सब लोग इस बात को मानते हैं कि जहां तक हो सके

मिल मालिकों और श्रमिकों में ऐसा समझौता हो जाय और एक ऐसी एजेंसी कायम हो जाय, ऐसा जरिया हो जाय, जिससे वहां के मामले आपस में निपट सकें। एक एक्सपेरीमेंट हमारा हो रहा था, उसको कामयाब नहीं होने देना चाहते हैं। ऐसे दल हमारे देश में हैं, ऐसी पार्टियां हमारे यहां हैं जो अपने को श्रमिकों का शुभचिन्तक कहती हैं, लेकिन वह इस चीज को चलने नहीं देना चाहती हैं।

अब श्रीमन्, रजिस्ट्रेशन का एक तरीका होता है। गवर्नमेंट के पास या रजिस्ट्रार के पास कागजात भेजे जाते हैं। अगर रजिस्ट्रार किसी वजह से उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है तो उसमें गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं और मोदी मिल का मामला यद्यपि आज के विषय से सम्बन्ध नहीं रखता था, परन्तु मैंने जवाब दे दिया, क्योंकि ये सवाल उठाये गये।

श्रीमन्, अब मैं विक्रम काटन मिल लखनऊ के बारे में कहना चाहता हूं। कहा यह जाता है कि बहुत से मजदूरों को चार साल से वेतन नहीं दिया गया है, लेकिन जहां तक मुझे खबर है वह यह है कि बकाया वेतन सब को दे दिया गया है सिर्फ उनको नहीं दिया गया, जिनका वैरीफिकेशन नहीं हो सका या जिनका पता नहीं चल सका। प्रावीडेंट फंड भी उनको दिया जा रहा है। हाई कोर्ट ने जो फैसला किया था उसके अनुसार प्रावीडेंट फंड दिया जा रहा है और मैं समझता हूं कि शीघ्र ही सारा प्रावीडेंट फंड दे दिया जायगा। मुझे बड़ी खुशी है इस बात को बताने के लिये कि मुझे अभी खबर मिली है कि विक्रम काटन मिल का स्पिनिंग सेक्शन चालू हो जायगा और एक शिफ्ट नहीं बल्कि दो शिफ्टों में और ८०० मजदूर उसमें काम करेंगे। कोशिश है कि वीविंग सेक्शन भी चालू हो जाय, लेकिन गृह मंत्री जी की कोशिश से हम ८०० मजदूरों को काम पर लगाने में कामयाब हो गये हैं।

इसी तरह से म्योर मिल का मामला है और इसके बारे में काफी रोशनी डाली जा चुकी है। वहां ऐसा था कि एक समय आ गया सितम्बर में जब कि बागला जो मैनेजमेंट में थे, उन्होंने कहा कि हम मिल नहीं चला सकते और उन्होंने प्ले आफ कर दिया, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की और श्रमिकों के नेताओं को भी बुलाया और माननीय मुख्य मंत्री जी से दोनों पार्टियों की बातचीत कराई। दोनों का आग्रह था कि वह उनका कहना मानने के लिए तैयार हैं। इसलिये वे इन दोनों के बीच में पड़े और उन्होंने इस चीज को मनवा लिया।

अब सवाल रह गया बकाया वेजेज का। इसके बारे में उस समय कोई निश्चय नहीं हुआ था। इसलिये कि शायद उस समय समझौते में दिक्कत पड़ती। यह अधिकार श्रमिकों का है और हमारे विभाग की ओर से नोटिस दे दिया गया है और मुझे उम्मीद है कि कुछ अर्से के बाद उनका वाजिब बकाया वेतन भी प्राप्त हो जायगा, लेकिन इस चीज को हासिल करने के लिये मिल बन्द करना उस सूरत में जब कि मिल मालिक मिल न चला सकते हों, कहां की अक्लमन्दी है और मैं समझता हूं कि यह कोई लाभदायक चीज नहीं हो सकती है। वह मिल चलाई गई, आज भी चल रही है और मुझे खुशी है कि पहले से ज्यादा आज लूम्स चल रहे हैं। गवर्नमेंट की कोशिश रही है बावजूद इसके कि कुछ मजदूरों का वेतन बकाया है, उसको जल्द से जल्द दिलाया जाय। कानून मजदूरों के पक्ष में है, लेकिन उसके दिलाने के लिये उनको काम पर से रोकना कहां की बुद्धिमानी है? यही मुझे म्योर मिल के बारे में कहना था।

श्री उपाध्यक्ष—अब समय समाप्त हो गया। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मिश्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२० दिसम्बर, १९५७।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२ पर)

तालिका

जिन्स का नाम	कुल बीज का उत्पादन (मनों में) मन	सेर	छ०
गेहूं	३२,५७३	२९	४
जौ	७,८७२	२३	४
चना	६,८९४	११	९
मटर	३,७४५	३८	३
धान	२६,७०९	३६	०
मक्का	७४४	३८	७
मंडुआ	३,६१७	७	०
दालें	१,६४७	३१	२
तिलहन	७६४	३९	९
हरी खाद	३,००३	६	११
आलू	१,२६५	२	१४
गन्ना	१,९४,४५१	२	५
रुई	२६७	३४	८
अन्य फसलें	९५२	२२	१४

उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८ पर)

सूची

देशी चिकित्सा पद्धतियों में विकास के लिये इस वित्तीय वर्ष में निम्नांकित योजनाएं हैं :

१—(अ) दस नवीन राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये इस वर्ष के बजट में ३६ हजार रुपये की धनराशि सुरक्षित रखी गई है।

(ब) पांच चिकित्सालय भवनों का निर्माण—इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये ५० हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

२—पुराने ६० राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में साज-सज्जा की सामग्री भेजने के लिये इस वर्ष के विभागीय बजट में ३३ हजार रुपये की धनराशि सुरक्षित रखी गई है।

३—राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला के लिये भवन व्यवस्था। निर्माणशाला के लिये उपयुक्त भवन क्रय किये जाने का प्रश्न विचाराधीन चल रहा है। इस वर्ष के बजट में इस कार्य के लिये कोई धनराशि सुरक्षित नहीं रखी गई है।

४—राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के लिये भवन व्यवस्था साज-सज्जा की सामग्री क्रय की जाना तथा अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति।

इस वर्ष के बजट में कालेज के भवन व्यवस्था के लिये ४ लाख २० हजार रुपये की धनराशि सुरक्षित रखी गई है। इसी प्रकार साज-सज्जा की सामग्री क्रय किये जाने तथा अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये भी १ लाख ३० हजार रुपये की धनराशि सुरक्षित है।

५—शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित प्रदेश के कुछ आयुर्वेदिक एवं यूनानी महाविद्यालयों तथा प्रदेश के कुछ महत्त्वपूर्ण दातव्य चिकित्सालयों के सहायतार्थ · आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक अनुदान में वृद्धि।

इस अनुदान योजना के लिये इस वर्ष के विभागीय बजट में ३,८८,८०० रु० की धनराशि सम्मिलित है। जिसमें एलोपैथिक व देशी चिकित्सालयों को माननीय स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन मद से दिये जाने वाले अनुदान की एक लाख रुपये की धनराशि भी शामिल है।

६—लगभग २५ हजार रुपये की लागत से कुछ राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय भवनों का विशेष जीर्णोद्धार कार्य कराया जाना।

गत वर्ष इस योजना के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य हुआ :

१—प्रदेश के विभिन्न जिलों में १० नवीन राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय स्थापित किये गये। जिन पर ४६ हजार रुपये का वास्तविक व्यय हुआ।

२—पुराने १०१ राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में ४९ हजार रुपये के मूल्य की साज-सज्जा की सामग्री क्रय करके प्रेषित की गई।

३--राजकीय सहायता योजना क अन्तर्गत १० योजना प्राप्त पुरुष वैद्य हकीमों की तथा ५ महिला वैद्य हकीमों की नियुक्ति की गई तथा इस सम्बन्ध में ५ हजार रुपया का वास्तविक व्यय हुआ।

४--राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की गई, साज-सज्जा की सामग्री क्रय की गई और कालेज के लिये भवन निर्माण कार्य भी हुआ। इन सब कार्यों पर लगभग ७८ हजार रुपये का वास्तविक व्यय हुआ।

५--प्रदेश के कुछ दातव्य चिकित्सालयों और कालेजों के सहायतार्थ २ लाख ६४ हजार रुपये का राजकीय अनुदान दिया गया।

६--उपसंचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (आयुर्वेद), उत्तर प्रदेश के कार्यालय में नियोजन कार्य के लिये ३ अतिरिक्त सहायकों की नियुक्ति की गयी। इस कार्य पर ३,५०० रु० का वास्तविक व्यय हुआ।

७--प्रदेश के कुछ राजकीय चिकित्सालय भवनों का विशेष जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण किया गया जिस पर लगभग ५० हजार रुपये व्यय हुए।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ १६ पर)

सूची 'क'

इलाहाबाद क्षेत्र में खरीदे गये बीजों का विवरण

आढ़तियों के नाम	महीना खरीद	किस्म अनाज	खरीद की दर प्रति मन	खरीद की मात्रा मनों में	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६
			रु० आ० पा०		
१--मेसर्स अचितानन्द	मई, ५७	मूंगफली . .	२३ ८ ०	५१४	कालम चार में
भोलानाथ	जून, ५७	मूंगफली . .	—	३६३	दी गई दर में
२--मेसर्स बंसीलाल	जून, ५७	रेंडी . .	२४ ० ०	७०	गन्तव्य स्थान
रामस्वरूप	जून, ५७	देशी मूंग	१६ ० ०	३४०	तक पहुंचाने का भाड़ा भी शामिल है

सूची 'ख'

कानपुर क्षेत्र में खरीदे गये बीजों का विवरण

आढ़तियों के नाम	महीना खरीद	किस्म अनाज	खरीद की दर प्रति मन	खरीद की मात्रा मनों में	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६
			रु० आ० पा०		
१--मेसर्स राजेन्द्र-सिंह रणधीर सिंह ..	अगस्त, ५७	चना ..	१४ १४ ०	९,६४५	कालम ४ के अन्तर्गत दी हुई दर में बोरियों की कीमत तथा स्टेशन तक का भाड़ा शामिल है।
		जौ ..	१५ १ ०	१४,०००	
	अप्रैल, ५७	सनई ..	१७ ० ०	२५,७३२	
		गुआर ..	..	६००	
२--मेसर्स सतीश-चन्द्र गुलाव	अगस्त, ५७	चना ..	१४ १४ ०	४७,०००	
		जौ ..	१५ १ ०	५५,१००	
३--मेसर्स रामेश्वर प्रसाद एण्ड कम्पनी. .	अगस्त, ५७	चना ..	१४ १४ ०	१,५५२	
		जौ ..	१५ १ ०	५,०००	
४--मेसर्स राम-शंकर गुप्त	अगस्त, ५७	जौ ..	१५ १ ०	९५८	
५--मेसर्स गोविन्द एण्ड कम्पनी	अगस्त, ५७	चना ..	१४ १४ ०	१८,७७५	
		जौ ..	१५ १ ०	१५,४४०	
६--मेसर्स हरीश-चन्द्र ..	अगस्त, ५७	मटर ..	१३ १२ ०	[५,५००	
७--रजिस्टर्ड उत्पादकों (Growers) से खरीदा गया	मई, ५७	,, ..	१३ १२ ०	[५,४१३	
,,	जून, ५७	,, ..	१३ १२ ०	१४,९३७	
,,	जुलाई, ५७	,, ..	१३ १२ ०	८,०९६	
,,	अगस्त, ५७	,, ..	१३ १२ ०	५,५१६	
,,	अगस्त, ५७	सनई ..	१७ ० ०	३००	

पी० एस० यू० पी० ए० पी०--२२२ एल० ए०--१९५८-८१०